खण्ड-273, अंक-8
मंगलवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1889
(11 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३७६

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० बी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गजाधर, श्री

गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जैवन्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पल्लर राम, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बदनसिंह श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह श्री (मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसंतलाल, श्री (जालौन)
बसंतलाल, श्री (लखनऊ)
बसंत सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुद्धिराम, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह, अवस्थ , श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणस)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौत प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उप ाम भृगूनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोलालाल, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरव दत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह , श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकांत, श्री
रमाबल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुरचन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडे, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (अड़गाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामबचन, श्री
रामबली, मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसंजीवन, श्री
रामसरन, सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालता शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशुनप्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथसिंह, श्री
विष्णुस्वरूप, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
कुंतलादेवी, श्रीमती
फकत जंग, श्री
अब्बीर हसन, श्री
मीम आजम, श्री
राफत हुसैन रिजवी, श्री
भूषणसिंह, श्री
बंशीलाल तिवारी, श्री
बलभद्रसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम, श्री
सुशीलकुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिजनराम, श्री
हरिनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र, श्री
हरीश चन्द्र सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—श्रम मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ जुलाई, १९६७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

किनारी बाजार, आगरा में लूट-मार की जांच

*१—श्री रमा शंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक ५ जुलाई, १९६७ को लगभग सायंकाल ४ बजे किनारी बाजार आगरा में जब एक बारात निकल रही थी तो बारात में सम्मिलित व्यक्तियों ने, जो शराब पिये हुए थे, बाजार में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और लगभग आधा घंटा तक जबाजार में लूटमार की तथा दुकानदारों को मारा पीटा और चोटें पहुंचायीं? बारात के साथ जो पुलिस के घुड़सवार तथा पैदल सिपाही थे, वह तमाशा देखते रहे और उन्होंने कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाये इस कारण बाजार में बड़ा रोष रहा और विरोध स्वरूप सम्पूर्ण बाजार बन्द हो गया ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९५ पर)

श्री रमा शंकर अग्रवाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया बताया गया है, उनकी गिरफ्तारी मौके पर हुयी या बाद में की गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मेरे पास जो सूचना है वह इस प्रकार है कि कुल ८ आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ४ आदमी ५-७-६७ को गिरफ्तार किये गये और शेष ४ आदमी ६-७-६७ को गिरफ्तार हुए ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

साधारणतया बारातों के साथ-साथ पुलिस नहीं जाती, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि बारात के साथ पुलिस थी, कि पुलिस अधिकारियों के पास कोई सूचना थी कि इसमें झगड़ा हो सकता है इसलिये उन्होंने पुलिस को तैनात किया था ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जहां तक मैं समझता हूं जब कोई बड़ी बारात निकलती है और उसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को होती है, तो उसके साथ पुलिस का प्रबन्ध कर दिया जाता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नामजद रिपोर्ट में नाम थे ? यदि नहीं, तो किस आधार पर इन आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री रुस्तम सैटिन--

नामजद रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, उसमें उनके नाम नहीं दिये गये हैं परन्तु शायद वहां की जांच पड़ताल के उपरान्त उन्हें गिरफ्तार किया गया होगा ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब पुलिस साथ थी और दुकानों से माल लूटा गया तो पुलिस ने मौके पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की ?

श्री रुस्तम सैटिन--

इसकी सूचना नहीं है कि गिरफ्तारी मौके पर किस समय हुई । पहले गिरफ्तारी चार आदमियों की हुई । उस समय हुई हो, मौके पर हुई हो या कुछ देर बाद हुई हो ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

प्वाइंट आफ आर्डर । यह जवाब ठीक नहीं है हुई हो । निश्चित जवाब होना चाहिये या नोटिस मांगना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहनलाल गौतम ने जो प्रश्न उठाया वह साधारणतया ठीक है, लेकिन इस मामले में मुख्य मंत्री ने यह बतलाया कि इतने आदमी पहले रोज पकड़े गये जिस रोज घटना हुई । अब यह सूचना नहीं है कि घटना स्थल पर पकड़े गए । उनका कहना यह है कि चूंकि उनके पास सूचना नहीं है कि वह मौके पर पकड़े गये या नहीं, इसलिये वह नहीं कह सकते कि वह मौके पर पकड़े गये । उनका कहना है कि हो सकता है कि मौके पर पकड़े गये हों या बाद में पकड़े गए हों ।

श्री मोहन लाल गौतम--

आप ऐसी आज्ञा देते हैं तो ठीक है, वैसे उत्तर निश्चित ही होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उनका उत्तर मूल प्रश्न के उत्तर में निश्चित ही है कि इतने आदमी पकड़े गये। लेकिन जब पूरक प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा मुमकिन है ऐसे हुआ हो।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—

जो पकड़े गये उनमें बाराती कितने हैं और बाजार के कितने लोग हैं?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसकी कोई निश्चित सूचना नहीं है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

कितने लोग घायल हुए?

श्री रुस्तम सैटिन—

घायलों की कुल संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के चोटें आईं जो कि बहुत हल्की थीं।

श्री वीरेद्र वर्मा—

यह मारपीट व लूटमार कितनी देर तक चलती रही?

श्री रुस्तम सैटिन—

उत्तर में बतलाया जा चुका है कि ३-४ मिनट में यह शांत कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आध घंटा तक लूटमार होती रही। ऐसी शक्ल में यह सूचना तो बहुत आवश्यक थी कि कितने आदमियों के चोटें पहुंचीं?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसमें २-४ शब्द हैं। लेकिन निश्चित नहीं है। जहां तक समय का सवाल है इसमें लिखा है कि पुलिस ने हस्तक्षेप किया और झगड़ा नहीं बढ़ा और २-४ मिनट में समाप्त हो गया।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने दूकानदारों ने रिपोर्ट की है?

श्री रुस्तम सैटिन—

एक दूकानदार ने की है, लेकिन चोरी की तहकीकात से पता चलता है कि तीन दूकानों का सामान गया और दो के शो केस टूटे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर में सहायक यातायात निरीक्षकों का भत्ता

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि रोडवेज विभाग में कार्य करने वाले सहायक यातायात निरीक्षकों को गोरखपुर रीजन में दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता, जब कि अन्य रीजनों में दिया जाता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर मिश्र)—

जी नहीं। जिस सहायक यातायात निरीक्षक का दैनिक भत्ता नियमानुकूल देय होता है उसे सदा भुगतान किया जाता है।

श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में सहायक यातायात निरीक्षकों को दैनिक भत्ता क्या दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं माननीय उप मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो आप ने मेरे पास उत्तर भेजा है उस पर हस्ताक्षर हैं श्री मानसिंह वर्मा जी के और जहां तक मुझे ज्ञात है वह इस्तीफा दे चुके हैं जो स्वीकृत हो चुका हैं। तो आज की तारीख में कोई सूचना मान सिंह वर्मा जी के नाम से परिवहन मंत्री के रूप में नहीं आ सकती। तो क्या यह मानूं कि यह सूचना आप दे रहे हैं?

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

जो सूचना पढ़ी जा रही है वही मानी जाय।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। प्रश्न यह है कि जो सूचना सदन को दी जायगी वह आज की तारीख में जो परिवहन मन्त्री हैं उन्हीं के द्वारा दी जा सकती है। इसलिये या तो उप मंत्री जी इस की जिम्मेदारी लें या कोई और मंत्री लें। आज भी मान सिंह वर्मा परिवाहन मंत्री नहीं हैं और यह उनके हस्ताक्षर से आयी है। इसलिए अगर आप में से कोई जिम्मेदारी लें उत्तरों की, तब तो मैं इजाजत दूंगा, वरना यह उत्तर आज उपस्थित नहीं होगा।

सिंचाई-मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

सरकार की ओर से उत्तर भेजा गया है, उस समय भी संयुक्त जिम्मेदारी थी उत्तरों की, और आज भी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है कि सरकार की ज्वाइंट और कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होती है, लेकिन यहां यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो मेरे पास सूचना है उस पर माननीय परिवहन मन्त्री के दस्तखत हैं। आज जो प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है जिस मंत्री के हस्ताक्षर से वह आज परिवहन मन्त्री हैं नहीं। तो या तो जो उपमंत्री हों वह इस सूचना की जिम्मेदारी लें या आप लोगों में से कोई मंत्री जिम्मेदारी लें।

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में सहायक यातायात निरीक्षकों को दैनिक भत्ता क्या दिया जाता है?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

२.५० पैसा दैनिक भत्ता दिया जाता है।

श्री मुक्तिनाथ राय—

मेरी जानकारी है कि भत्ता नहीं दिया जाता । तो क्या उप मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जी हां, जांच करा लेंगे ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

इसमें लिखा हुआ है कि अन्य रीजनों में दिया जाता है । तो मैं बरेली का जिक्र कर रहा हूं । गोरखपुर रीजन के बारे में तो मंत्री जी ने बताया कि २.५० पैसा दैनिक भत्ता दिया जाता है लेकिन बरेली रीजन में दैनिक न देकर माइलेज के हिसाब से भत्ता दिया जाता है । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अलग-अलग रीजन में भत्ता देने का अलग-अलग नियम है ?

श्री अध्यक्ष—

बरेली वाली बात की मैं अनुमति नहीं दूंगा । लेकिन मंत्री जी इस का जवाब दे दें कि क्या अलग-अलग रीजन में अलग अलग नियम हैं ।

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है कि २.५० रु० भत्ता दिया जाता है, इस उत्तर के मुताबिक मैं जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों को यह भत्ता आज तक नहीं मिला है उन को पीछे से आज तक का जोड़ कर दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री रामलखन सिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी बताया कि ढाई रुपया भत्ता दिया जाता है तो जिन कर्मचारियों को भत्ता नहीं दिया गया क्या उनको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

अगर देय होगा तो निश्चित दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि अगर नहीं दिया गया होगा तो आप विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को भत्ता दिया जाय ?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र—

जांच कर के दे देंगे ।

निपनियां नया ग्राम का कथित तालाब

*२—श्री दुर्गा प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित), श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला खीरी–लखीमपुर के बांकेगंज ब्लाक के ग्राम निपिनिया ग्रान्ट ११ के तालाब से बरसात के दिनों में बाढ़ आ

जाने से लगभग ५०० एकड़ जोतकर जमीन की फसल हर वर्ष बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो इस बाढ़ का पानी निकालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

निपनियां ग्राम में कोई तालाब नहीं है।

सूचना विभाग के कर्मचारी

*३---श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)---

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० अप्रैल, १९६७ को सूचना विभाग में कितने कर्मचारी थे और उनमें से कितने राजपत्रित तथा कितने अराजपत्रित थे और सरकार द्वारा क्या उसमें से कुछ की छंटनी की जा रही है ?

श्री श्याम लाल यादव---

३० अप्रैल, १९६७ को सूचना विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या १,२७८ थी जिनमें से १०७ कर्मचारी राजपत्रित और १,१७१ कर्मचारी अराजपत्रित थे। छटनी के संबंध में अभी आदेश नहीं हुए हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि दिल्ली में एक प्रेस लियाजां आफिसर थे उनका पद समाप्त कर दिया गया है ?

श्री श्यामलाल यादव---

मान्यवर, कर्मचारियों की छटनी नहीं हुई है, इसलिये मैं समझता हूं कि नहीं हुआ है।

श्री रामायण राय---

मान्यवर, अगर उनका पद समाप्त नहीं किया गया है तो क्या कारण है कि अभी मुख्य मन्त्रियों का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उस अवसर पर यहां से प्रेस एडवाइजर ले गये थे और उनको यहां वापस बुला लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने कह दिया कि अभी छटनी नहीं हुई है इसलिये उनका पद समाप्त नहीं किया गया है।

श्री रामायण राय---

मान्यवर, मेरी सूचना है कि उनका पद समाप्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

आप को सूचना है तो दूसरी तरह से दें।

श्री मोहन लाल गौतम---

क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में जो प्रेस आफिस था वह बंद हो गया है और लखनऊ आ गया है ?

श्री श्याम लाल यादव—

इसमें सूचना की जरूरत होगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कहा है कि छटनी के आदेश नहीं दिये गये हैं? क्या यह सही है कि सूचना विभाग में सरकार छटनी करने जा रही है?

श्री श्यामलाल यादव—

अभी मान्यवर, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को मालूम है कि सूचना अधिकारी का जो आफिस दिल्ली में रहता था उस पर रुपया बेकार खर्च हो रहा था और सरकार ने उसको यहां बुला कर ठीक कदम उठाया है?

श्री श्यामलाल यादव—

श्री शर्मा जी की भावना के ऊपर कार्य करने की चेष्टा करेंगे।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या सरकार बतायेगी कि कितने गजटेड और नान गजटेड कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई है? यदि नहीं तो क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जायेगी?

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर आ चुका है उसमें यह प्रश्न उठता नहीं है। वे कह चुके हैं कि पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने यह बताया कि डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन आफिसर्स की छटनी नहीं हुई है, तो क्या उनको तनख्वाह मिल रही है और वह कोई काम नहीं कर रहे हैं?

श्री श्यामलाल यादव—

अगर रावत जी को कोई अन्यथा सूचना हो तो बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर के अन्त में कहा कि अभी नोटिस नहीं दी गयी और विचाराधीन हैं। तो क्या जिनको नोटिस देने वाले हैं और विचाराधीन हैं उनको अलग करके तुरन्त कोई नौकरी देने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम लाल यादव—

यह दोनों प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कैबिनेट में कोई निर्णय इस विभाग से छटनी करने के सम्बन्ध में लिया है या नहीं?

श्री श्यामलाल यादव--

मान्यवर, निर्णय तो कैबिनेट की तरफ से कई अवसरों पर हुए हैं। लेकिन वह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री श्रीराम तिवारी—

कटनी के संबंध में निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

कोई अन्तिम निर्णय हुआ है।

श्री श्यामलाल यादव—

कुछ निर्णय हुए हैं, लेकिन अन्तिम रूप तैयार नहीं हो पाया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खतरे की बात है कि किस-किस की नौकरी छूट जाय, यह संशय का समय कब समाप्त करेंगे सूचना मन्त्री ?

श्री श्यामलाल यादव—

बहुत शीघ्र।

[११ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नल कूपों को बिजली

*१—श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्राइवेट ट्यूबवेल को बिजली देने के सम्बन्ध में १९६६-६७ में १५ करोड़ रुपये की धनराशि रक्खी गयी थी और अब १९६७-६८ में घटा कर यह रकम ढाई करोड़ रुपये की कर दी गई है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था प्राइवेट ट्यूबवेल तथा पम्पिंग सैटों को बिजली देने के लिए की गई थी। वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में उपरोक्त अभिप्राय के लिए सरकार ११.८ करोड़ रुपया देने का प्रयत्न कर रही है।

श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि १९६६-६७ में १५ करोड़ रुपए से कितने लोगों को बिजली दी गई है और १९६७-६८ में कितने लोगों को बिजली देने की योजना है और इस सिलसिले में यह भी जानना चाहूंगा कि ३.८ करोड़ रुपये की कमी जो की गयी है उसका उद्देश्य क्या है ?

श्री टम्बरध्वर प्रसाद—

बात यह है कि प्रत्येक योजना में कितने नलकूपों को बिजली दी जाय और उसमें कितना रुपया व्यय होगा इसकी एक योजना सरकार के विचाराधीन रहती है। पिछले वर्ष जिन लोगों को बिजली देना था उनमें ११,७२४ लोगों को बिजली दी गई। उसमें कुछ ऐसे केसेज थे जो रह गये जिनको बिजली नहीं दी जा सकी। वस्तुस्थिति यह है कि ११,७२४ लोगों को

दे दी गई और ७,८०० रह गये व उनको इस वर्ष कनेक्शन दिया जा रहा है। यह कम रुपये रखने की जो बात है इसमें इनरजाइज करने का रुपया शामिल है और उसको करने का हमने प्रयास किया है कि इस वर्ष १८ हजार नलकूपों में बिजली लग जाय।

श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो कम रुपया दिया जा रहा है इससे हमारे प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ेगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो कुल नलकूप इनरजाइज करने का प्रयास हमारे सामने है वह उतना ही है। इसमें कोई प्रोडक्शन पर असर पड़ने का सवाल नहीं है। मान लीजिये किसी स्थान पर लाइन नहीं थी, तो वहां तक लाइन ले जाने में जो अधिक रुपया लगने की सम्भावना थी अब ऐसी आशा है कि उतने नलकूपों को इनरजाइज करने का काम उतने रुपये में कर सकेंगे।

श्री ए० सी० आइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या यह सही है कि हैड लाइन जो ले गये हैं वह अण्डर कैपेसिटी थी जिसकी वजह से वह नलकूप इनरजाइज नहीं हो पाये ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

ट्यूबवेल को इनरजाइज करना और उस स्थान तक बिजली पहुंचाना अलग अलग प्रश्न हैं। इसलिये मैंने कहा कि लाइन को मजबूत करने के लिये हमने अलग रुपये की व्यवस्था की है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजूदा सरकार के आने से पहले बिजली लगाने का यह कायदा था कि ४ फर्लांग तक बिजली १० हार्स पावर तक फ्री दी जाती थी और उसके बाद सर्विस लाइन का चार्ज किया जाता था। तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है इसका कोई रीजन देंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। नये तरीके की बात सामने नहीं आई है।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

१५ करोड़ रुपये से ११ हजार नलकूपों को बिजली मिल सकी तो १८ हजार नलकूप जो इसमें रखे गये हैं उनके लिये यह कम नहीं है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह एफिशियेन्सी से सम्बधित है। मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य इसमें शंका न करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की खाद्य स्थिति को हल करने के लिये सिंचाई के लिये अधिक रुपये का इन्तजाम किया है, तो किन कारणों से पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष सिंचाई के लिये कम रुपया उन्होंने रखा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझ सकता हूं कि इसमें केवल एक फैक्टर नहीं होता है कि रुपया रख दिया और काम हो गया। उतना स्टाफ, सामान, साधन, तमाम व्यवस्था उस स्थान तक लाइन पहुंचाना, इन सब कामों के लिए यदि एक करोड़ रुपया भी रख देते हैं तो काम नहीं हो पाता। कई करोड़ रुपया लग सकता है। साल भर तो सब स्टेशन बनाने में लग जायगा। १८ हजार नलकूपों को बिजली देने की योजना है वह काम इस वर्ष इस रुपये में हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिये हैं कि १ हजार रुपया की लट्ठा तक किसान जमा नहीं करेगा तो उस को बिजली नहीं मिलेगी। यदि नहीं दिये तो सरकार के आदेश का क्या रूप है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

दिक्कत यह है कि नलकूप की बिजली को हम अन्य बिजली से मिला देते हैं और अन्य कामों में बिजली का उपयोग करने लगते हैं। नलकूप में ५ से साढ़े ७ हार्स पावर में काम चल सकता है और वह उनको दे दी जाती है और फ्री लाइन दे दी जायेगी, पर यह जरूर है कि नलकूप के नाम से अन्य कामों में दुरुपयोग करने वालों के लिए दिक्कत होगी।

श्री नेकराम शर्मा—

कितने फर्लांग तक बिजली मुफ्त दी जा सकेगी यह बता दें?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दिया, इससे ज्यादा मैं बाध्य नहीं कर सकता। अगर आप इसे अस्पष्ट समझते हैं तो वाद-विवाद मांग लीजिये। कल मैं आश्वासन दे चुका था कि मैं अधिक समय पूरक प्रश्नों को नहीं दूंगा लोगों की भावना का आदर करते हुए।

निजी नलकूपों को बिजली देने के लिये प्रार्थनापत्र

*२—श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि इस वक्त तक ऐसी अर्जियों की संख्या जो प्राइवेट ट्यूववेल को बिजली देने के सम्बन्ध में आ रही है और सरकार के विचाराधीन हैं, २४ हजार हैं?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जी नहीं। प्राइवेट नलकूपों को बिजली देने के सम्बन्ध म सरकार के विचाराधीन अर्जियों की संख्या लगभग ४,८०० है।

श्री एस० जी० दत्त—

ये जो आप के पास ४,८०० अर्जियां आई हैं इनमें से कितनों को बिजली दी है नलकूपों के लिए?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

नल कूप के लिये जितनी भी बिजली के प्रार्थनापत्र इस समय सम्मुख हैं और किसी प्रकार से भेजे गये हैं सब स्वीकृत कर दिये गये हैं ३० जून तक।

श्री फूल सिंह--

क्या वही अर्जियां हैं, ४,८०० जो भेजी गयीं जो-कि मंत्री जी के सामने अ यी हैं ?

श्री टेम्बरेश्वर प्रसाद--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि मेरी व्यक्तिशः हैं या और भी विभिन्न विभागों में भी आयी हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि १,००० रुपया फी फलांग की जो शर्त लगायी गयी है उस की वजह से सारे सूबे में बिजली कनेक्शन देने का काम ठप हो गया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

पिछले वर्ष बजट में इतना कम रुपया रखा गया था कि उतना समय से पहले ही खत्म हो गया और उसके साथ साथ पिछले मार्च में जो कनेक्शन मंजूर किये गये थे वह पूरे नहीं किये जा सके और अब वोट आन अकाउन्ट से रुपया लिया गया है तो भी पर्याप्त न हो सका। वित्त मंत्री ने प्रश्न किया कि अगर तत्काल कनेक्शन कोई मांगे, बिजली तुम्हारे पास नहीं है तो कैसे काम हो सकेगा ? तो उसके लिए फी फलांग का खर्चा आता है। तो जब तक बजट में रुपया नहीं आता है तो जो सज्जन प्रायोरिटी चाहते हैं वह अगर रुपया जमा कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो हम उनका वह डिपाजिट मंगा कर दे देंगे। तो तत्काल बिजली इस तरह मिल सकती है जब तक हमारे पास धन उपलब्ध नहीं है। लेकिन नलकूप से यह संबंधित नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले ३ महीने में पिछली अप्रैल तक कितने नये ट्यूबवेल्स को बिजली दी गयी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

४ हजार से ऊपर।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

१,००० रुपया जो प्राथमिकता के लिए कृषकों से जमा कराया जायगा तो उस पर सूद कितना मिलेगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

३ परसेंट दिया जायगा। इस समय बोर्ड के सामने डिपाजिट की दर यही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

४ हजार नलकूपों को जो बिजली दी गयी है क्या वह १,००० रुपया जमा कराने के बाद दी गयी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह उस योजना के अन्तर्गत नहीं है और न किसी योजना के अन्तर्गत है। किसी से आग्रह नहीं है कि ऐसा करे। हम ट्युबवेल को तो बिजली दे ही देते हैं पर इस सुविधा का विस्तार नहीं कर सकते हैं इस समय चक्की, राइस मिल और धान के लिए नहीं उपयोग हो सकता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

राइस मिल की बात नहीं है। नलकूप के जो ४,००० कनेक्शंस की स्वीकृति दी है, वस्तुतः कनेक्शंस नहीं लगे। तो क्या ये कनेक्शंस लगे हैं या नहीं, क्योंकि स्वीकृति देने से तो नहीं लग जायंगे।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

मैंने बताया कि ४००० से ऊपर कनेक्शंस दिये जा चुके हैं और उसका १,००० की बात से कोई संबंध नहीं है। फ्री ४ फर्लांग की सुविधा भी एग्जिस्ट करती है। तो न मालूम किस भ्रम से हो रहा है।

श्री राममूर्ति---

सिंचाई मंत्री ने मेरा प्रश्न भ्रम कह कर खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने भ्रम और बढ़ा दिया। मेरा स्पष्ट सवाल था कि अभी तक सरकार की निजी राय थी कि जब कोई ट्यूबवेल के लिए चाहे और १० हार्स पावर की दरख्वास्त दे तो ४ फर्लांग के लिए बिजली की लाइन खींची जा सकती थी और चार्ज नहीं किया जाता था। उसके बाद अगर कोई और भी अपना काम कर ले तो एतराज की बात नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि अगर बिजली चाहता है ट्यूबवेल के लिये तो बजाय इसके कि ४ फर्लांग की लाइन फ्री दी जाय उसको हर फर्लांग पर १,००० रुपया जमा करना होगा।तो क्या सिंचाई मन्त्री इसका भेद नहीं समझते हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

जी नहीं। उसे १,००० जमा नहीं करना होगा। जो पहले स्थिति थी वही है। वह तो तत्काल देने वालों के लिये है।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)---

ट्यूबवेलों पर बिजली लगाने का खर्च कम करने के लिए बजाय लोहे के खम्भे के लकड़ी के खम्भे लगाये जायं और किसी कारण से दीमक वगैरह का डर हो तो उसमें नीचे का हिस्सा लोहे का हो और ऊपर लकड़ी का लगा दिया जाय। जिससे धन की बचत हो क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब सरकार लोन्स फ्लोट करती है तो उस पर भी साढ़े चार प्रतिशत सूद दिया जाता है। और जो कृषकों को कर्जा दिया जाता है उस पर भी सवा ८ प्रतिशत सूद लिया जाता है। तो क्या सरकार कृषकों से जमानत पर जो रुपया लिया जाता है उसका रेट भी बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

वह तो बोर्ड के नियमों से ताल्लुक रखता है. नियमों के अनुसार ही काम होगा। यह तो जिनको रुपया डिपाजिट करना होता है वही करते हैं।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)---

जिन लोगों से प्रति फर्लांग एक हजार रुपया लिया जाता है वह अब तक कितना रुपया आ चुका है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

मुझे पता नहीं एक हजार वाला कैसे माननीय सदस्यों को भ्रम में हो गया है। जिन ४ हजार कनेक्शंस का मैंने जिक्र किया है उसमें इस तरह के डिपाजिट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री नेकराम शर्मा—

एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर एक हजार रुपये फी फर्लांग मांग रहे हैं और मैंने भी उसकी एक रसीद माननीय मंत्री जी के पास भेजी है। तो क्या माननीय मन्त्री जी सदन में यह घोषणा करेंगे कि ४ फर्लांग तक फ्री लाइन दी जायेगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने बताया कि यह तो रिलेटिव है। इस तरह की सरकार की जो नीति है वह फर्लांग और हार्स पावर से संबंधित है।

*३—श्री लटूरीसिंह (जिला एटा)—

[२१ मार्च १९६७ के लिये प्र० सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अलीगंज तहसील में नलकूप

*४—श्री लटूरी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील अलीगंज जिला एटा में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप बनाने की योजना है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

एटा जिले की अलीगंज तहसील में कितने नलकूप बनेंगे इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

श्री लटूरी सिंह—

इस समय तहसील अलीगंज में कितने नलकूप हैं तथा कितने और लगाने पर सरकार विचार कररही है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

६९ राजकीय नलकूप हैं तथा ९ का निर्माण और किया जायेगा।

श्री लटूरी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राइवेट नलकूप कितने लगाये जा चुके हैं और कितने और लगवाने के लिये बिजली देने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसके लिये नोटिस चाहिए।

शारदा नहर के लखनऊ डिवीजन के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९६५ से मंहगाई भत्ते व वेतन की वृद्धि जो सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दी गई थी उसका बकाया पैसा नहर विभाग के शारदा कैनाल, लखनऊ डिवीजन के कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां। केवल ९ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें प्रश्नगत धन नहीं मिल पाया है इसका कारण सेवा प्रमाणिकता का अभाव, सेवा पुस्तिका का अपूर्ण होना तथा कर्मचारियों द्वारा नये वेतन क्रम के चुनाव में विलम्ब का होना है। यथा संभव शीघ्रता कराई जा रही है।

नलकूपों की विद्युतीकरण नीति

*६---श्री रामायण राय, श्री धर्म गज सिंह (जिला हरदोई) तथा श्री मुक्तिनाथ राय---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत नलकूपों के विद्युतीकरण की पूर्व निर्धारित नीति अर्थात नलकूप के लिये विद्युत चाहने वाले को ४ फर्लांग तक बिजली मुफ्त दी जायेगी, में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्वा कारण है ? क्या यह सही है कि किसान को प्रति फर्लांग १,००० रु० देना होगा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जी हां ।

परिवर्तन का कारण यह है कि इससे निजी लघु सिंचाई कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा किसानों के लिये अधिक सुविधा होगी ।

ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके अनुसार किसान को प्रति फर्लांग १,००० रु० देना पड़े ।

*७---श्री रामायणराय, श्री धर्म गज सिंह तथा श्री मुक्तिनाथ राय---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६७ से मार्च, १९६७ तक तथा १ अप्रैल, १९६७ से ७ जून, १९६७ तक कितने व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युत् शक्ति प्रदान की गई ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जनवरी, १९६७ से मार्च, १९६७ तक ८,६०७ तथा १ अप्रैल, १९६७ से ७ जून, १९६७ तक १,९११ व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युत शक्ति प्रदान की गई है ।

श्री रामायणराय---

जो लघु सिंचाई योजना में नीति परिवर्तन किया गया है उसकी मोटी-मोटी बातें बताने की क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

मैं समझता हूं कि इसका बिलकुल निश्चित उत्तर दे दिया गया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसान को १,००० रुपया देना ही पड़े । नीति यही है कि जल्दी से जल्दी नलकूपों पर बिजली दी जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

नीति में क्या परिवर्तन किया गया है जो उन्होंने अपने उत्तर में बताया है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

निर्णय लिया गया है कि भविष्य में निजी नलकूपों को सिंचाई कार्य के लिये ५ हार्स पावर या उस से कम के लिये २ फर्लांग तक निःशुल्क, साढ़े ५ हार्स पावर या उससे अधिक पर ३ फर्लांग तक निःशुल्क लाइन दी जायगी ।

श्री रामायणराय---

जनवरी, ६७ से मार्च, ६७ तक ८,६०७ प्राइवेट ट्यूबवेल्स एनरजाइज हुए । अप्रैल, १ से ७ जून तक महज १,९११ नलकूपों को बिजली दी गई । तो क्या इस महान अन्तर का सब से बड़ा कारण सरकार की वर्तमान नीति है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

१५ जून तक ४,६८६ नलकूपों को बिजली दी जा चुकी है। लाइन खींची जाती है, तार लगाया जाता है, यह सब काम क्रम से चलता है। जब तक सारा कार्य पूरा नहीं हो जाता तो बिजली की करेंट चालू नहीं होती।

श्री नवल किशोर---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ७ दिन में २,१०० कुयें एनरजाइज हो गये ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

लाइन खींचना, तार बांधना और उसे बिजली से कनैक्ट करना, ये सब काम साथ-साथ चलते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

१ हजार रुपया जो मुफ्त सीमा ४ फर्लांग की है उसके ऊपर भी लिया जाता है या ४ फर्लांग से ऊपर लिया जाता है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

निश्चित रूप से उत्तर है कि ऐसा कोई आदेश सरकार ने प्रसारित नहीं किया। अब केवल नलकूपों के लिये लाइन फ्री दी जायेगी। अभी तक चक्की और ऐसी दूसरी चीजों के लिये भी फ्री थी, लेकिन अब यह सुविधा केवल नलकूपों में ही होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दूसरे पीरियड दिये हैं उसमें कम नलकूपों को बिजली देने का यह भी कारण है कि पिछले समय में जनवरी से मार्च तक अंधाधुन्ध कनैक्शन दिये गये और उनकी लाइनें खिचवानी पड़ीं ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

इतना तो स्पष्ट ही है कि कुल वर्ष भर में ११,००० नलकूपों को बिजली दी गई। पिछले ३ महीने में ८,६०० को दी गई। यह इस बात का द्योतक है कि पहले ९ महीने में कुछ नहीं हुआ।

श्री गेंदासिंह---

जो नयी नीति निर्धारित की गई है उसके पहले क्या नीति थी ? क्या यह सही है कि सम्पन्न किसानों की सुविधा की गरज से यह नीति बदली गई है कि जिनके पास पैसा है वह जल्दी बिजली प्राप्त कर लें और जो सूखे से पीड़ित हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको बिजली बाद को मिल ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

किसानों को असुविधा न हो, यह नीयत इस सरकार की है। कोई व्यक्तिगत शिकायत मेरे पास आवेगी तो मैं देखूंगा कि किसान को असुविधा न हो।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)---

क्या विद्युत् मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि जैसे कारखानों को सस्ते रेट पर बिजली दी जाती है, किसानों को भी सस्ते रेट पर दी जाय ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

यह इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

बाढ़ निरोधक योजनायें

*८—श्री नारायण सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार जून, १९६७ में प्रदेश में बाढ़ निरोधक कार्यों के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी पूरी रूप रेखा क्या है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या बाढ़ रोकने की कोई निश्चित् योजना सरकार की है ? यदि हां, तो कितने रुपये का उसका प्राक्कलन है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर इस में कोई विशेष योजना नहीं है तो जो सामान्य योजना है उसका कुल प्राक्कलन कितना है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

क्या जून महीने की सिंचाई योजना की अब जुलाई में भी जरूरत है ? हम यह नहीं जान सकते कि किस नदी के कैचमेंट एरिया में कब बाढ़ आ जायगी, रूटीन प्राविधान इस समय हमारा १,२५ लाख रुपये का है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १,२५ लाख की जो योजना मंत्री जी ने बताई है उसमें किन-किन नदियों पर कौन-कौन सी योजनायें हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसके लिये तो प्रदेश भर की सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राममूर्ति—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बरसात के जमाने में जो आकस्मिक योजनायें खड़ी हो जातीं हैं उसके अलावा जो रेगुलर वित्तीय वर्ष के अन्दर बाढ़ निरोधक योजनायें हैं वे क्या-क्या हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने बताया कि १,२५ लाख की कुल योजना है जिसमें से दस लाख रुपया हमने आकस्मिक बाढ़ के लिये रखा है ।

छितौनी बांध

*९—श्री राजाराम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि बड़ी गन्डक के छितौनी बांध को मजबूत करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है और वह किस स्थिति में है तथा गन्डक नहर से कब तक पानी सिंचाई के लिये मिलने की आशा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

छितौनी बांध के मील ३-२-२१२ और मील ४-१-२०० के मध्य बांधो पर निम्न-लिखित कार्यों की योजना है।

(१) एक पत्थर का इस पर ५०० फिट लम्बा नदी के भीतर मील ३-० पर तथा इसकी शैल्क १२७५ फीट लम्बी होगी।

(२) दूसरा स्पर मील ४-२ पर ५७५ फिट लम्बा तथा उसकी शैल्क ३३०० फिट लम्बी बनाने को है

(३) इन दोनों को ठोकरों की शैल्क को मिलाते हुये एक रिटायर्ड बांध। उपर्युक्त कार्य लगभग सम्पन्न हो चुके हैं।

द्वतीय भाग---

गंडक नहर से पानी सिंचाई के लिये कब मिल सकेगा यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

*१०---श्री राजाराम---

क्या यह सही है कि इस बांध के न बनने से देवरिया जिले के बड़े भू भाग को भारी खतरा है और पश्चिमी गंडक नहर भी नष्ट हो जायगी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

जी हां।

श्री राजाराम---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो छितौनी बांध की योजना थी मजबूत बनाने की, उसमें तुरपवैया नाले में बाढ़ आने के कारण जो बोल्डर्स थे वे नहीं जा सके हैं, फर्स्ट क्लास ईटों की जगह थर्ड क्लास ईटें लग रही हैं। जैसा कि उत्तर में दिया कि वह कार्य लगभग पूरा हो रहा है, इसके क्या माने हैं ? क्या वह बांध पूरा हो चुका है, हम समझते हैं कि वह कमजोर है और टूट जायेगा।

श्री टंगबरेश्वरप्रसाद---

बांध जो बनना था उसका निर्माण हो गया है। ईटें रिटायर्ड बांध में लगनी थीं वे लग गई। अब बाढ़ की वहां सम्भावना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी के पास इस आशय की सूचना आई है कि जो २२ लाख वाला रिटायर्ड बांध बन रहा है, उससे उत्तर और पश्चिम की ओर नारायणी नदी बहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बांध नीचे पड़ जाय और नारायणी नदी ऊपर से निकल जाय ? यदि हां, तो मंत्री जी ने उसके लिये क्या प्रबन्ध किया ?

श्री टंगबरेश्वरप्रसाद---

नहर की सुरक्षा के लिये ही यह रिटार्ड बांध बनाया गया था। मेरी सूचना यह है कि अभी यह बांध पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। बोल्डर्स डाल कर जो सुरक्षा की गई है उससे भी यह सुरक्षित है।

श्री गेंदासिंह---

श्रीमन, उग्रसेन जी की सूचना तो यह है कि वह बांध तो सुरक्षित रहेगा लेकिन बांध के ऊपर से ही दूसरा रास्ता पकड़ कर गंडक नदी में पानी आ जायेगा ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

मेरी जानकारी में यह बात नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि वे फौरन ही कुछ विशेषज्ञों को वहां भेजकर, माननीय उग्रसेन जी की सूचना के आधार पर जांच करा कर ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि बांध और गंडक नहर दोनों की रक्षा हो सके और नारायणी के पानी को आगे से रोका जाय ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

मैं इसका पूरा यत्न करूंगा ।

श्री राजाराम---

गंडक नहर का काम ठप्प पड़ा हुआ है क्या इसलिये पड़ा हुआ है कि सरकार को यह मालूम है कि यह नहर कट जाने वाली है और यही कारण है कि नहर में अभी तक पानी नहीं दिया गया है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

इस नहर का काम उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों कर रहे हैं । इसकी कुछ शाखायें लगभग डेढ़ वर्ष में चल जायेंगी जो देवरिया में पानी पहुंचाती हैं लेकिन चूंकि बिहार के भाग का काम पूरा नहीं हुआ है इसलिये पूरी नहर नहीं चल पायेगी । जब तक उनकी ओर से नहर के पूर्ण होने की सूचना नहीं आ जाती तब तक पूरी नहर में पानी कब तक दिया जा सकेगा यह नहीं कहा जा सकता ।

राप्ती बाढ़ योजना

*११---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायगी कि राप्ती नदी की बाढ़ रोकने के लिये कोई योजना इस वर्ष बाढ़ के पूर्व चालू करने का कोई फैसला सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

जी हां ।

*१२---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राप्ती नदी द्वारा होने वाले कटाव से कितने गांव किस जिले में पीड़ित हैं और उनको बचाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट---तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

प्रथम भाग---विभागीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पीड़ित गांवों का ब्योरा निम्न प्रकार है---

	ग्राम
१---बहराइच	शून्य
२---गोंडा	शून्य
३---बस्ती	३ ग्राम
४---गोरखपुर	३७ ग्राम
५---देवरिया	६ ग्राम

द्वितीय भाग:---उपर्युक्त ग्राम राप्ती नदी के बाढ़ क्षेत्र तथा मीअन्डर जोन के अन्तर्गत पड़ते हैं। अतः इन ग्रामों को कटाव से बचाने की कोई योजना नहीं है।

सूचना विभाग के कर्मचारी

*१३---श्री नवलकिशोर---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूचना विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पुनर्गठन कमेटी ने कितने कर्मचारी अधिक पाये ?

श्री श्यामलाल यादव---

पुनर्गठन हेतु कोई कमेटी नहीं बनी। विभाग का अभी पुनर्गठन भी नहीं हुआ।

*१४---श्री नवलकिशोर---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो कर्मचारी सरप्लस हैं, यानी अधिक समझे गये हैं, उनको वैकल्पिक जगहें दी जायंगी या उनको अलग कर दिया जायगा ?

श्री श्यामलाल यादव---

सरप्लस होने का प्रश्न नहीं उठता।

*१५---श्री भृगुनाथ---

[२५ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

बलरामपुर बिजली कम्पनी के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*१६---श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)---

क्या सिंचाई मन्त्री को इसकी जानकारी है कि बलरामपुर बिजली सप्लाई कम्पनी, जो कि अब सरकारी नियन्त्रण में ले ली गई है, उसके अनेक कर्मचारियों का काफी समय का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो उल्लिखित कर्मचारियों का वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बसों में एक ही श्रेणी

*१७—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बसों में बैठने को एक ही श्रेणी रखने का जो निर्णय अभी सरकार ने लिया है उसमें अनुमानतः सरकार को कितने रुपये वार्षिक की हानि या लाभ होगा ?

श्री मानसिंह वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८—श्री श्रीराम तिवारी—

[१३ जुलाई, १९६७ के लिये प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोमती पम्प कैनाल मुसाफिर खाना एवं गंगा पंप कैनाल श्रृंगवेरपुर

*१९—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गोमती पम्पिंग कैनाल (मुसाफिरखाना से) एवं गंगा पम्पिंग कैनाल श्रृंगवेरपुर से जिसे सरकार बनाने वाली थी, अभी हाल में उस योजना को कैन्सिल (समाप्त) कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी नहीं । गोमती पम्प कैनाल (मुसाफिरखाना से) एवं गंगा पम्प कैनाल (श्रृंगवेरपुर से) के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । इनके बनने के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकेगा कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाये या नहीं।

जवाहर नगर नगला की सिंचाई

*२०—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला नैनीताल , तहसील किच्छा के ग्राम जवाहर नगर नगला की सिंचाई के लिये सिंचाई विभाग द्वारा सन १९५८ ई० में हजारों रुपया खर्च करके कैनाल तैयार की गई थी वह पिछले दो वर्ष से सूखी पड़ी है ? यदि हां, तो इस कैनाल को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

जी हां । यह नहर सूख जाने के कारण अप्रैल, १९६६ से बन्द है । प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण इस क्षेत्र में "स्प्रिंग लेवल बीस फीट से पच्चीस फिट तक नीचे चले गये हैं । औसत वर्षा होने पर आशा है कि स्रोत में पानी पुनः उपलब्ध हो जायगा और नहर चालू हो जायगी ।

अतारांकित प्रश्न

जीयनपुर बाजार बस सर्विस

१—श्री मुक्तिनाथराय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बाजार जीयनपुर, सगड़ी, तहसील हेड क्वार्टर है, सरदहा बाजार, महाराजगंज, भीमबर, बाजार गोशायीं, कप्तानगंज, तहसील की प्रमुख बाजारें है, किन्तु इन बाजारों से तहसील हेडक्वार्टर तक कोई सीधी बस नहीं चलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रूट पर बस चलाने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र—

यह ठीक है कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील का हेडक्वार्टर जीयनपुर बाजार है और इस तहसील की अन्य प्रमुख बाजारें सरदहा, महाराजगंज, भीमवर, बाजार गोसाईं एवं कप्तानगंज है। इन बाजारों में से महाराजगंज तथा भीमवर से तहसील हेडक्वार्टर एवं जीयनपुर तक सीधी बस सेवा की सुविधा है, और अन्य तीन बाजारों से यानी सरदहा, बाजार गोसाईं और कप्तानगंज से जीयनपुर तक कोई सीधी बस सेवा नहीं चलाई जा रही है और न चलाये जाने का विचार है।

आजमगढ़ रोडवेज क्षेत्र में रिक्त स्थान एवं बसों का रख रखाव

२—श्री मुक्तिनाथराय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ रोडवेज सब रीजन था, किन्तु सात आठ माह पूर्व रीजन हो गया है, किन्तु आज तक जी० एम० और ए० जी० एम० के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र—

जी हां, आजमगढ़ गोरखपुर रीजन का सब रीजन था। २७ अप्रैल, १९६७ से इसे रीजन बना दिया गया। जब ए० जी० एम० आजमगढ़ को पदोन्नत कर १३-१२-६६ से जी० एम० बरेली नियुक्त किया गया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति होने तक गोरखपुर रीजन के ए० जी० एम० को आजमगढ़ का कार्य सौंपा गया। छुट्टी से लौटने पर जी० एम० ने आजमगढ़ रीजन का कार्य भार १ जून, १९६७ को उस रीजन के हेड क्वार्टर वाराणसी में ग्रहण किया। ए० जी० एम० ने ८ जून, १९६७ को आजमगढ़ में चार्ज लिया।

३—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या यह भी सही है कि सात-आठ माह से आजमगढ़ रोडवेज में वर्कशाप में सीनियर फोरमैन भी नहीं है। यदि हां, तो गाड़ियों का ठीक से रख-रखाव किस प्रकार होता है ?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र—

जी हां, परन्तु ३१-५-६७ से एक सीनियर फोरमैन की नियुक्ति हो गई है। आजमगढ़ वर्कशाप में एक जूनियर फोरमैन भी नियुक्त है। सीनियर फोरमैन के न होने पर वह वर्कशाप का संचालन करता है और उसी की देख रेख में गाड़ियों का रख-रखाव भी होता रहता है।

४—श्री मुक्तिनाथराय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ रोडवेज में गत छः माह में रोडवेज बसों के कितने ब्रेक डाउन टेक्निकल त्रुटियों के कारण हुये ? सरकार पूरी सूचना सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र—

दिसम्बर, १९६६ से मई, १९६७ तक ११४ ब्रेक डाउन हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है:—

डिपो का नाम	दिसम्बर १९६६	जनवरी १९६७	फरवरी १९६७	मार्च १९६७	अप्रैल १९६७	मई १९६७	योग
आजमगढ़ ..	९	५	६	५	१३	३०	६८
फैजाबाद ..	७	..	३	२०	५	२	३७
गाजीपुर ..	..	..	१	..	..	२	३
बलिया ..	३	..	..	१	..	२	६
योग ..	१९	५	१०	२६	१८	३६	११४

प्रश्न को स्थगित करने के संबंध में प्रार्थना

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, नत्थी 'ग' के प्रश्न संख्या ११ को आप देखें। श्रीमन्, इसका उत्तर पूर्ण नहीं है, इसलिये इसको अगले दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय और सरकार द्वारा पूरी सूचना दिलवाने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रश्न पर पूरक प्रश्नों का अवसर नहीं आया और स्थगित करने का तरीका यह होता है अगर कोई माननीय सदस्य अपने प्रश्न को स्थगित करना चाहता है तो सत्र प्रारम्भ होने के पहले मुझे सूचना देता है। चूंकि आप ने सूचना भी नहीं दी और पूरक प्रश्न का समय भी आया नहीं, इसलिये अब स्थगित तो यह हो नहीं सकता। आप दुबारा प्रश्न कर लें। मैं उसकी अनुमति दे दूंगा। बात एक ही पड़ेगी।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जिले में ऐसे आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि एक हजार रुपया प्रति फर्लांग जो जमा कराया जा रहा है, वह जमा न कराया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय ११ बजे से १२ बजे तक का होता है। अब तो वह समय निकल गया।

कार्यवृत्त में लिखित भाषा पर आपत्ति

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यह जो कार्यवृत्त हमको मिला है इसके दूसरे पृष्ठ पर आप देखें, वहां लिखा है कि 'राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण सिंह द्वारा विधान सभा के अधिकारियों पर विधान सभा के परिसर में आक्रमण करने के सम्बन्ध में" इसी प्रकार से पेज ३ पर लिखा है "राज्य सभा के सदस्य, श्री राज नारायण सिंह द्वारा विधान सभा के अधिकारियों पर आक्रमण के सम्बन्ध में"। इस पर मेरी आपत्ति है। क्योंकि इस तरह से लिखने पर इसका मतलब यह हो गया कि माननीय राजनारायण सिंह जी ने आक्रमण किया, ऐसा मान लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आप की सूचना के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इसका यह मतलब नहीं है कि यह मान लिया गया है। और अगर किसी अन्य माननीय सदस्य को माननीय दिघे की तरह से भ्रान्ति हो गयी हो तो मेरे इस कहने से वह दूर हो जानी चाहिये कि वह एक चीज आरोप रूप में यहां आयी, केवल यही है, उसका मतलब।

विधान सभा के अधिकारियों पर विधान भवन के परिसर में कथित आक्रमण के संबंध में राज्य सभा सदस्य, श्री राजनारायणसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल माननीय कृष्णानन्द राय द्वारा मेरे पास एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था। कल एक बात तो मैंने यह चाही थी कि माननीय राज नारायण सिंह जी के पास उसकी सूचना पहुंची है या नहीं। उसके बारे में माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बताया कि उन्होंने सूचना भेज दी है। इसके अलावा माननीय राजनारायण जी ने भी मुझ से टेलीफोन पर बातचीत की और उससे मुझे यह पता लगा कि इससे वे अवगत हो गये ह। उन्होंने मेरे कार्यालय से भी उसकी एक कापी चाही, मैंने उसको दे दिये जाने की अनुमति दे दी।

इसके अतिरिक्त जो मेरे मन में शंकायें थीं उन को माननीय सदन के सामने रख कर मैंने कुछ प्रकाश चाहा और वह मुझे मिला भी। उसके बाद मैंने उस पर अध्ययन किया, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता नहीं है। क्योंकि....

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

मैं चाहता हूं कि आप अपनी कोई व्यवस्था देने से पहले हमको सुन लें। क्योंकि अगर आपने कोई व्यवस्था दे दी तो हम लोग कुछ कह न सकेंगे। यह विशेषाधिकार बनता है या नहीं, इस विषय में हम कुछ कान्स्टीट्यूशनल बातें आपके सामने रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं ऐसा समझता था कि इसकी कोई विशेष आवश्कता न होगी, लेकिन मेरे व्यवस्था देने से पूर्व यदि कोई माननीय सदस्य कुछ अपना मत प्रकट करना चाहता है तो मैं उनको अवसर दूंगा। लेकिन इस बारे में पुनः मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि ऐसा वह तभी करें जब कि वे इस पर कोई वाद विवाद अत्यन्त आवश्यक ही समझते हों और माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बातें कल कही थीं, उनके अतिरिक्त ही वे कुछ कहना चाहते हों। अगर इस प्रकार से कोई आवश्यक तथ्य माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे तो मुझे उस तथ्य के विरोध में भी बोलने के लिए कुछ समय देना होगा। श्री नवल किशोर, अगर आप आवश्यक समझते हैं तो कहें।

श्री नवल किशोर---

मान्यवर, कल जब यह प्रश्न सदन के सामने आया तो आपने दो बातें उठायी थीं। एक बात तो यह उठायी थी कि यह जो चुनाव हुआ था वह इलेक्शन कमीशन के अन्डर में हुआ था.....

श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब श्रीमन्, यह व्यवस्था दे चुके हैं कि यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है फिर यह प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष---

मैं अपनी व्यवस्था पूरी नहीं दे पाया हूं और अगर कोई माननीय सदस्य इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं उनको अवसर दूं। हां, अगर मेरी व्यवस्था पूरी हो गयी होगी तब मैं अवसर नहीं दूंगा। पहले कोई माननीय सदस्य उनका समर्थन करने के लिये खड़े नहीं हुए थे इसलिये मैंने अपनी बात कहना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन उन्होंने बीच में ही मुझे टोका और वे कुछ बात उस सम्बन्ध में कहना चाहते हैं और वे ऐसा समझते हैं कि उस सम्बन्ध में किसी खास बात पर प्रकाश डालेंगे। इसलिये मैंने उनको अवसर दिया है।

श्री हुकम सिंह---

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में इतना और कहना चाहता हूं कि अगर यह प्रश्न उठता है तो माननीय राजनारायण सिंह भी यहां उपस्थित रहें। व इस सदन के भी माननीय सदस्य रह हैं तथा वे हमारी पार्टी से राज्य सभा के माननीय सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अगर यह प्रश्न उठता है तो माननीय राज- नारायण जी को सूचना मिलनी चाहिये और फिर उनको यहां बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपने तो बहुत अलंकारमय भाषा का प्रयोग उनके लिये किया, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है कि वे कितने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन माननीय नवल किशोर जी अगर कोई तथ्य की बात इस सम्बन्ध में सदन क सामने लाना चाहें तो वह विचारणीय है और सदन उस पर सोचेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न विचारणीय है, जो माननीय हुकम सिंह ने आपत्ति उठाई और इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि माननीय राज नारायण सिंह इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, आज नहीं हैं। उनके खिलाफ अगर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है तो दो बातें हो सकती ह। एक तो यह कि जब विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं कोई बात सुनूं विस्तारपूर्वक तो फिर मैं उनको भी अवसर दूं कि वे उस पर कुछ कहें। दूसरा स्टेज यह हो सकता है कि अगर मैं स्वयं ही सन्तुष्ट नहीं होता कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कोई बनता है, तब फिर मैं उनको अवसर नहीं दूंगा। अगर मैं सन्तुष्ट हो जाऊं तब मैं उनको अवसर दूंगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय नवल किशोर जी जो बात कहें वह केवल उस हद तक सीमित रखें कि प्राइमाफेसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं। अगर वे इस पर मुझे परामर्श देंगे तो मैं उनको आदरपूर्वक सुनूंगा। तो इस बात का उन्हें खयाल करना चाहिये और उसी बात तक वे अपने को सीमित रखें।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल आपने ऐसा आदेश दिया था कि इस विषय में कोई और सूचना देना चाहता हो तो वह मेरे कक्ष में आ कर दे देगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि जब आपका ही ऐसा आदेश है तो जो सूचना माननीय नवल किशोर जी देना चाहते हैं वे आपके कक्ष में दें, क्योंकि फिर इधर उधर से वाद विवाद खड़ा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय रमावल्लभ जी का आभारी हूं उनकी सलाह के लिये, लेकिन सदन के प्रारम्भ होने से पहले ही कक्ष में मिलने की बात थी। जिन लोगों ने कृपा की, मुझे सूचना दी और कुछ जानकारी मुझे मालूम हुई। अब इस समय मैं स्वयं यह चाहता हूं कि ज्यादा समय सदन का उसमें न लगे। लेकिन माननीय नवल किशोर जी का आग्रह है तो मैं उनको समय देता हूं और चाहता हूं कि संक्षेप में ही वे कहें।

(श्री उग्रसेन जी के खड़े होने पर)

माननीय उग्रसेन जी, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं समझ नहीं पाया कि आपने पहले यह कहा था कि माननीय कृष्णानन्द राय द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है और उसके बाद फिर आपने यह कहा कि माननीय नवल किशोर जी अगर प्राग्दर्शन में कुछ दिखलाना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं। तो मैं आप से स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय नवलकिशोर जी राजनारायण कांड पर ही प्राग्दर्शन से सम्बन्धित सादर सविनय कुछ निवेदन करना चाहते हैं या और किसी विषय में कहना चाहते हैं, तो इस पर मैं आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी ने इसकी परिधि को और स्पष्ट कर दिया। मेरा मतलब यह है कि मैं उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता। विस्तार से कुछ कहने की मैं उनको अनुमति बिलकुल नहीं दे रहा हूं। इसी खास पहलू पर माननीय नवलकिशोर जी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको अवश्य सुनूंगा।

(श्री हुकम सिंह के खड़े होने पर)

माननीय हुकम सिंह जी, अगर इस तरह से प्रश्न चलते रहे, तब तो इसका कोई अन्त नहीं रहेगा। अगर आप आवश्यक समझते हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा।

श्री हुकमसिंह—

माननीय राजरायण सिंह के सम्बन्ध में कल बहुत सी अनर्गल बातें कही गयी हैं और फिर आप इसको आज बढ़ा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय हुकम सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया मेरी इतनी तो मदद करें कि आप जो बोल रहे हैं उसे ऐसा कहें कि मैं समझ तो सकूं।

श्री हुकमसिंह—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि कल से इस सदन में माननीय राजनारायण के खिलाफ माननीय सदस्य अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपकी व्यवस्था होने के पहले किसी माननीय सदस्य को कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हुकम सिंह जी, जो आप ने कहा वह मैं नहीं समझ सका। लेकिन जो कुछ समझा उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें केवल वैधानिक प्रश्न है। कल मैंने एक नियम की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया था कि यदि मैं यह समझूं और यह इस योग्य हो तो मैं इसे राज्य सभा को भी रेफर कर दूं।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर आपने कोई अपना मत स्थिर कर लिया है। सदन की परम्परा रही है कि जब तक माननीय अध्यक्ष अपना मत स्थिर नहीं करते हैं तो माननीय सदस्यों के विचार सुन लेते ह, लेकिन यदि प्राग्दर्शन में कोई मत निश्चित हो गया तो अब माननीय सदस्यों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रही।

श्री अध्यक्ष—

न तो कोई ऐसी परम्परा रही है और न कोई ऐसा नियम ही है। ऐसी परम्पराएं भी रही हैं कि ऐसे प्रश्न पर कुछ मिनट ही नहीं कई घंटे और कभी कभी इससे भी ज्यादा समय तक सुनने का अवसर दिया गया है, लेकिन मैं इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं कि इसमें बहुत लम्बा-चौड़ा वाद-विवाद हो।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मैं १९५७ से ६२ तक सदस्य था। खेर साहब के जमाने में जो काम रोको प्रस्ताव या नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं या कोई विशेषाधिकार के प्रश्न आते थे तो अगर माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो गया होता था तो फिर कोई वाद-विवाद का प्रश्न नहीं उठता। आपने भी कल व्यवस्था दे दी थी कि उस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता तो मैं जानना चाहता हूं कि आप की व्यवस्था किस तरह की है। यदि आप पहले ही इस पर विचार कर लेते तो सदन का समय खराब न होता। मेरी समझ में आप अब दोनों ओर के सदस्यों की बातों को सुन लें ताकि सब की बात आपके सामने आ जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें। मैं इसको अपना दुर्भाग्य ही मानता हूं कि अगर आप के मन में ऐसी भावना है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं तो यह चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य खुश रहे और खुश ही नहीं बल्कि संतुष्ट रहे और संतुष्ट रखना मेरा एक कर्त्तव्य और दायित्व है। इससे अधिक न मैं चाहता हूं और न मेरी इच्छा ही रही है। पहले क्या होता था, यदि माननीय सदस्य मेरे पास आयें तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। १९५२ से १९६२ तक का बहुत लम्बा समय होता है। उसमें बहुत से ऐसे अवसर आये हैं जबकि माननीय अध्यक्षों ने अपनी संतुष्टि के लिए और जानकारी के लिए माननीय सदस्यों को सुना है। यह नियमों में भी है और उनके विरुद्ध नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मेरा कहना यह है कि आप ने व्यवस्था लगभग दे दी थी। आपने यह कहा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिये नहीं बनता। तो आप कारणों पर प्रकाश डालने जा रहे थे। इस का मतलब यह है कि आप जो मत व्यक्त करना चाहते थे उसकी अभिव्यक्ति तो हो गई। तो अब यह आपत्ति हम लोग उठा रहे हैं कि आप की व्यवस्था हो चुकी है। अतः अब किसी को वाद-विवाद का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे आप सक्षम ह नियमों को निरस्त कर सकते हैं, बहस करा सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिये। लेकिन मेरा कहना था कि आप के श्रीमुख से एक चीज निकल गई और वह व्यवस्था हो गयी।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो बात उठायी जब मैंने यह प्रश्न लिया तो कल जो मैंने कहा था उस की पृष्ठभूमि में मैंने एक क्षण तक इस बात की प्रतीक्षा की कि कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो मैं अवसर दूं। यह ठीक है कि मैंने अपने मन में कुछ न कुछ तो अपनी राय अब तक बना ली है अध्ययन करने के उपरान्त लेकिन उस प्रश्न को मैंने चूंकि अन्तिम रूप में घोषित नहीं किया था और माननीय सदस्य ने मुझे बीच में रोक कर यह इच्छा प्रकट की कि वह कुछ कहना चाहते हैं तो यहां ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष की व्यवस्था हो जाने के बाद भी अगर अध्यक्ष को इस बात का विश्वास हो गया कि वह व्यवस्था गलत है तो उस व्यवस्था को संतोष के लिये अध्यक्षों ने दोहराया है। तो मैंने उसी भावना से प्रेरित होकर, एक माननीय सदस्य को जो कुछ कहना चाहते थे, अवसर दिया अगर वह इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो सीमित कर के डालें। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने अवसर न मांगा होता तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि उन्होंने मांगा इसलिये मैं अवसर दे रहा हूं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)---

कल आप ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट अभी शेष है। दूसरे यह कि राजनारायण जी का कोई उत्तर नहीं है और तीसरे यह कि कितने प्रत्यक्षदर्शी लोग थे और राजनीतिक स्टन्ट करने वाले लोग थे। माननीय खेर साहब के जमाने में जैसा उन्होंने १ मार्च, १९५८ को निर्णय दिया था, यह लम्बा निर्णय है, मैं चाहूंगा आप उसको देखें और जैसा कल आप ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार तथा पूर्व व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अब इस प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, मैं आप को याद दिला दूं कि यहां पर बहुत से माननीय सदस्य माननीय राजनारायण के नाम को ले कर एक पोलिटिकल स्टन्टबाजी कर के कुछ कहना चाहते हैं। अतः मैं व्यवस्था बनाये रखने के लिये कह रहा हूं कि अगर एक तरफ स्टन्टबाजी हो सकती है, चप्पल उठायी जाय और हम लोग खामोश बने रहें यह कठिन होगा। इस लिये आप एक निर्णय दें, समय निश्चित कर दें, सारे के सारे तथ्य को अपने कक्ष में मंगा

लें और अगर उसके बाद वाद-विवाद चलता है तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि कुछ कटुता बढ़ सकती है.....

(व्यवधान)

खामोश बैठिये चूं, चूं मत कीजिये.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? व्यवस्था के नाम पर....

श्री अध्यक्ष---

मैं यही कहने जा रहा था कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। माननीय सदस्य ने व्यवस्था के नाम पर.....

(व्यवधान)

अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया तो मैं माननीय सदस्य को रोकूंगा। व्यवस्था देना मेरा कार्य है, माननीय सदस्यों का नहीं। अगर मैं उस समय माननीय सदस्य को न टोकूं तो उस वक्त कोई बात आप कहें तो ठीक है। मैं समझता हूं कि माननीय अश्वनी कुमार ने व्यवस्था के नाम पर एक भाषण दिया। वह ठीक नहीं था।

*श्री नवलकिशोर---

मैं अध्यक्ष महोदय सादर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में यह फीलिंग हो कि आपने कोई व्यवस्था कर दी है मेरे टोकने से पार्लियामेंन्टरी डैकोरम तथा डिसेन्सी खत्म होती है तो मैं बोलने को तैयार नहीं हूं। मेरा खयाल यह है कि आप व्यवस्था देने जा रहे थे अगर मेरे टोकने से एम्बैरेसमेन्ट हो और लेशमात्र भी यह फीलिंग आपको हो कि मुझे टोकना नहीं चाहिये था, तो मैं नहीं टोकूंगा।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको संक्षेप में कहने की इजाजत दी है, आप अब कहिये।

श्री नवलकिशोर---

मैंने मान्यवर, राजनारायण जी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन मेरे दोस्तों को परेशानी हो गयी। प्रश्न यह है कि अगर प्राइमाफेसी यह बात दिखलाई दे कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तब आपको सोचना पड़ेगा कि राजनारायण जी के ऊपर ऐक्शन यहां लें अथवा यह केस वहां भेज। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के १७ वें एडीशन में लिखा है 'मोलेस्टेशन आफ दी आफिसर्स आफ दी हाउस" यह ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है बशर्ते कि यह मोलेंस्टेशन इन दी एक्जीक्युशन आफ देयर डियुटी हुआ हो। आपने एक प्रश्न यह उठाया कि यह आफिसर्स उस समय इलेक्शन कमीशन के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे और यह समझना चाहिये कि आॅन डेपुटेशन थे। मेरा निवेदन यह है कि मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। असेम्बली के यह आफिसर आन डियुटी थे। आपका कहना यह था चूंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव को सम्पन्न करता है, इसलिये यह मानना चाहिये कि उस समय असेम्बली के आफिसर इलेक्शन कमीशन की सर्विस में थे। मेरा कहना यह है कि इस तरह से वाटर टाईट कम्पार्टमेंट ले नहीं किया जा सकता। मित्तल साहब ने अगर असेम्बली की किसी फाइल पर उस समय दस्तखत किया होता तो आपको सोचना होगा। वह दस्तखत करना या उनका आर्डर करना संवैधानिक होता या असंवैधानिक ? मेरा कहना यह है टैक्नीकली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

यह प्वाइंट ठीक हो सकता है कि उस समय वह हमारी सर्विस में नहीं थे, प्रान डेपूटेशन थे और उस समय के लिये वह आफिसर आफ दी हाउस नहीं थे, लेकिन मुझे विरोध में यह कहना है कि मैं इस आबजर्वेशन से इत्तिफाक नहीं करता, मेरा कहना यह है कि उन्होंने आपकी आज्ञा से काम किया चाहे यहां काम करते अथवा कहीं दूसरी जगह करते, लेकिन दे कंटिन्यु टू बी आफिसर्स आफ दी हाउस वह डेपूटेशन पर नहीं थे और उस समय अगर उनका कोई है मौलेस्टेशन हुआ तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है मुझे इतनी ही बात कहनी थी। किसने चप्पल उठाई उस प्रसंग में मैं इस समय जाना नही चाहता।

*श्री उग्रसेन—

मेरा पहला निवेदन यह है कि माननीय नवलकिशोर जी को पहले तो आपकी व्यवस्था के खिलाफ इस समय कोई बात उठानी ही नहीं चाहिये थी। दूसरा एतराज यह है कि प्रारदर्शन में यह तय ही नहीं हो सका कि छोटे सचिव अथवा बड़े सचिव जो भी वहां थे उनका कोई मोलेस्टेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो मैं 'मे' के पृष्ठ ५३ से पढ़ना चाहता हूं—

"Molestation of Officers of either House on account of their conduct as such Officers—'Neither House will suffer any person whether an Officer of the House or not, to be molested of executing its orders or orders of its Committees or on account of anything done by them in the course of their duty."

कोई आफिसर हाउस आफ कामन्स के या किसी कमेटी के आदेशानुसार किसी काम को करने जाते हैं और मोलेस्टेशन होता है तो वह केवल दुर्व्यवहार ही नहीं रह जाता है बल्कि आदरणीय सदन का अवमान होता है। मेरा आप से, सदन से और नवलकिशोर जी से निवेदन है कि माननीय सचिव, सहायक सचिव वहां इलेक्शन विभाग की तरफ से कम करने गये थे। किसी हाउस का काम करने या उसके द्वारा नियुक्त की हुई कमेटी का काम करने नहीं गये थे। इसलिये उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ और यदि हुआ भी तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता है।

श्री गंगाराम (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न आपके सामने है वह मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के पृष्ठ १२६, १२७ से संबंधित है। मैं १२६ से पढ़कर आपको सुना रहा हूं—

"*Obstructing Officers of either House while in the execution of their duty*—

"It is a contempt to obstruct officers of either House or other persons employed by or entrusted with the execution of the orders of either House, while in the execution of their duty."

वह अवमान है, अगर दोनों सदनों के किसी आफिसर का इनके द्वारा नियुक्त दूसरे व्यक्तियों को आब्सट्रक्ट किया जाय जब कि वह हाउस की आज्ञाओं तथा अपने कर्त्तव्यों के पालन में लगे हों।

जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा है कि वे इस हाउस का काम नहीं कर रहे थे मैं भी इससे सहमत हूं।

लेकिन इसका एक और पहलू है और वह यह है। रिप्रेजेन्टेशन आफ पिपुल्स ऐक्ट १९५० का सेक्शन १३ (ए) इस प्रकार है कि—

13. (A) *Chief Electroal Officsier*—(1) There shall be for each State a Chief Electoral Officer who shall be such officer of Government as the Election Commissioner may, in consultation with that Government, designate or nominate in this behalf."

*अवसर मे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीफ इलेक्शन आफिसर स्टेट का वही होगा जो गवर्नमेन्ट का आफिसर होगा। जिसको इलेक्शन कमिश्नर स्टेट गवर्नमेन्ट के कन्सल्टेशन से डेजिगनेट करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह गवर्नमेन्ट आफिसर होगा। इस संबंध में मैं आपका ध्यान Representation of Poples Aet, 1951, सेक्शन के २१ की तरफ दिलाऊंगा। वह इस प्रकार है कि—

Returning Officers—For every constituency, for every election to fill a seat or seats in the Council of States and for every election by the members of Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a returning officer who shall be an officer of Government or of a local authority."

रिटर्निंग आफिसर को कहा है कि हर एक कांस्टीटुयेन्सी के लिये चाहे वह कौंसिल आफ स्टेट का हो, राज्य सभा का हो या स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधान सभा या विधान परिषद् के लिये हो, उसके लिये इलेक्शन कमीशन गवर्नमेन्ट आफ दि स्टेट के साथ मशविरा करके एक रिटर्निंग आफसर अप्वाइंट करेगा जो आफिसर आफ दि गवर्नमेन्ट या लोकल अथारिटी का आफिसर होगा। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कांस्टीट्युशन आफ इंडिया का आर्टिकल १२ रखना चाहता हूं—

"In this Part, unless the context otherwise requires, 'the State' includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India."

डेफीनीशन्स दो तरह की होती हैं। एक तो यह कि सच मीन्स सच ऐंड सच और दूसरा सच इनक्लूड्स सच ऐंड सच। इसमें उन्होंने कहा "स्टेट इनक्लूड्स"। स्टेट के और भी मानी हो सकते हैं लेकिन स्टेट में यह भी शामिल हैं—गवर्नमेन्ट ऐंड पार्लियामेंन्ट आफ इंडिया, लेजिस्लेचर आफ दि स्टेट और लोकल ऐंड अदर अथारिटीज। इसमें यह साफ है कि गवर्नमेन्ट अलग चीज है और विधान परिषद् या विधान सभा अलग चीज है, लोकल बाडी अलग चीज है। इसके बाद आर्टिकल २२६ की तरफ आपकी तवज्जह दिलाऊंगा। उसमें लिखा है —

"(1) Notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, the issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, within those territories directions, orders or writs including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, *prohibition*, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, or the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose."

इससे साफ जाहिर है और जो केशवसिंह का केस है उससे साफ जाहिर है कि लेजिस्लेचर के खिलाफ कोई आनरेबिल हाईकोर्ट रिट इश्यू नहीं कर सकती क्योंकि लेजिस्लेचर का इसमें भी जिक्र नहीं है आनरेबिल हाईकोर्ट की अथारिटी तो क्लियर आ चुकी है। इसके बाद रिपोर्ट आफ दि कमेटी टु फ्रेम रूल्स आफ रेक्रूटमेन्ट ऐन्ड कंडीशन्स आफ सर्विस इन रेस्पेक्ट आफ दि स्टाफ आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरियेट की ओर ध्यान दिलाऊंगा। हालांकि यह रिपोर्ट काउंसिल के बारे में है, लेकिन मैं निहायत अदब से कहूंगा कि यह विधान सभा को भी एप्लाई करेगी। इसमें पेज ५४, पैराग्राफ ४७ को देखिये :—

"This is the outcome of the report of a private Committee appointed by the Speaker. The Speaker is the Chairman of our Commissoners. We are not civil servants; we are the servants of the House of Commons and under an Act of Parliament we are governed by the decisions of the Commissioners in regard to our conditions of service. The Commission consists of the Speaker, as Chairman, the Chancellor of the Exchequer

[श्री गंगाराम]

and one of the Secretaries of State (who is a Member of the House) as members.'

यह मिस्टर एडवर्ड फेलोज ने कहा है । यह हाउस आफ कामन्स के बारे में है । लेकिन मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह यहां भी लागू है । जो आफिसर्स डेप्यूट हुये वे आपने डेप्यूट नहीं किये । आपने इजाजत दे दी । वह डेप्यूट हुये इलेक्शन कमीशन से वे आफिसर्स गवर्नमेन्ट आफिसर्स नहीं हैं । वे आफिसर्स विधान सभा के आफिसर्स हैं । तो इस तरीके से वे गवर्नमेन्ट आफिसर्स नहीं हैं । यह ऐसा प्रश्न है जिसके लिये मेरी प्रार्थना है कि पब्लिक अटैनशन पब्लिक प्रेस और विधान सभा की जानकारी के लिये यह लाजिम हो जाता है कि इस प्वाइन्ट पर आप अपनी रूलिंग दें । मैं आपके सामने यह चीज इसलिये रखना चाहता हूं ताकि सब को मालूम हो जाय कि ये गवर्नमेन्ट आफिसर्स हैं या नहीं । तो मेरी प्रार्थना है कि जिस तरीके से हमारा कांस्टीटचूशन बना है उसी तरीके से एलेक्टोरेल ला बना है और उसी तरीके से यह रूल्स आफ रिक्रूटमेंट ऐंड कंडीशन्स आफ सर्विस बने हैं । इससे साफ पता चलता है कि ये गवर्नमेंट आफिसर्स नहीं हैं । दे आर दि सर्वेन्ट्स आफ दि लेजिस्लेचर । जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने बतलाया ये लोग वहां पर काम कर रहे थे यह इस हाउस की डयूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे और न इसकी डयूटी को एक्जिक्यूट कर रहे थे और न विधान सभा के आर्डर को एक्जिक्यूट कर रहे थे ।

दूसरी बात यह है कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आफिसर्स को ऐसी जगह डिप्यूट न करें जहां पर ला ऐण्ड आर्डर के लिये कोई खतरा हो । हो सकता है वहां पर कोई झगड़ा हो जाय । इसलिये मेरा कन्टेन्शन यह है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिससे वह बात पैदा होती हो । इस वजह से यह कंटेम्पट का सवाल नहीं बनता है ।

एक केस में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२७ से पढ़ना चाहता हूं—

"Resisting the Sergents at Arm or his officers (cases of Tompson, C. J. (1960-67) 222; Hastings and Crooke, C. J. (1667-87) 341 and Mr. Maxton and others, C. J. (1930-31) 335, 338 or others acting in the execution of the orders of ei ther House (Perkin) case C:J: (1732-37) 508, 511) in the execution of their duty."

जो अलफाज इसके अन्दर आये हैं उनसे यह पता चलता है कि अगर इस हाउस के आर्डर को या आपकी डयूटी को वे एक्जिक्यूट करने का कोई काम करेंगे तो तभी वह प्रिविलेज होगा और तभी वह कंटेम्पट के अन्दर आयेगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

वैसे तो सारे सदन की जानकारी है और सभी को कांस्टीटचूशन की नालेज है । पर इस पर मैं अधिक समय बहस नहीं चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मेरा ऐसा खयाल है कि जो इस प्रश्न की परिधि प्रारम्भ में थी उससे यह प्रश्न कुछ बाहर आ गया है । मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि कुछ इस प्रश्न का रूप अब गम्भीर हो गया है । इसलिये मैं माननीय सदन के सामने यह रखने के लिये विवश हूं कि माननीय तलवार साहब ने बड़ी मौलिक बात उठा दी है और उसका यदि उत्तर कोई यहां न दिया जाय तो पीछे जो कुछ हुआ उसके लिये भी और आगे जो कुछ होने वाला है उसके लिये भी कठिनाई पैदा हो सकती है । बहुत छोटी सी बात श्रीमान जी के सामने थी । प्राग्वर्शन में केवल इतना था कि माननीय सदन के जो अधिकारी गण वहां कार्य कर रहे थे वह इस सदन का कार्य था या नहीं ? केवल इतनी-सी बात थी । माननीय तलवार साहब ने इस प्रश्न को एक बृहत् आकार दे दिया और उन्होंने कहा कि यह लोग इस सदन के अधिकारी थे, वहां कार्य कर रहे थे और जो कार्य वह

कहां कर रहे थे वह सदन के अधिकारी के रूप में कर रहे थे, सरकार के अधिकारी के रूप में नहीं। और दूसरी बात उन्होंने और कही, वह यह कही कि सदन के अधिकारियों को उस कार्य के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा यह कि जो सदन के अधिकारी हैं वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट की परिभाषा में नहीं आते हैं, वह लेजिस्लेचर के सर्वेंट हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं इसमें दो बातें श्रीमन् के सामने रखना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जो आपने कहा कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट के अनुसार, धारा २१ के अन्तर्गत जो व्यक्ति इस कार्य के लिये नियुक्त किये जाने चाहिये थे वह सर्वेंट आफ दि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट ह । ऐसी बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यदि इस कार्य के लिये उनको नियुक्त किया गया था तो वह वहां पर भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं, बल्कि सदन के सर्वेंट थे। मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट का जो तात्पर्य है, उसके लिये मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उसका शाब्दिक अर्थ लेना पड़ेगा। स्टैंचुअरी अर्थ तो लेना है, लेकिन शाब्दिक अर्थ भी लेना पड़ेगा। बहुत सारे बाडीज ऐसे हो सकते हैं...

श्री अध्यक्ष---

शाब्दिक अर्थ क्या है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

वह शाब्दिक अर्थ ऐसा कि आपने कांस्टीटयूशन के आर्टिकिल १२ को पढ़ा था और उसमें आपने यह कहा कि स्टेट का अर्थ यह है कि वह गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर दोनों को कंप्राइज करती है और उससे आपने तात्पर्य यह निकाला कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर दोनों भिन्न चीजें हैं। कुछ अर्थों में वह भिन्न हैं। इस अर्थ में भिन्न हैं कि यह लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का अंग नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर के जो अधिकारीगण हैं क्या वह गवर्नमेंट के अधिकारी हैं या नहीं? यह दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं और आर्टिकिल १२ के अन्तर्गत ...

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न पर मैं आपकी स्पेसिफिक राय चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं उसके बारे में श्रीमन् से कह रहा था कि यह सदन लेजिस्लेचर के लिये कुछ धनराशि निकालता है और उस धनराशि के अन्तर्गत लेजिस्लेचर का कार्य चलता है जिसमें अधिकारियों के एमालूमेंट्स भी हैं। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट का तात्पर्य है उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाना चाहिये इस सन्दर्भ में।

श्री अध्यक्ष---

यह मेम्बर्स आफ दि हाउस हैं, एम० एल० एज वगैरह, उनके लिये भी तनख्वाह निकाली जाती है तो इस आधार पर क्या आप यह कहेंगे कि वह भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट हो जाते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

उसके लिये एक अलग एनेक्टमेंट है और .....

श्री हुकुम सिंह---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्होंने श्री गंगाराम तलवार के बारे में जो शब्द कहे, उनकी बात को उन्होंने आप के सामने तोड़ मोड़ कर रखा है और उसके लिये आप ने स्वयं उनको टोका मेरा निवेदन यह हैं कि वहां पर हाउस में जो भी बहस हो रही है और नियमों की जिस प्रकार परिभाषा दी जा रही है वह सही नहीं है। विरोधी दल में बैठने वाले लोग रोज इस प्रकार घंटों वेस्ट कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

एक वैधानिक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण ढंग से सदन के सामने आ रहा था। उस में माननीय तलवार जी ने कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाया बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह सब सुन रहे हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की कि मेरी बात को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा और सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर के आप सुन लें। दो मिनट में जो बात समाप्त हो सकती है उस को लम्बा करने से समय व्यर्थ ही नष्ट होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं यह कह रहा था कि जहां तक कि सदस्यों का प्रश्न है उन की स्थिति और उनके संबंध में वैधानिक स्थिति का पूर्ण निर्णय पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अन्दर आ जाता है। यह स्पेशल इनऐक्टमेंट है, विशेष प्रकार का कैडर है, लेकिन जहां तक सदन के अधिकारियों का प्रश्न है वे 'फार आल परपजेज' सभी बातों के लिये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि वे गवर्नमेंट से इमाल्यूमेंट्स पाते हैं इनडायरेक्ट वे में और उनकी कोई अलग स्थिति नहीं है इसलिये वे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं---केवल उसी संदर्भ में। मैं पुनः आपका ध्यान अपनी प्रक्रिया नियमावली के नियम ३०९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इसको पंक्तिवार पढ़ने से शायद इसमें कुछ और तथ्य निकलेंगे---

"सभा द्वारा निर्वाचन---जब किसी अधिनियम के अनुसार (यहां पर रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अनुसार) अथवा अन्यथा सभा के सदस्यगण अथवा उनके एक भाग को किसी सार्वजनिक संस्था के लिये (यानी कौंसिल आफ स्टेट और यहां की परिषद् के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना हो तो सचिव इस संबंध में प्रार्थना किये जाने पर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अध्यक्ष के निदेशानुसार तथा उनके द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, निर्वाचन करने का प्रबन्ध करेंगे।"

मेरे मन में तो केवल एक ही विचार रहा है कि जब से हमारे लेजिस्लेचर का निर्माण हुआ तब से यह निरन्तर परिपाटी रही है कि कौंसिल आफ स्टेट के लिये तथा परिषदों के लिये सदन निर्वाचन यहां की परिसीमा अथवा परिसर के अन्तर्गत होते रहे हैं और साथ ही अधिकारीगण करते रहे हैं, और यहीं नहीं आपके आदेश के अनुसार आपके अधिकारीगण रिटर्निंग आफिसर्स और अन्य अधिकारियों के रूप में कार्य करते रहे हैं। मेरा अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि यह चुनाव भी नियम ३०९ के अन्तर्गत हुए और आपके आदेशानुसार हुये। यदि हुये तो आप मुझे यह कहने की अनुज्ञा दें कि माननीय तलवार साहब का जो कथन है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं माननीय राजनारायण के संबंध में एक शब्द नहीं कहना चाहता, न यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया या क्या हुआ। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि जो कार्य यहां के अधिकारीगण कर रहे थे वह नियम ३०९ के अन्तर्गत कर रहे थे, आपके आदेश से कर रहे थे और यदि उस कार्य में बाधा डाली गयी तो निश्चित रूप से वह सदन का अवमान है।

(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, आप आधा मिनट में समाप्त करें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने आदरणीय तलवार जी ने एक मौलिक प्रश्न उठाया कि जो हाउस के आफिसर्स हैं वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं या सर्वेन्ट्स आफ दि हाउस हैं। अगर सर्वेन्ट्स आफ दि हाउस हैं तो आपका प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं तो विधान सभा के प्रेसिंक्ट्स के बाहर भी कोई घटना हो जाय तो सिविल लाज में प्रोटेक्शन मिलता। तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट के सर्वेन्ट्स है या सर्वेन्ट्स आफ दि हाउस हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं तो रिटर्निंग आफिसर्स हो सकते हैं और अगर नहीं हो सकते जैसा कि माननीय तलवार ने पीपुल्स ऐक्ट का हवाला दिया तो केवल गवर्नमेंट सर्वेन्ट ही रिटर्निंग आफिसर हो सकता है। इस तरह से सारा इलैक्शन ही फिर व्आयड हो गया। फिर इलैक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को ही इस काम को सुपुर्द क्यों नहीं कर दिया? जो संविधान का अनुच्छेद १७१ है उसको आप देखें—उसमें यह है कि असेम्बली के मेम्बर ही विधान परिषद और राज्य सभा का चुनाव करायेंगे। माननीय सदस्य, विधान सभा, उस चुनाव में भाग ले रहे थे और उनको आब्सट्रक्ट किया गया या नहीं, यह प्रश्न विचारने योग्य है? दूसरे जो आफिसर्स वहां उस कार्य को करा रहे थे वे सर्वेन्ट आफ दि हाउस थे या नहीं। मेरा कहना यह है कि श्री मित्तल, श्री सहाय और मार्शल सर्वेन्ट आफ दि हाउस थे और इसलिये यह सदन के अवमान का प्रश्न बनता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। उस समय जो भी आफिसर्स वहां काम कर रहे थे वे सभी रिटर्निंग आफिसर के मातहत काम कर रहे थे और वे उन्हीं के अधिकार में थे। वहां पर जो पुलिस बुलाई गयी थी वह भी आपके आदेशों से न बुला कर रिटर्निंग आफिसर के आदेशों पर आयी थी। वह केवल चुनाव कराने के ख्याल से आयी थी कि चुनाव में कोई गड़बड़ी न होने पाये। पुलिस के करीब ५० आदमियों की टुकड़ी वहां पर मौजूद थी। दूसरी बात यह कि इलैक्शन के लिये उस समय जो कमरे नियत थे वे भी उस समय रिटर्निंग आफिसर के चार्ज में थे। मैं एक उदाहरण पेश करता हूं। मान लीजिये रिटर्निंग आफिसर इस इलैक्शन को यहां न कर के कहीं दूसरी जगह करता। तब क्या स्थिति होती? वहां पर भी पुलिस आती.....

श्री अध्यक्ष—

पुलिस के संबंध में मैं कल कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर चुका हूं, अब तो केवल एक व्यक्ति विशेष के संबंध में प्रश्न है, उसी पर आप अपना मत व्यक्त करें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं केवल इतना कह रहा था कि पुलिस वहां रिटर्निंग आफिसर के आदेशानुसार आयी। उस दिन अगर कोई घटना होती तो उसकी रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर को होती या थाने में हो सकती थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस दिन जो कार्य हुआ वह सदन का कोई कार्य नहीं था। नियम ३०९ का जो उदाहरण दिया गया वह केवल सार्वजनिक संस्थाओं के लिये निर्वाचन आदि से संबंधित है। यह जो विधान परिषद्, और राज्य परिषद् हैं यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

सार्वजनिक संस्थाओं में नहीं आतीं। ये सार्वजनिक संस्थायें नहीं हैं। ये तो कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक, विधान के मुताबिक स्टेट्यूटरी बाडीज हैं। ये कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक यहां बनाई गई हैं। इसलिये इनके लिये कोई चुनाव किया जाय तो वह सार्वजनिक संस्था के लिये नहीं है। कमेटीज या बोर्ड्स के लिये चुनाव करते हैं। इसलिये वह इस परिधि में नहीं आता है, मैं इतना कह कर ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि अब कोई माननीय सदस्य इस पर बोलने का कष्ट न करें। मेरे सामने जो प्रश्न था उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिये जिसके लिये मैं उनका अनुग्रहीत हूं। मुझे उन विचारों से पर्याप्त प्रकाश मिला। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने प्रक्रिया नियमावली का नियम ३०९ पढ़कर सुनाया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके के चुनाव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे जो कान्स्टीट्यूशन की आर्टिकिल १७३ है उसमें इसका प्राविधान है। उनके शब्दों को मैं अंग्रेजी में ही पढ़कर सुना देता हूं। माननीय सदन, आशा है, मुझे क्षमा करेगा।

"The representatives of each State to the Council of State shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the proportional representation by means of single transferable vote."

इसी तरह काउन्सिल के लिये इलैक्टेड मेम्बर्स आव दि लैजिस्लेटिव असेम्बली आव् दि स्टेट ३०९ में है। यह बिलकुल साफ है। मान लीजिये कि सार्वजनिक संस्थायें जैसे इन्टरमीडियेट बोर्ड या और कई संस्थायें हैं जिसमें चुनाव कराते हैं इसका सचिव विधान सभा प्रबन्ध करते हैं। परन्तु जो चुनाव अभी हुए हैं इसका प्रबन्ध स्वयं सचिव नहीं करते हैं। केवल इलेक्शन कमीशन से मांग होने पर कराते हैं। मेरा विचार है कि ३०९ का ऐसे इलैक्शन से जैसे राज्य सभा या काउन्सिल का होता है जो इलेक्टेड सदस्य करते हैं उससे सम्बन्ध नहीं है। बात तो हमारे सामने यह है जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी का आरोप है कि माननीय राजनारायण जी ने कुछ बातें वहां पर कही या की जिससे जो हमारे इस सदन के अधिकारी थे उनके कार्यों में आबस्ट्रक्शन हुआ। तो अब प्रश्न यह है कि वह आबस्ट्रक्शन इस सदन के अवसान की सीमा तक आता है या नहीं। उसके लिये देखना होगा कि उस समय जो कार्य हो रहा था वह इस सदन का कार्य था अथवा नहीं। दो बातें है सदन के अधिकारी हैं। या सदन का कार्य करते हैं। माननीय सदस्यों मे मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के १२६–१२७ पृष्ठ पर जिन रूलिंग्स का हवाला दिया उनमें बहुत से केसेज का उदाहरण है। मैंने उन सभी को देख लिया। सभी का सार यह है कि:

"It is a contempt to obstruct officers of either House or either persons employed by or entrusted with the execution of the orders of either House while in the execution of their duty."

इसमें कठिनाई यह है कि माननीय सदस्यों ने "व्हाइल इन दि एक्जीक्यूशन आफ देयर ड्यूटी" को तो देखने का कष्ट किया लेकिन इन दी एक्जीक्यूशन आव दि आर्डर्स आव दि आनरेबल हाउस" की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको यह देखना होगा कि वह कार्य जो कर रहे थे इन दि एक्जीक्यूशन आव दि आर्डर्स आब दिस हाउस कार्य था या और कोई कार्य था। मैं यह समझता हूं कि यह सदन की आज्ञा द्वारा किया हुआ कार्य नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन इस सारे चुनाव का प्रबन्ध करता है। इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वह कुछ सरकारी अधिकारियों की, लोकल आथारिटीज के अधिकारियों की सेवाओं को मांग लें। माननीय तलवार जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बड़ा मौलिक प्रश्न है। उस प्रश्न पर आसानी से मत नहीं दिया जा सकता कि इस विधान सभा के कर्मचारी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इस कसौटी पर, उस परिभाषा में आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर बहुत दिनों से लोगों

का मतैक्य नहीं है, तथा कई रायें इस बारे में चल रही हैं। जिस रिपोर्ट का माननीय तलवार जी ने उद्धरण दिया उस रिपोर्ट को एक तरह से अभी सरकार ने भी नहीं माना है। जो एडवोकेट जनरल हैं, उनका मत उसके पक्ष में जरूर है। सरकार पूरी तरह से इस बात को नहीं मानती कि यहां के अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं। उनके मत में वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट अवश्य हैं। लेकिन आज इस समय मेरे लिये इस पर कोई निर्णय देना आवश्यक नहीं है और माननीय तलवार भी ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने केवल इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। इस बारे में उन्होंने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की न व्यवस्था चाही है। इसलिये उस पर निर्णय देना आवश्यक नहीं है। हालांकि यह मैं मानता हूं कि यह एक प्रश्न विचारणीय है और जिस पर किसी न किसी दिन अन्तिम निर्णय करना ही पड़ेगा और हो जायगा। किन्तु एक बात में मैं स्पष्ट हूं कि यहां के अधिकारीवर्ग जो कार्य कर रहे थे, वह सदन के द्वारा निर्दिष्ट कार्य नहीं था। जब तक वह सदन का कार्य नहीं होता, उसमें बाधा पड़ना, सदन का अवमान नहीं हो सकता। इसलिये मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को अग्राह्य मानता हूं और आगे इस पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझता। उसके लिये अलग कानून और नियम हैं। अगर किसी आदमी को कोई शिकायत होगी तो उन नियमों के अनुसार सुरक्षा प्राप्त करने का वह अधिकारी होगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय सदस्य भी तो उसमें कार्य कर रहे थे। अधिकारियों के बारे में तो आपने कहा लेकिन सदस्यों के बारे में भी प्रश्न में जिक्र था ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अभी तक किसी माननीय सदस्य ने कहा नहीं कि वह कोई ऐसा कार्य था जो सदन का था और माननीय सदस्य उसको कर रहे थे। बहरहाल वह सदन का कार्य नहीं था, इसलिये किसी से किसी आचरण से वह सदन के कार्य में बाधा नहीं हुई और अधिकारीवर्ग सदन के द्वारा कई निर्दिष्ट कार्य कर नहीं रहे थे। इस कारण से मैं उसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं मानता।

श्री राजनारायण सिंह के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में श्री कृष्णानन्द राय आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न और आया है जो इसी विषय से संबंध रखता है। माननीय उग्रसेन जी ने कहा है कि माननीय कृष्णानन्द राय ने सदन को जो विशेषाधिकार की सूचना दी है वह गलत है, इसलिये उन्होंने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। चूंकि मैंने उस तथ्य को ही नहीं माना है और उसको अग्राह्य घोषित किया है, इसलिये मैं इसको भी अग्राह्य समझता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मुझे एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप मेरे कहने के पूर्व उठते तो मैं आपको मौका दे देता, लेकिन अब तो मैं उस संबंध में अपनी रूलिंग दे चुका।

श्री उग्रसेन—

मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है माननीय कृष्णानन्द राय जी आदि के विरुद्ध वह तो साबित हो गया। क्योंकि उनका केस प्राग्दर्शन में सिद्ध नहीं हुआ। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की एक लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस तो हमारे लिये बड़ी आदरणीय पुस्तक है लेकिन चूंकि मैं उनके विशेषाधिकार के प्रश्न को अग्राह्य घोषित कर चुका हूं इसलिये आपका भी प्रश्न अग्राह्य हो गया। अगर मेरी रूलिंग के पूर्व आप मुझे बीच में भी रोक देते तो मैं आपको शायद अवसर दे देता। कृपा करके इस समय मुझे आप क्षमा करें।

महिला मंगल योजना की महिला कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की तीन महिलायें अनशन कर रहीं थीं। श्रीमती जैन ३ जुलाई से, श्रीमती त्रिपाठी ६ जुलाई से और कल से उस अनशन में शामिल हो गयीं श्रीमती माया देवी और उनका अनशन जारी है। उनमें श्रीमती जैन अधिक कमजोर हो गयी हैं। उनका और श्रीमती त्रिपाठी का मेडिकल एगजामिनेशन तीन-चार बार हो चुका है। सुबह आज साढ़े ७ बजे हुआ तो श्रीमती जैन कमजोर हैं लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। उनसे कल ही और गालिबन परसों भी डाक्टर ने यह कहा था कि वे ग्लूकोज लेने लगें और अस्पताल चलें लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। जहां तक श्रीमती त्रिपाठी का सम्बन्ध है अपेक्षतया उनकी हालत अच्छी है। उनकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी कि श्रीमती जैन की। श्रीमती माया देवी की हालत साधारण है यानी नार्मल है। उनका अनशन चल रहा है। अनशन उनका इस बात पर है कि समाज कल्याण विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी छंटनी की जा रही है। इसके विरुद्ध उनका कहना यह है कि छंटनी न की जाय और अगर छंटनी की जाय तो सबको पहले ही स्थान दे दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, इस सिलसिले में गवर्नमेंट की यह कोशिश होगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्थान दिया जाय यानी जितना सम्भव हो। मसलन हमारे यहां बहुत-सी कन्या पाठशालायें हैं जिनमें अध्यापिकाओं की आवश्यकता है और अधिक पाठशालायें नहीं खुल पायी हैं अध्यापिकाओं की कमी की वजह से। तो उनमें बहुत ज्यादा खपत हो सकती है। इसी तरह से हमारे यहां दाइयों की बहुत जरूरत है, नर्सों की बड़ी कमी है। हमारे अस्पतालों में पुरुष नर्सों का काम करते हैं जब कि यह स्त्रियों का ही काम है। हमारे यहां पर केराला तक से महिलाएं आयी हैं जो कि नर्सों का काम करती हैं। नर्सों के काम करने के पहले उन्हें एक ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान उन्हें अच्छी छात्रवृत्ति मिलती है। इस समय हमें २५० नर्सों की आवश्यकता है। यदि ये महिलायें इस ट्रेनिंग को ले लें तो उन्हें नर्सों की जगह काम मिल सकता है।

एक और ऐसी जगह है जहां पर बहुत सी महिलायें लग सकती हैं और वह है फेमिली प्लानिंग का काम। तो उनको उस विभाग में जगह देने की कोशिश की जा रही है। सरकार यह पहले भी कह चुकी है कि उनको इस विभाग में जगह देने का प्रयास करेगी, लेकिन उनका आग्रह है और वे यह चाहती हैं कि बिलकुल छंटनी न की जाय और सरकार की ओर से यह आश्वासन हो कि हर एक को जगह दी जाय तो हम इस तरह का कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं हैं कि हर एक महिला को जगह दी जाय।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, नोटिस देने और बयान देने का मैं आपकी इजाजत से गवर्नमेंट की जो नीति है फास्ट वगैरह के सिलसिले में, वह अर्ज कर देना चाहता हूं। यह तरीका कि अनशन करके सरकार को मजबूर किया जाय कि वह अपने किसी निर्णय को बदले, अध्यक्ष महोदय, यह जनतन्त्र के लिए घातक है। वे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं बहू, बेटियां हैं और उनके लिए जितना हम कर सकते हैं करेंगे और जो भी गवर्नमेंट होगी वह उनके लिए करेगी। अध्यक्ष महोदय, उनकी सहायता करने का हमने वचन दे दिया है, लेकिन अगर वे यह चाहती हों कि फास्ट करके, सत्याग्रह या इस तरह का अनशन करके वे सरकार को मजबूर करें कि वह अपने निर्णय को बदले, तो अगर सरकार इस तरह से अपने निर्णय को बदल देती है तो वह जनतंत्र के लिए घातक है। सरकार के निर्णय से जो लोग सहमत नहीं हैं तो उन के लिए एक ही रास्ता है अगर वे सरकार के निर्णय को बदलवाना चाहते हैं कि इलेक्शन के जरिये अपनी तादाद ज्यादा करें और अगर इलेक्शन दूर हों और वे इस तरह का काम करना चाहते हैं तो विधान सभा के सदस्यों को हक है कि उस गवर्नमेंट को निकाल दें। अगर निकाल दी जायगी तो आपको अख्तियार होगा कि आप जो चाहें निर्णय लें। लेकिन अगर उस वक्त आपके निर्णय के विरुद्ध भी ऐसी ही बात हो तब भी मेरी राय फास्ट वगैरह के सिलसिले में जो आज है वही होगी। सदन में अगर मेजारिटी से ऐसा डिसीजन हो जाय तो वह गवर्नमेंट को बाइन्डिंग होती है। तो इस तरह से मेरिट्स को बिलकुल छोड़ कर इसके लिए सरकार अपने निर्णय को बदले, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि कहीं दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती। पहले गवर्नमेंट डंडे के जोर से, वायलेंस के जरिये, अर्थात् जिसके हाथ में तलवार रहे या जिसके हाथ में ताकत रहे चला करती थी। अब सरकार बैलट के जरिये से, वोट्स के जरिये से जनता के मत के जरिए से चलती है और अब एक तीसरा जरिया निकलेगा कि जो फास्ट कर ले। फास्ट के तरीके से गवर्नमेंट की नीतियों को बदलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की यह नीति है कि फास्ट के जोर से यह सरकार अपने निर्णय को बदलने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न हमारे सामने बार-बार आये और उसको नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने अस्वीकार कर दिया था। मैंने यह भी कह दिया था कि इस पर मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये वक्तव्य दिला देता हूं। नियम ५१ और वक्तव्य में यही अन्तर है कि नियम ५१ में आधा घंटे का समय होता है प्रश्न करने के लिए, जब कि वक्तव्य में ऐसा नहीं है। हां, अगर कोई माननीय सदस्य एक, आध स्पष्टीकरण करना चाहें तो उसकी अनुमति मैं दे देता हूं। यह परिपाटी वक्तव्य की जो डालने का मैं यत्न कर रहा हूं वह इसलिये कि अगर माननीय सदस्यों की इच्छा हो और सरकार वक्तव्य दे सके तो दे। मैं दो मिनट अलाऊ करूंगा स्पष्टीकरण के लिये केवल उन माननीय सदस्यों को जिनकी सूचना थी।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मुख्य मंत्री ने यह बताया कि जितनी स्त्रियों को रिट्रेंच किया जा रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा स्थान देने जा रहे हैं। उसमें से एक सुझाव यह है कि उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिये सुविधा देंगे। मैं जानना चाहती हूं कि जिन बहनों ने १५,१५ साल तक इस विभाग में काम किया है और २५०, ३०० रु० तनख्वाह पा रही हैं उनको ट्रेनिंग पीरियड में १०० रु० का वजीफा दिया जायगा जिसमें से ६० रु० तो उनको मेस में जमा करना होगा, ३३ रु० फीस के रूप में देने होंगे, १,३९० रु० सेक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। इस तरह से १०० रु० में से ९६,९७ रु० तो उनके ऐसे निकल जाते हैं, ३,४ रु० पाकेट खर्च के लिये बचत हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप तो स्टेटमेंट दे रही हैं। स्पष्टीकरण करायें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

सवाल यह है कि आप उनकी रोजी छीन कर के उस के बदले में रोजी देने जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग आप देंगे वह उसी प्रकार है जैसे एक एम० ए० पास विद्यार्थी फिर से ए, बी, सी, डी सीखे...

श्री अध्यक्ष---

आप क्या स्पष्टीकरण चाहती हैं, वह पूछें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

नर्सिंग की ट्रेनिंग क्या मुख्य मंत्री जी की समझ में उन औरतों को रोजी देना है....

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी ने नर्सिंग ट्रेनिंग के अलावा अध्यापिकाओं का भी जिक्र किया है। आप स्पष्टीकरण कर लें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जो अल्टरनेटिव सुझाव मुख्य मंत्री जी रख रहे हैं उससे उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो जो यह कहा गया कि आलटरनेटिव जॉब देंगे उस संबंध में मैं कह रही हूं कि ट्रेनिंग रोजी नहीं है। क्या मंत्री जी समझते हैं कि ट्रेनिंग उनकी नौकरी है? और अध्यापिकाओं में कितनी लेंगे और फेमिली प्लानिंग में क्या स्कीम बनायी है, कितनी संख्या में स्त्रियों को लने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

आपने तो कई एक प्रश्न पूछ लिये। कोई एक प्रश्न इन सारी बातों के आधार पर पूछ लें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जो अलटरनेटिव जॉब माननीय मुख्य मंत्री जी देने जा रहे हैं उस से क्या उन महिलाओं की, जिनकी १५ साल की रोजी छीन रहे हैं, उनकी रोजी की समस्या का समाधान हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष---

स्पष्टीकरण की परिभाषा से बहुत आगे आप का सवाल निकल गया। म एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार फिर नियम ५१ और वक्तव्य में कोई अन्तर नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि नियम ५१ में जिन को स्वीकार कर सकूं केवल वही भविष्य में स्वीकार करूं। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर आप माननीय सदस्या की शंका का समाधान कर सकते हैं तो करें।

श्री चरणसिंह---

जो प्रश्न माननीया सदस्या ने उठाये हैं उन पर मैं इस समय तफसील से कुछ कहने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि अभी तफसील में हमने विचार नहीं किया और न महिलाओं का यह जहन बना है कि वे वहां जाने के लिये तैयार हैं।

(माइक खराब होने पर)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माइक खराब हो गया है इसलिये सदन को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो माइक खराब होने के कारण सदन को २ बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

(किसी के आपत्ति न करने पर सदन १ बजकर २७ मिनट पर स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष—

यह माइक तो ठीक है । मैं व्यवस्था देखूंगा, अगर आवश्यकता हुई तो कंटेक्ट को या व्यवस्था को बदलूंगा । माननीय रामनरेश जी आप आगे आ जाइये और विशेष परिस्थिति में काम चला लीजिये ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मुख्य मंत्री ने यह कहा कि जनतंत्र का यह ढंग है कि चुनाव बैलट से हो और जो सरकार बने वह जो चाहे करे अपनी जगह पर ठीक है ? जनतंत्र का जो नया सिद्धान्त है संसार में और भारत में वह माननीय न्याय मंत्री जी को मालुम होगा । अभी माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक लेख लिखा है कि यह समझौते की सरकार है और समझौते से ही जनसंघ चलता है तो मुख्य मंत्री जी या कोई भी मंत्रि-मंडल का सदस्य, जो भूख हड़ताल कर रही हैं महिलायें या उर्दू के प्रश्न पर जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, ने उनसे बातचीत की या सरकार की नीति बताई कि इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिये या तानाशाह की तरह से यहां बैठे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न माननीय शुक्ल जी ने किया उसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कृपा करके वे नियमों को ध्यान में रख कर प्रश्न किया करें। नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न होते हैं। इसके लिये आध घंटे का समय होता है । ५-१० मिनट माननीय मंत्री जी के भाषण में निकल जाते हैं और २० मिनट का समय मैं दे सकता था अगर नियम ५१ में लिया होता । लेकिन माननीय शुक्ल जी ने जो सवाल उठाया वह सिद्धान्त और नीति का प्रश्न है । आपने मौलिक बात रखी है जो अपनी जगह पर ठीक हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात रखी वह अपनी जगह पर ठीक हो सकती है।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है तो यह तय हो गया है कि सरकार नहीं चल सकती है। अकेली सीता के ऊपर, अकेली द्रौपदी के ऊपर...

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरियाना जी, यह कोई रामायण और महाभारत की बात नहीं है । मेरा बहुत ही दुखद कर्त्तव्य होता है कि मैं किसी माननीय सदस्य को कोई बात कहने से रोकूं। लेकिन मैं विवश हूं क्योंकि मेरा कर्त्तव्य है कि आपको परिधि के अन्दर ही कहने की इजाजत दूं जो नियमों से अपेक्षित है । आप कोई सिद्धान्त प्रतिपादित मत कीजिये । कोई स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो वह बहुत संक्षेप में कर दीजिये ।

श्री केशव देव—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जो छंटनी की गई है महिलाओं की और दूसरे काम पर उनको लिया जायेगा तो क्या उनको वही ग्रेड दिये जाने की कृपा की जायेगी ?

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

जो स्थिति थी वह माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कर दी ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

चूंकि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा हम तमाम महिलाओं को काम देने के लिये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ महिलाओं को कन्या पाठशालाओं, नर्सेज या फेमिली प्लानिंग में लगायेंगे मैं इस संबंध में जानकारी चाहूंगा कि जो शेष महिलायें साढ़े तीन हजार हैं वह सारी की सारी पोस्ट ग्रेडुएट या इंटरमीडिएट तो हैं नहीं बल्कि १८ सौ केवल जूनियर हाई स्कूल या विद्याविनोदिनी हैं क्या वह महिलायें समाज के उपेक्षित अंगों में आगे बढा दी जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मैं अपनी सरकार को बता दूं कि बेरोजगार छंटनी किसी माननीय सदस्य को बरदाश्त नहीं होना चाहिये। (व्यवधान) ये इसको राजनीतिक प्रश्न बनाते हैं। मैंने कई माननीय मंत्रियों से बात भी की।

श्री अध्यक्ष—

फिर वक्तव्य पर आ गये।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"

मैं एक सवाल करना चाहता हूं। नर्सिंग ट्रेनिंग के सम्बन्ध में जो स्टाइपेंड की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, सारे खर्चे के बाद सात रुपये शेष रह जायेंगे। और चार साल की ट्रेनिंग होगी। फिर ट्रेनिंग के लिए कहेंगे कि जिन्होंने साइंस के साथ पास किया हो उनको लिया जायगा। तो इस प्रकार यह महिलाएं नहीं आ सकेंगी। तो मैं कह दूं मंत्री जी से कि जो उन्होंने यह कह दिया कि शेष के लिए कोई कमिटमेंट नहीं, बाहर महिलाएं आमरण अनशन कर रही हैं, और आमरण अनशन की पवित्रता गांधी जी.....

श्री अध्यक्ष—

अच्छे वक्ताओं की कमजोरी होती है कि वक्तृता देने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मैं वक्तृता नहीं दे रहा हूं। जो मैं कहना चाहता हूं उसको श्रीमन् समझ ही रहे हैं मैं उनसे भी कह दूं, वह एस वी डी के महामंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनसे बाहर कहिएगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मेरे जैसे सदस्य खामोशी से बैठे रहें वह सम्भव नहीं होगा। जब बाहर व्यवस्थाएं टेंगी तो अन्दर भी उसका प्रभाव प्रतिबिम्बित होगा। हमारी बहनें, बहू, बेटियां हैं जो दूअनशन कर रही हैं। कितने मंत्री उनको देखने गये ?

श्री श्यामलाल यादव--

और बहुत सी बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा। इतना ही कहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को काम देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री ने नौकरी या ट्रेनिंग देने की बात कही जिन महिलाओं की एज ज्यादा हो गयी है, अध्यापिका के पद के लिए या नर्सिंग ट्रेनिंग में लिए उनके लिए एज एग्जेम्प्ट कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं जरा परिवर्तित कर दूं। प्रश्न यह है कि उनको एडमिट करने के लिए जो एज रेस्ट्रिक्शन है उनको रिलैक्स करेंगे ?

उसकी जो परिधि है उसको कुछ भुलाकर इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री श्यामलाल यादव--

नियुक्ति के बारे में सहृदयता से विचार किया जाएगा। यें समझता हूं उनकी अवस्था इसमें बाधक नहीं होगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं केवल महिला सदस्यों को अवसर दूंगा।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--

मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण करना चाहती हूं कि जो महिलायें अनशन कर रही हैं क्या हमारे मुख्य मंत्री जी या अन्न मंत्री उनको देखने के लिये गये हैं ?

दूसरी बात यह पूछना चाहती हूं कि यह जो महिला मंगल योजना चल रही थी जिसको समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो इससे जो महिलायें खाली होंगी उनको दूसरी जगह पर रखा जायगा तो क्या वहां पर पैसा खर्च नहीं होगा ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि जो महिलायें पढ़ाने, नर्सिंग या दूसरे कामों में लगाई जायगीं तो उनके परिवार या उनके बच्चों का खर्चा यह सरकार उठायेगी और उनकी सर्विस को कंटीन्यू माना जायेगा ?

श्री श्यामलाल यादव--

मैं तो उनको देखने के लिये नहीं गया। अन्य के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। शेष बातों का उत्तर दिया जा चुका है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि इस महिला मंगल योजना की आवश्यकता इस सरकार को महसूस नहीं होती और बहुत सी बहनों को यह सरकार अलग कर रही है तो जब उनको दूसरे काम में लगायेंगे उस पर सरकार का खर्चा होगा तो इससे क्या इकोनामी होगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ चुका है।

श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई)--

यह जो महिलाओं का अनशन चल रहा है उसमें एक दो महिलाओं की हालत खराब है तो क्या हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार उनको कोई आश्वासन देकर अनशन तुड़वाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्वक्ष--

इसका भी उत्तर आ चुका है ।

श्री त्रिवेणी--

श्रीमन्, यह बड़ा अहम प्रश्न है और कुछ महिलायें मौत के निकट हैं । उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं । इस विषय को तो मैं क्लोज कर चुका ।

श्री राज बहादुर--

श्रीमान्, जिस समय माननीय राकेश अपनी बात समाप्त कर रहे थे, आपने कहा था कि अब मैं किसी पुरुष को बोलने का अवसर नहीं दूंगा । उस के बाद ही श्री त्रिवेणी राय जी खड़े हुए । तो मैं जानना चाहता हूं कि वे किस श्रेणी में आते हैं ?

श्री अ यक्ष--

अब यह मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं ।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री । मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदन को इससे (माइक से) असुविधा है और मुझे इस बात का असंतोष है कि जो इसके व्यवस्थापक हैं उनकी भी इसमें कुछ जिम्मेदारी है । मैं इसको देखूंगा ।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, वह लेबर की ग्रान्ट एक बहुत महत्व का विषय है और इस पर इन परिस्थितियों में विचार होना संभव नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजाराम जी ने ठीक ही कहा है कि यह महत्व का विषय है । मैं इस को मानता हूं । चार, छः मिनट देखता हूं कि वह व्यवस्था ठीक हो रही है अथवा नहीं । ठीक रहेगी, तभी यह सदन चलेगा । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है तो ऐसी हालत में फिलहाल काम चलाने का यत्न करें । यदि काम नहीं चल सकेगा तो थोड़ी देर के लिये बढ़ा दूंगा ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय घड़ी में २.२० हो रहा है और यह बड़ा महत्व का विषय है, लेबर का । तो मैं यह चाहूंगी कि इस के लिए समय बढ़ा दिया जाय, क्योंकि अपने भाषण में एक घंटा तो माननीय मन्त्री जी ही लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, समय की बात हम देख लेंगे। अभी जरा चलने दें। क्या व्यवस्था होगी, क्या करना पड़ेगा, उस सब के लिए काफी समय है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)

माननीय मंत्री जी ग्रान्ट बाद में पेश करें तो क्या हर्ज है ?

श्री त्रिवेणी--

जब माइक खराब है तो उनकी बात हम सुन नहीं पायेंगे। इससे तो अच्छा है कि वह बजट हमको दे दें। हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

बजट तो दिया जा चुका है, और उसमें पूर्ण विवरण है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, यह श्रम विभाग का जो बजट है वह बहुत ही जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

इसे मैं मानता हूं। मेरा माइक बोल रहा है, आपका माइक चल रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं, उसे आप सुन लें। मैं यह मानता हूं कि विषय महत्वपूर्ण है और जो व्यवधान होगा उसे हम पूरा कर लेंगे।, लेकिन कितना व्यवधान होगा, और कितना समय बढ़ाना पड़ेगा उसे हम बाद में तय कर लेंगे। आप की अनुमति से हम अगर आवश्यक होगा, तो सदन का समय बढ़ा लेंगे।

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७-श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४६,३२,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन, हुये)।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, इस बजट के प्रस्ताव को पेश करते हुये मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं, कि अप्रैल, १९६७ के प्रथम सप्ताह में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त इस समिति में प्रशासन को प्रभावशाली बनाने, बचत करने और श्रमिक वर्ग के हितों को सुरक्षित करने का अधिक से अधिक प्रयास किया है। श्रमिकों की मांगों को पूरा करने की प्राथमिकता दी गयी है और इस के जिन नियोजकों ने श्रम कानूनों, अभिनिर्णयों और समझौतों के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया, उनके प्रति प्रभावशाली उपाय किये गये हैं। नियोजकों द्वारा उनका प्रतिपालन कराने के लिए बड़ी दृढ़ता के साथ कदम भी उठाये गये हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में गम्भीर परिस्थितियों का निराकरण हुआ और बहुत ही विषम विवादों में समझौते सम्पन्न हुए, जिससे उन प्रतिष्ठानों में दीर्घकालीन आधार पर औद्योगिक शान्ति पुनः स्थापित हुई। इन विषयों को मैं अलग से लूंगा। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दे कर कि शिकायतों के मिलने पर उन्हें उन के प्रति अपना व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, और उन शिकायतों की जांच-पड़ताल अविलम्ब की जानी चाहिए प्रशासन की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये हैं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी पढ़ कर सुना रहे हैं, मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दत्ता, आप स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज किया, शासन को हाथ में लेने के उपरान्त ही इस बात का प्रयास नयी सरकार की तरफ से किया गया कि आज प्रशासन में जो ढिलाई है और विशेष तौर से प्रशासन को चुस्त करने के सिलसिले में जिस कार्यवाही की आवश्यकता थी उसको सरकार की तरफ से तत्काल किया गया। विभागीय अधिकारियों को इस बात का निर्देश भी किया गया कि जहां पर श्रमिकों की शिकायतें आयें उनकी न्यायसंगत मांगों को निपटाने के सिलसिले में तुरन्त प्रयास करें। जहां इन प्रयत्नों से प्रशासन में चुस्ती आयी है, साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास किया गया कि कार्यालयों का निरीक्षण किया जाय और उस अवसर पर जो कमियां दिखायी पड़ी और जिसकी जानकारी पहले से रही हो उन को भी दूर करने का प्रयास किया जाय। इस सन्दर्भ में जहां तक विभाग को पूरे तौर से देखने की बात थी और मितव्ययता करने की बात थी, इस बात को ध्यान में रखत हुये और श्रमिकों के हित का खयाल करते हुए जहां पर मितव्ययता की आवश्यकता थी, उसको हम ने किया मगर इस बात का ध्यान रखा कि श्रमिकों के हितों पर कोई उससे आघात न पहुंचे। इस से हमने इन दो महीनों के अन्दर ही २,८८,००० रुपये की बचत इस मद में की है।

जहां तक प्रशासन में मितव्ययता करने के उपायों का सम्बन्ध है विविध योजनाओं की सावधानी के साथ जांच की गयी और जो नयी योजनायें बहुत उपयोगी नहीं प्रतीत हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने विभागीय अधिकारियों को सम्बोधित करने का अवसर प्राप्त किया और उनका ध्यान मैंने श्रम कानूनों, समझौतों तथा अभिनिर्णयों के प्रभावशाली ढंग से और पूर्ण रूप से प्रतिपादित किये जाने की वांछनीयता के प्रति आकृष्ट किया। वर्तमान सरकार की नीति पक्षों के मध्य सन्तुलन लाने की रही है और रहेगी, किन्तु निश्चय ही वह श्रमिकों के अधिक अनुकूल होगी, जो कि अधिक निर्बल वर्ग है और जिसे अब भी नियोजकों से अपनी उचित मांगों को प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता है। इस सरकार की नीति श्रमिकों के खिलाफ नहीं होगी, उनके अनुकूल ही होगी। नियोजकों के साथ मेरी जो बैठकें हुई हैं, उनमें मैंने यह उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार ऐसे नियोजकों के प्रति कोई सहानुभति नहीं रखेगी और न उन्हें कोई छूट देगी, जो विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यो के प्रति उदासीन हैं। कोई भी उद्योगपति यदि वह श्रम कानून का पालन नहीं करेगा, समझौते तथा अभिनिर्णयों को नहीं मानेगा, उसके साथ कोई भी रियायत नहीं की जायेगी, यह इस सरकार की नीति है। उसका फल यह हुआ है कि औद्योगिक सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। मान्यवर, श्रम विभाग की इस नीति के साथ-साथ हमारा यह भी प्रयास रहा है कि औद्योगिक शान्ति का एरिया भी बढ़े, मजदूरों के साथ न्याय हो। जब मजदूरों के साथ न्याय होगा, तभी औद्योगिक शान्ति बढ़ सकती है। यह सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि श्रमिकों को न्याय मिले, उनकी न्यायसंगत मांगों को स्वीकार किया जाय। हम समझते हैं कि हमारी इस नीति से औद्योगिक शान्ति कायम रखने में हमें सहायता मिलेगी। मान्यवर, औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि जो भी समझौता हो उसका पालन हो और जहां तक सम्भव हो सामूहिक समझौते के सिद्धान्त को सदैव प्रतिपादित किया जाय।

मान्यवर, अक्सर देखने में आया है कि कहीं-कहीं पर एक से अधिक यूनियनें होती हैं। वहां पर यह दिक्कत आ जाती है कि किस यूनियन के साथ समझौता हो। शासन में आने के पहले और आने के बाद भी मैं इस बात को मानता रहा हूं कि एक फैक्टरी के अन्दर जो भी बहुमत वाली यूनियन हो उनसी को कलेक्टिव बारगेनिंग करने का हक हासिल हो इसके लिये मैंने जो माननीय सदस्य विरोधी पक्ष में बैठे हैं उनसे तथा जो इस तरफ बैठे हैं उनसे भी बातें की हैं। आल इंडिया फेडरेशन के लोगों से भी बातें की हैं। सभी का इसमें एक मत दिखाई दिया कि जो बहुमत प्राप्त यूनियन हो उसी को मान्यता मिलनी चाहिये। केवल उसमें दुनिया की स्थिति इस बात के लिये है कि बहुमत का फैसला कैसे किया जाय और ऐसी स्थिति में मेरे ऐसे लोगों का खयाल ऐसा रहा कि शासन की निष्पक्षता को स्थापित करने के लिये इस बात की आवश्य-

करता है कि बैलेट्स के माध्यम से इस बात का निश्चय किया जाय। मान्यवर, इस सन्दर्भ में जो मुझसे बात हुई श्रमिक नेताओं और श्रमिक संगठनों के लोगों से उसमें सरकार में ८०,८५ फीसदी इस राय के हैं कि आज यूनियन्स का रिप्रेजेन्टेशन बैलट्स से निश्चित होना चाहिये। मैं इस सन्दर्भ में इस बात को साफ तौर से कहना चाहता हूं कि चाहे ए० आई० टी० यू० सी० हो, चाहे आई० एन० टी० यू० सी० हो, चाहे हिन्द मजदूर सभा हो और चाहे हिन्द मजदूर पंचायत हो या यू० पी० टी० सी० के लोग हों या मजदूर संघ के लोग हों, शासन किसी के मामले में पक्षपात नहीं बरतना चाहता है। शासन की नीति है कि निष्पक्षता के साथ जिस फैक्ट्री के अन्दर जिस यूनियन का बहुमत हो उस यूनियन को काम करने का मौका दिया जाय और क्लैक्टिव बारगैनिंग के माध्यम से काम करने का मौका हो। जब हम जैसे लोग विरोध पक्ष में थे तो सरकारी पक्ष को शिकायत होती थी कि बहुमत प्राप्त यूनियन को दबाने की कोशिश होती है और ये सरकारी काठी से सरकारी यूनियन को चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिये मैंने अनुभव किया कि इस सम्बन्ध में श्रम विभाग की निष्पक्षता होनी चाहिये किसी पर दोषारोपण और लांछन न हो, बैलट्स के माध्यम से सब चीज तय हो ऐसा मैं महसूस करता हूं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सभी अखिल भारतीय संगठन और ट्रेड यूनियन्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बैलट्स द्वारा यूनियन्स की बात तय होनी चाहिये। लेकिन विरोधी पक्ष में बैठने वाले हमारे माननीय दोस्त, आई० एन० टी० यू० सी० के लोग और उनका एक वर्ग चाहता है कि आज बैलट्स के माध्यम से चुनाव हों। लेकिन एक पक्ष जो सदन में रिप्रेजेन्ट करता है उसकी राय इस बैलट के पक्ष में नहीं है। मैंने यह भी सुना कि इधर कुछ सुधार हुआ है यद्यपि वे पहिले इस पक्ष में नहीं थे कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के अन्दर यूनियन्स का मामला तय हो जाय। मैं इस अवसर पर जब तक कानून बने में चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में जो पब्लिक सेक्टर के अन्दर हैं, यह घोषणा करना चाहता हूं कि चुर्क के अन्दर रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स का चुनाव बैलट के माध्यम से होगा जिसमें शासन पर कोई दोषारोपण न हो। जो यूनियन्स बहुमत में हों वे रिप्रेजेन्ट करें।

इसके साथ ही साथ में यह भी चाहता हूं कि जो अन्य सरकारी कल कारखाने हैं जहां आवश्यकता पड़ेगी, धीरे-धीरे उन स्थानों पर भी इसे प्रसारित किया जायेगा। हम यह भी चाहेंगे कि निजी उद्योगों के अन्दर भी बैलट्स के माध्यम से रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स की मांग तय हो। मैं समझता हूं कि यदि रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन की बात तय हो और दो साल के लिए रहे तो ऐसी स्थिति में क्लैक्टिव बारगेनिंग की बात पर बहुत बड़ा मसला हल हो जायेगा और यह बात नहीं उठेगी कि एक बात माननीय राकेश चतुर्वेदी कह रहे हैं और दूसरी राजाराम पाण्डेय कह रहे हैं। बिरला आदि के उद्योगों में भी यही बात लागू हो सकती है अगर इधर और उधर के बैठने वाले इसके लिये तैयार हो जांय। मैं समझता हूं कि इस तरह इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स तय करने में बड़ी आसानी पड़ेगी।

मान्यवर, आज यूनियनों की स्पर्धा के कारण इंडस्ट्रियल रिलेशंस में परेशानी की बात पैदा होती है। लेकिन यह तय होने पर कि किसी फैक्टरी में फलां यूनियन बहुमत में है तो दो साल के अन्दर जो समझौते होंगे उनमें उसे माना जायगा। यदि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरे यूनियनों को जिनको इंडीविजुअल केसेज करने का हक रहेगा दो साल के बाद स्वतः अवसर मिल जायगा कि जो लोग कलेक्टिव बारगेनिंग्स में अच्छा काम न करें उनको मजदूर स्वयं तिरस्कृत कर दें। मैं आशा करता हूं कि इस तर्क संगत बात को विरोध पक्ष के लोग मानने का प्रयास करेंगे। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगा कि आज सारे देश में यह झगड़ा है कि मान्यता का सवाल कैसे तय किया जाय। सरकारी सहारा ले कर यूनियनें चलाने का कारबार हम हमेशा के लिये खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूनियन मजदूरों के समर्थन पर अपनी ईमानदारी से खड़े हों। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाय।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के बारे में जो इस समय स्थित रही है उस पर सरकार का ध्यान बहुत तेजी से गया है। हमने इस बात की बराबर कोशिश की कि इस समय जो समस्यायें हमारे सामने हैं उनको देखें। शासन हाथ में लेने के समय सूती वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में बहुत असंतोष था। तीन समस्यायें थीं, स्टैंडर्डाइजेशन, परमानेंसी और बढ़ती हुयी महंगाई। सम्पूर्णानन्द अवार्ड को लेकर कानपुर में काफी परेशानी थी। सम्पूर्णानन्द अवार्ड को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया है। इसलिये मैंने ट्रिपार्ट्राइट कांफ्रेन्स बुलाने की सोची कि इसमें मामले हल किये जावें। २ जून, १९६७ को एक त्रिदलीय सम्मेलन अखिल भारतीय संगठनों का और कानपुर के लोगों का लखनऊ में बुलाया गया। इन तीनों मामलों पर इसमें फैसले हुये। स्टैंडर्डाइजेशन का मामला कानपुर की मिलों में बहुत अर्से से पड़ा हुआ है। इसकी स्थिति आज यह है कि कानपुर के कारखानों में एक कारखाने में एक वर्कलोड और कर्तव्य और दूसरे कारखाने में दूसरे तरह का वर्क-लोड और कर्तव्य। बहुत से मजदूर परमानेंट नहीं थे। अगर वर्कलोड और कर्तव्य का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाय तो कार्य की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और श्रमिकों का असंतोष दूर हो जायगा। इस संबंध में एक बहुत ही विशिष्ट घोषणा करना चाहता हूं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, श्री मिट्ठन लाल को जिनकी निष्पक्षता में सभी लोगों को विश्वास है, शासन ने वन-मैन कमीशन नियुक्त करने का फैसला किया है। वह उद्योग के संबंधों के मामलों की अच्छी तरह से कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल का कार्य कर रहे हैं। उस कमीशन के सामने स्टैंडर्डाइजेशन के और दूसरे मामले रहेंगे। कानपुर के श्रमिकों का स्टैंडर्डाइजेशन का सवाल १५, २० साल से, निम्बकर और विन्दवासिनी कमेटी के जमाने से पड़ा हुआ है, उसे निर्णय करने की कोशिश यह कमीशन जल्दी करेगा और हम उसके मुताबिक कार्य करने की कोशिश करेंगे।

परमानेंसी के बारे में जहां तक सुपरवाइजरी कमेटी का सवाल था सम्पूर्णानन्द अवार्ड में, उसे तीनों पक्षों के समझौते से यह काम दिया गया कि वह इस परमानेंसी के सवाल को जल्दी हल करें। मैंने पता लगाया और मुझे मालूम हुआ कि उसकी एकाध बैठक हुयी है और सब कमेटियां बन चुकी हैं। इस कमेटी के माननीय सदस्यों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वह परमानेंसी के सवाल को जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक कानपुर की टैक्सटाइल के मिलों के मजदूरों के महंगाई भत्ते का सवाल था, उसके लिये वेज बोर्ड बैठा हुआ है। ट्रिपार्ट्राइट कानफरेंस में तय हुआ था कि वेज-बोर्ड महंगाई भत्ते के सवाल को जल्दी तय करेगा। हमारे श्रमायुक्त, श्री जे० एन० तिवारी ने ट्रिपार्ट्राइट कानफरेंस के निर्णय वेज बोर्ड के सामने रखे। वेज-बोर्ड को डी० एफ० ए० के सवाल को विशेष तौर से कानपुर का और सारे प्रदेश का हल करना है।

मान्यवर, चीनी उद्योग में भी श्रमिकों की हालत में प्रगति हुई है। बोनस कमेटी का जो फैसला आया उसके मुताबिक जहां ४ परसेंट इंटेरिम बोनस देने का सवाल था, वहां बावजूद इसके कि शुगर इंडस्ट्री के सामने कठिनाइयां थीं, फिर भी ४ परसेन्ट इंटेरिम बोनस देने की बात पहले हो चुकी थी। यह फैसला बोनस कमेटी ने तय कर दिया और उसके मुताबिक ७० लाख रुपया शुगर फैक्टरियों के वर्कर्स जो कि लगभग ८७,००० होगा, मिलेगा। इस बोनस कमेटी में हमारे माननीय विरोधी पक्ष के लोग भी हैं और उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त भी हैं।

मान्यवर, यह सही है कि इस बीच बहुत से ऐसे सवाल देश में उठे जो बड़े महत्वपूर्ण थे। विशेष रूप से कलकत्ते में इंजीनियरिंग वेज बोर्ड के सवाल को लेकर बहुत झंझट पैदा हुआ। वहां की सरकार उसको लागू नहीं कर पायी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने उसको लागू कर दिया है और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन इंडस्ट्रीज में उसको पूरे तौर से लागू नहीं किया गया है उनमें इसको पूरे तौर से लागू करा दिया जायगा। उसमें किसी तरह की लीनियेंसी नहीं बरती जायेगी।

इसके अलावा चमड़े और उससे बनी वस्तुओं के उद्योगों का सवाल है उसके बारे में भी वेज बोर्ड की इंटेरिम रिपोर्ट आयी थी। इस संबंध में मैंने त्रिदलीय कांफरेंस

बुलाई और उसमें यह फैसला लिया गया कि वेज बोर्ड की जो जो इंटेरिम रिपोर्ट है, एवार्ड है उसको तुरन्त लागू किया जाय। बहुत सी मिलों ने उसको लागू कर दिया है। जिन्होंने लागू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। उसके अनुसार जो ५ से साढ़े १२ रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है वह उनको मिल जाय।

इसी के साथ-साथ हिन्द केमिकल्स के विषय में भी वेज बोर्ड की इंटेरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें भी ५ रुपये से साढ़े १२ रुपये तक मजदूरों को मिलने की बात थी। गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से साहू जैन की फैक्ट्री में उसको लागू करा दिया गया है। यही नहीं उसके अतिरिक्त भी साढ़े छै रुपया और मजदूरों को दिलवाने की कोशिश की गयी है। जिससे अब ५ के अलावा ११ और साढ़े १२ के बजाय १९ रुपया मजदूरों को मिलेगा।

केमीकल फर्टिलाइजर के सिलसिले में जो उद्योग काम करते हैं उनमें हम उसको लागू नहीं कर पाये थे। इसलिये हमने उसके सिलसिले में एक त्रिदलीय कांफ्रेस बुलायी। उसको भी शासन द्वारा लागू कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

चाय उद्योग के सिलसिले में जब विपक्ष के बैठने वालों की गवर्नमेंट थी, उस समय वेज बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, लेकिन उस सरकार ने उसको लागू नहीं कराया था। अब इस सरकार द्वारा उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुझे इस बात की घोषणा करने में खुशी होती है कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के श्रमिकों द्वारा जो कुछ दिनों पर हड़ताल हुई थी, उस सिलसिले में उनके ५ दिन के पैसे मिलने का सवाल था। इस बारे में बहुत दिनों से आन्दोलन चल रहा था। इस समय उस बारे में यह फैसला लिया गया है कि वह पांच दिन की छुट्टी उनकी ड्यूटी में शामिल कर ली जायगी और उसका पैसा उनको मिल जायगा।

इस सिलसिले में एक बात और कह देना चाहता हूं। मेरे दोस्त जो उधर बैठे हुये हैं उनकी सरकार का और हिन्द ऐल्युम्युनियम कारपोरेशन का शायद कुछ रिश्ता रहा था। यही कारण था कि कारपोरेशन द्वारा काफी मजदूरों को निकाले जाने का फैसला किसी के इशारे पर लिया गया। मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि बिरला कारखाने का रुख जो श्रमिकों के प्रति होना चाहिये था वह नहीं रहा। वह न्याय संगत नहीं था। वहां झगड़ा यह था कि कौन सी मजदूर यूनियन का बहुमत है। वहां एक बहुमत प्राप्त यूनियन थी, लेकिन उनका बराबर यह जोर रहा कि नहीं दूसरी यूनियन को बहुमत प्राप्त यूनियन माना जाय। वहां दो-दो बड़ी हड़तालें हुयीं और उससे यूनियन का बहुमत साबित हो गया। लेकिन किसी दबाव के कारण काफी मजदूरों को वहां से निकाला गया और काफी मजदूर जेल गये। लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद मुझे यह घोषित करने की खुशी होती है कि सरकार के रुख को देख कर बिरला कारखाने वालों को मजदूरों को छोड़ना पड़ा और जो निकाले हुये मजदूर थे उनमें से ८७ को वापस लेना पड़ा और उनकी सर्विस की कंन्टीन्युटी को भी मानना पड़ा। ४५ मजदूर जो अभी तक काम पर नहीं लिये जा सकते हैं उनका केस आर्बीट्रेशन के सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरी मांगों के सिलसिले में भी यह कोशिश हो रही है कि दोनों में कोई फैसला हो जाय। अगर कोई फैसला मजदूर और मालिकों में न हुआ तो वह भी आर्बीट्रेशन को दे दिया जायगा।

इसी के साथ-साथ जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में हड़ताल चल रही थी उस सिलसिले में भी दोनों पक्षों के लोगों को यहां लखनऊ बुलाया गया और यह खुशी की बात है कि वह हड़ताल अब वापस हो गयी है। वहां का मामला भी आर्बीट्रेशन में भेज दिया गया है।

बनारस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के सिलसिले में भी सरकार ने कार्यवाही की। वहां पर न्यायाधिकरण के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा था जिसके कारण वहां संकट पैदा हो गया था। उक्त अभिनिर्णय की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हो चुकी थी। इस अभिनिर्णय द्वारा यह निदश दिया गया था कि कांट्रेक्टर द्वारा नियुक्त कोयला कुली प्रतिष्ठान के नियमित

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

कर्मचारी माने जायं। प्रबंधकों ने स्थायी आदेशों के अनुसार उन्हें स्थायीकरण की सुविधा न देकर बहुत ही अनुचित दृष्टिकोण अपनाया। मैंने स्वयं इस विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया और अन्ततोगत्वा १२ जून, १९६७ को मामला अन्तिम रूप से हल हो गया। श्रमिकों की संभावित हड़ताल के फलस्वरूप बिजली फेल होने से ब्लेक आउट होने की संभावना समय पर समाप्त हो गयी।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि० कानपुर में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐन्ड रेग्युलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी जांच हो चुकी है। मौजूदा प्रदेशीय सरकार बनने के बाद इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस मिल में आथोराइज्ड कंट्रोलर शीघ्र तैनात हो जाय। हमने यह भी स्वीकार किया कि ५० प्रतिशत भार प्रदेशीय सरकार वहन करेगी। फिर भी हमें खेद है कि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में सहायक रुख नहीं अख्तियार किया और जो आधा रुपया उसको ग्रांट के रूप में देना पड़ेगा उसको भी वह देने को तैयार नहीं है।

मान्यवर, केन्द्र का रुख इसमें सहायक नहीं है। विरोधी पक्ष के लोग सदस्य जिनकी सरकार आज केन्द्र में है उस सरकार का रुख लक्ष्मी रतन काटन मिल के मजदूरों के लिये जो ९–१० महीने से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, सहायक नहीं है। मान्यवर, मैं इसलिये इस बात को कह रहा हूं कि जो केन्द्र के कामर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने राज्य सभा में कहा है कि टैक्सटाइल कारपोरेशन बनने के बाद भी ही वे उस मिल को लेने की बात सोचेंगे। लक्ष्मी रतन काटन मिल के मजदूरों की स्थिति आज करीब १० महीने से खराब चल रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत जो चीनी मिलें ली गयीं उनके लिये तो पूरा रुपया केन्द्र से मिला, लेकिन टैक्सटाइल मिल लेने के लिये आधे रुपये की गारन्टी केन्द्र तब देता है जब कि सूबा भी आधे रुपये की गारन्टी दे। आज हमारा सूबा आधे रुपये की गारंटी देने के लिये तैयार है फिर भी लक्ष्मी रतन काटन मिल को लेने के लिये केन्द्र तैयार नहीं है और उसका कहना है कि टैक्सटाइल कारपोरेशन बनने के बाद ही उस मिल को लेने की बात सोचेंगे। ९–१० महीने से वहां के श्रमिकों की जो स्थिति रही है वह बहुत ही खराब रही है और आज भी बहुत खराब है। दूसरी ओर श्रमिकों के प्राविडेन्ट फंड का रुपया और इंश्योरेंश के रुपये का जो बकाया है उस सिलसिले में बारबार इम्प्लायर को कहा गया और बार बार कहने के बावजूद जब इम्पलायर इस बात के लिये तैयार नहीं हुये कि प्राविन्डेन्ट फंड की जो सिक्योरिटी हैं उसे वे इंडोर्स कर दें तब फिर सरकार ने कड़ाई का रुख लिया और ऐसी हालत में लक्ष्मी रतन काटन मिल को श्रमिकों के प्रोवीडेन्ट फंड और इंश्योरेन्श की रकम जो बकाया है, उसमें उस फैक्टरी को कुर्क करने का फैसला किया गया और आज वह फैक्टरी कुर्क पड़ी है। लक्ष्मी रतन काटन मिल के मजदूरों के संबंध में काफी चिन्ता शासन को रही है और हम अपेक्षा करते थे कि केन्द्र इसमें हमारी सहायता करेगा, लेकिन केन्द्र का रुख हमारी सहायता करने का नहीं है। हम विरोधी पक्ष के सदस्यों की इसमें मदद चाहते हैं कि वे दिल्ली की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार आधे रुपये की गारंटी देने को तैयार है और जो आज तक की यह परम्परा रही है तो फिर ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार लक्ष्मी रतन काटन मिल को लेने में और उसके लिये अथाराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने में क्यों हिचक रही है?

अब मैं माहेश्वरी जूट मिल के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। श्रमिकों के प्रोविडेन्ट फंड और इंश्योरेन्श की बकाया रकम के लिये उस मिल को नीलाम करने की बात आयी और १२ जून को ही उसका नीलाम होना था। इसी बीच में मिल मालिक उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर ले आये और उस मिल की नीलामी रुक गयी।

इसी तरह से होटल और रेस्टरां के संबंध में भी नोटिफिकेशन जल्दी हो जायगा। उस सिलसिले में आबजेक्शन वगैरह मांगे जायेंगे, फिर उचित कार्यवाही होगी।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीड़ी उद्योग में लगे हुये मजदूरों की भी शिकायतें रही हैं। उनका कहना था कि पिछले शासन के समय जो उनके लिये मिनिमम वेजेज तय हुआ था वह ठीक नहीं था, उसमें सुधार होना चाहिये। इस गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेज कमेटी की

मीटिंग बुलाई और सबकी राय ली गयी और उसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि इसके लिये नोटिफिकेशन होगा और उचित कार्यवाही की जायगी ।

इसके साथ ही गलीचे उद्योग में लगे हुये श्रमिक जो भदोही व मिर्जापुर के इलाके में लगे हुए हैं ....

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

बीड़ी उद्योग में लगे हुये मजदूरों के लिये आपने क्या कहा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

बीड़ी उद्योग में लगे हुये मजदूरों के मिनिमम वेज में सुधार करने का फैसला ले लिया गया है । उसका नोटिफिकेशन होगा, उस पर आब्जेक्शन लिये जायेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा शासन की तरफ से कर दी जायगी कि हम कितना बढाने जा रहे हैं । गलीचे के उद्योग के सिलसिले में मान्यवर, यह मालूम हुआ कि बहुत अर्से तक भदोही और मिर्जापुर में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण वहां पर फैक्टरी ऐक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं के बराबर हुआ है । फैक्टरी ऐक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में वहां पर बहुत झंझट है । माननीय शुक्ल जी, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं वे जानते होंगे कि उनके शासन के जमाने में क्या क्या बातें हुयीं । सदस्य के माननीय सदस्यों को जानकारी है और मैं यह कहना चाहता हूं कि गलीचे के उद्योग में फैक्टरी ऐक्ट को लागू न करने से जो ज्यादती रही है उसको दूर करने के लिये मौजूदा सरकार ने पूरा पूरा फैसला कर लिया है और एम्पलायर्स को यह कह दिया गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसको ठीक तरह से लागू होने के सिलसिले में कोई कमी नहीं रखेंगे और अगर रखेंगे तो सरकार उस के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई बात उठा नहीं रखेगी ।

वहां पर लूम होल्डर्स का जो काम चल रहा है उसके सिलसिले में जो पिछला मिनिमम वेज कमीशन डिक्लेयर हुआ था वह विचार कर रहा है । साथ ही साथ गलीचे के उद्योग के अन्दर भी जो स्थिति है, उसका पूरी तरह से निराकरण करने के लिये हम शीघ्र ही एक ट्रिपार्टाइट कांन्फरेन्स बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं जो इस मसले का फैसला करेगा और जो सुधार करने की आवश्यकता होगी, वह शासन की ओर से किया जायगा ।

इसके साथ-साथ कृषि में लगे हुये जो श्रमिक हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनकी बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । जो भी मिनिमम वेज कृषि के श्रमिकों का तय हुआ है वह मिनिमम उचित वेज नहीं है और ऐसी स्थिति म उसके विषय में सोच विचार जारी है और मैं चाहता हूं कि मंहगाई को देखते हुये उनका जो वेज है, उसमें सुधार किया जाय ताकि वे भी अपना जीवन यापन कर सकें ।

जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का संबंध है ये बहुत परेशान हैं । नौन वर्किंग जर्नलिस्ट्स जो हैं उनके लिये तो रिकमेंडेशन आयी हैं, लेकिन जहां तक वर्किंग जरनलिस्ट्स का संबंध है, उनके लिये वेज बोर्ड बैठा हुआ है । उसकी सिफारिशें अभी तक नहीं आयी हैं । लेबर मिनिस्टर्स की अभी एक कान्फ्रेंस दिल्ली में हुयी थी तो मैंने यह सवाल उठाया था कि वेज बोर्डों के अवार्ड में बहुत समय लगता है और चूंकि बहुत समय लगता है उसके समय को कम किया जाय । इन वेज बोर्डों के फैसले जल्द से जल्द घोषित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये जिस से इस बढ़ती हुयी मंहगायी में उनके वेतन बढ़ाये जा सकें और मंहगायी को निश्चित करके ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो असंतोष व्याप्त है, वह दूर किया जा सके । इस संबंध में मैंने श्रमजीवी पत्रकारों के लिये गठित वेज बोर्ड की सिफारिशों के प्रतिपादन के लिये के संबंध में और अन्य कर्मचारियों के लिये गठित वेज बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशों के प्रति भी विचर किया । है । उन्हें प्रतिपालित कराने के लिये प्रभावशाली ढंग से प्रयत्न किये गये और सामान्यतया उक्त शिफारिशों का प्रतिपादन हो रहा है । इसमें त्रुटि करने वाली इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

कार्रवाही को जायगी। इस संबंध में सरकार यह भी चाहती है कि वर्किंग जरनलिस्ट्स और नौन वर्किंग जरनलिस्ट के बारे में जो इंटेरिम रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, उनमें किसी तरह की कमी न रह जाय और साथ साथ जो वेज बोर्ड बैठे हुये हैं, शासन का उनमें रिप्रेजेंटेशन हो और जो भी निर्णय हों, उनको शीघ्र घोषित करें जिस से जो स्थिति है, उसमें सुधार हो सके। आज इस बात की आवश्यकता है कि स्थायी संराधन मण्डल के बारे में विचार करें। जब हम विरोध में थे तो हमारी तरफ से परमानेंट कंसीलिएशन मशीनरी के मामले में शिकायत की जाती थी। आज जो पब्लिक सेक्टर के मजदूर हैं, उनके लिए जो परमानेंट कंसीलिएशन बोर्ड बना हुआ है उसमें हमें भी संतोष नहीं था लेकिन हमारे विरोध पक्ष के साथी जो २० साल तक शासन में रहे उनको परमानेंट कंसीलिएशन बोर्ड से संतोष था, लेकिन आज असंतुष्ट हो गये हैं और ऐसी हालत में उन्होंने कटमोशन दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक परमानेंट कंसीलिएशन बोर्ड का सवाल है मेरे ऐसे लोग मानते हैं कि इसकी जो स्थिति रही है उसमें पब्लिक सेक्टर के मजदूरों को जो उन्हें मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है और ऐसी स्थिति में परमानेंट कंसीलिएशन बोर्ड की मशीनरी में तबदीली करना चाहते हैं, सुधार करना चाहिए जिससे पब्लिक सेक्टर के श्रमिकों और विभागीय श्रमिकों को जो इन्डस्ट्री में लगे हुए हैं, जो डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज हैं उनके अन्दर जो सिंचाई वगैरह के लोग हैं, वर्क चार्ज के, उनको सुविधा मिल सके और इसलिए परमानेंट कंसीलिएशन बोर्ड के सिलसिले में सोच विचार है कि उसका ठीक तरह से सुधार किया जाय जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की कोई शिकायत न रह जाय।

मोदी टैक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों की कष्टदायक बात यह रही है कि वहां एक समझौता समिति विद्यमान है। इस समिति के होने से अच्छे औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहन नहीं मिलता और इस व्यवस्था के विरुद्ध निरन्तर शिकायतें रहीं हैं। मुझे यह भी उचित और तर्क संगत नहीं प्रतीत होता कि मोदी उद्योग की अन्य इकाइयों के श्रमिक तो सामान्य समझौता व्यवस्था से लाभ उठायें, जब कि इस प्रतिष्ठान के श्रमिक इससे वंचित हैं और उन्हें इसी प्रतिष्ठान से संचालित समझौता समिति पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः सरकार ने निश्चय किया है कि ३० अगस्त, १९६७ के आगे उस राजाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ायी जायगी जिसके द्वारा वर्तमान समझौता समिति कार्य कर रही है। इससे श्रमिकों को अपने संघों के माध्यम से प्रबन्धकों के साथ एक स्वस्थ आधार पर बातें करने की सुविधा प्राप्त होगी। मुझे कोई आपत्ति न होगी यदि मान्यता-प्राप्त यूनियन का चयन यहां पर बैलेट के माध्यम से हो। मैं यह घोषणा इसलिए करना चाहता हूं कि वहां पर एक परमानेंट कंसीलिएशन मशीनरी के मामले में लगातार शिकायतें रही हैं। कैबल कपड़ा खाते में ऐसी शिकायतें थीं कि यूनियन बैठ कर कोई समझौता कर ले और उसके अनुसार कोई निकाला जाय तो दूसरी यूनियन उस केस को नहीं ले जा सकती थी। इसमें काफी आर्बिट्रेरीनेस थी। इसलिए हमने यह उचित समझा कि जो कंसीलिएशन कमेटी थी उसकी जिन्दगी ३० अगस्त, १९६७ के आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वह एक तरह से अनफेयर है, आर्बिट्रेरी है और एक इन्डस्ट्री को विशेष सुविधा देने की बात रही। इसलिए उस सुविधा को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए खत्म करना चाहते हैं।

इसी के साथ साथ यह भी मैं घोषणा करना चाहता हूं कि मुझे कोई आपत्ति न होगी यदि मान्यता प्राप्त यनियन का चयन बैलेट के माध्यम से हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा चाहे उसमें विरोधी दल की यूनियन आ जाय चाहे इधर बैठने वाले सदस्यों की यूनियन आ जाय। हम चाहते हैं कि बैलेट के माध्यम से यूनियनों का चयन हो इसलिए जो परमानेंट कंसीलिएशन कमेटी थी कपड़ा खाते में, उसकी अवधि में ३० अगस्त, १९६७ के बाद बढ़ोत्तरी नहीं की जायगी। यह घोषणा इसलिए करना चाहता था क्योंकि बहुत शिकायतें इसके बारे में मिली हैं और इस सवाल को लेकर बहुत से लोग जेल गये हैं। लेकिन पुरानी सरकार ने इस बात को नहीं सुना। ऐसी स्थिति में इस संबंध में स्पष्ट बात कहने को छोड़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

लेकिन हमने च्वायस दे दी है कि बैलेट के माध्यम से वहां यूनियन का चयन हो जाय और मान्य ।। का सवाल तय हो जाय तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। नियम अब तक था कि दो वर्ष की जो यूनियन होगी उसी यूनियन को केस करने का अधिकार होगा और जो दो साल को रजिस्टर्ड न होगी उसे यह अधिकार नहीं होगा। दो साल की यह जो बंदिश है यह अपनी जगह पर ठीक नहीं है और इस सीमा को हम तोड़ देना चाहते हैं और इस संबंध में अगर विधेयक लाने की जरूरत होगी तो वह भी लाया जायगा ।

केन्द्रीय सरकार ने अपने औद्योगिक विधेयक में संशोधन किया है कि अगर कोई व्यक्तिगत मजदूर अपना केस संराधन समिति में ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है उसी तरह से इस प्रदेश के कानून में भी संशोधन करने का विचार है और ऐसा संशोधन करना निहायत जरूरी और उचित भी है। इन्डस्ट्रियल रिलेशंस ऐक्ट जो बहुत अर्से से विचाराधीन है और जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बहुत पुराना हो गया है और जो श्रमिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है उसमें हम पूरी तरह से तब्दीली करना चाहते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी पक्षों को पूरा मौका इस काम के लिए दिया जायगा।

इसके अलावा संराधन समितियों को रिफरेंस वगैरह का काम बहुत अर्से से रुका रहता था, उस काम को तेज किया जायगा और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विक्टिमाइज्ड मजदूर होंगे उनका रिफरेंस अविलम्ब भेज दिया जाया करेगा, उसको रोका नहीं जायगा।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

क्या कदम आप उठायेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

अगर आप लिख देंगे कि आपकी यूनियन का फलां वर्कर है, वह विक्टमाइज किया गया है तो अवश्य उस केस को भेज दिया जायगा।

जहां तक दूकान और वाणिज्य अधिनियम का संबंध है इसका इम्पलिमेंटेशन ठीक-ठीक नहीं हो रहा है, उसको चुस्त करने की कोशिश की जा रही है। उसमें स्टाफ की कमी है और विचार किया जा रहा है कि किस तरह से उसको इफेक्टिव बनाया जाय ।

इस विषय की समाप्ति के पूर्व मैं श्रम संबंधी कुछ विषयों के संबंध में सरकार की नीति पर यह स्पष्ट वक्तव्य देना चाहता हूं कि सरकार उन नियोजकों के प्रति कड़ाई के साथ व्यवहार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ है जो श्रम कानूनों, समझौतों और अभिनिर्णयों के प्रतिपालन में त्रुटिकर रहे हैं। न तो ऐसे नियोजकों को कोई सुविधा दी जायगी और न ही उन्हें सरकार से किसी रूप में सहानुभूति मिलेगी। कारखाना कानून और वेतन भुगतान अधिनियम की व्यवस्थाओं के पालन में नियोजकों द्वारा शिथिलता बरतने के प्रति भी कड़ी कार्यवाही की जायगी। अधिकारियों को अधिक जागरूक होने के लिए सचेत कर दिया गया है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जहां नियोजकों ने नियमानुसार स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा घोषित अभिनिर्णय का या तो प्रतिपालन नहीं किया उसे याचिका (रिट) में ले जाकर व्यर्थ बनाने की चेष्टा की। मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूं और यह महसूस करता हूं कि एक बार एक न्यायाधिकरण द्वारा किसी विवाद का निर्णय हो गया तो उसके विरुद्ध याचिका में जाने की बहुत कम आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे शोचनीय बात उन नियोजकों की है, जो याचिका में गये बिना ही अभिनिर्णयों को अप्रतिपालित रखते हैं और काफी समय के बीत जाने के बाद अभिनिर्णय का प्रतिपालन करते हैं। त्रुटि करने वाले पक्षों की ऐसी त्रुटियों के प्रति अब बहुत ही कठोर रूख ग्रहण किया जायगा। विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों की यात्रा के समय मुझे नियोजकों से वार्ता करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने उन्हें यह स्पष्ट किया कि श्रम कानूनों, अभिनिर्णयों और समझौतों का शीघ्रतापूर्वक पालन करना कितना वांछनीय है। अच्छे औद्योगिक संबंधों

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

और प्रतिष्ठान या उद्योग में शांति के हित में यह भी आवश्यक है कि नियोजक श्रमिकों की मांगों पर समुचित विचार कर उनके प्रति न्यायोचित व्यवहार किया करें। न्यायपूर्ण श्रमिक संघ की कार्यवाहियों में पुलिस का हस्तक्षेप मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है, जिससे दोनों पक्षों को स्वयं परस्पर हल करना चाहिए। भविष्य में न्यायपूर्ण विवादों में निषेधात्मक आज्ञाओं का भी प्रयोग नहीं होगा।

पिछले तीन महीनों में इन नीतियों के फलस्वरूप यह अनुभव किया गया है कि औद्योगिक संबंधों में सुधार हुआ है और भविष्य में भी सुधार होता जायेगा, इसमें संदेह नहीं है। अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि सरकार की श्रम नीति मजदूरों की रक्षा करनेवाली तथा उनको सामाजिक न्याय दिलाने वाली रहेगी। सरकार की नीति पूंजीपतियों के पक्ष में नहीं होगी बल्कि प्रोलेबर होगी और इसमें जो कठोरतायें बरतनी होंगी वह बरतेगी।

इसी संबंध में जहां तक सेवायोजन का सवाल है। चौथी योजनाकाल में सेवा योजन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावकारी बनाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में हरद्वार में एक सेवा योजन कार्यालय तथा कानपुर विश्वविद्यालय में एक ब्यूरो की स्थापना करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ३,००० नई सीटें बढ़ाने का आयोजन किया गया है। प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्नों में योग देने की दृष्टि से बोरिंग मैकेनिकों की ट्रेनिंग शुरू करने का विचार है इसके लिए भारत सरकार से परामर्श किया जा रहा है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सुधार होते रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणकाल अवधि के संबंध में कुछ सुधार किये गये। इस प्रकार कुछ प्राविधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण काल अवधि १ वर्ष की होगी जब कि अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षणकाल दो वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष सत्र का प्रारंभ पहली अगस्त से होगा और व्यवसायिक परीक्षायें जुलाई में होगी जब से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना चली है तब से मार्च, ६७ तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ५२,६४८ व्यक्तियों को विभिन्न इंजीनियरिंग तथा नान-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जून, १९६५ में प्राविधिक शिक्षा विभाग से १४ राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थाओं का हस्तातरण श्रम विभाग को हुआ। इनमें २,२९६ सीटें थीं। इनमें ८१६ इंजीनियरिंग सीटों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पैटर्न में बदल कर तथा कुछ सीटें बढ़ाकर २,५५२ सीटें कर दी गई हैं।

कुछ कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए एप्रेंटिसशिप ऐक्ट पास हुआ था। इसमें था कि अगर किसी फैक्ट्री में ६० मजदूर काम करते हैं तो एक अप्रेन्टिस को ट्रेनिंग देगी। इसको लागू जैसा करना चाहिए था नहीं हो पाया। इस पर सरकार का ध्यान है। हम चाहते हैं कि भविष्य में एप्रेंटिस ट्रेनिंग की दिक्कत न रह जाय। वह दिक्कत भविष्य में न रह जाय इसलिए इसको ठीक तरह से लागू कराने के सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही की जायगी। इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से जितने प्रशिक्षार्थी पास करके निकलते हैं, उनमें अधिकांश काम से लग जाते हैं। सभी प्रशिक्षार्थियों का एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजो में रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता ताकि उनको नौकरी मिलने में सुविधा रहे। चूंकि पास करने के बाद अधिकतर प्रशिक्षार्थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से कोई संपर्क नहीं रखते इस लिए यह ठीक ठीक कहना कठिन है कि कितने प्रतिशत पासशुदा व्यक्तियों को काम नहीं मिलता। परन्तु समय-समय पर सर्वे किये गये हैं। एक सर्वे अक्तूबर, १९६५ के पासशुदा ट्रेनीज का किया गया है। जिससे पता लगता है कि केवल १३ प्रतिशत व्यक्तियों को काम नहीं मिला है। इस संबंध में यह एक मुख्य तथ्य यह ध्यान देने योग्य है कि नौकरी के जितने अवसर बढ़ते हैं, नौकरी मिलने में उतनी ही अधिक निश्चितता हो जाती है। इस प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की प्रगति उतनी अधिक तेज नहीं रही

जितनी होनी चाहिए। इसलिए सभी पासशुदा व्यक्तियों को फौरन नौकरी मिलने में कठिनाई कभी कभी होती है। मान्यवर, इस संबंध में ज्यादा कहना नहीं चाहता। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में इस संबंध में जो त्रुटियां रही हैं उनके सिलसिले में एम्पलायमेंट एक्सचेंज के अफसरों को हिदायत की गयी है कि वे स्वतः फैक्टरियों और विभागों से संपर्क स्थापित करके जिलों में इस बात को देखें कि कौन-कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं और उनमें योग्यता और प्रायारिटीज के अनुसार लोगों को लगवाने की कोशिश करें। अभी तक एम्पलायमेंट ऐक्सचेंजों से जितनी उपेक्षा करते थे उसमें कमी रही। इसीलिए यह आदेश जारी करने पड़े कि हर एक कारखाने से एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज आफिसर्स का संपर्क होना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि एप्रेंटिस-शिप ट्रेनिंग कितने लोगों को दे रहे, हैं कितनों को नहीं दे रहे हैं।

कानपुर के वस्त्र व चमड़ा के नौकरी से छटनी किए गये तथा डीकैजुलाइज्ड श्रमिकों का एक पूल बनाने की योजना राज्य में १९५० से चल रही है। १९६६ वर्ष में छटनी किए हुए, १९,०७६ श्रमिकों का नामांकन किया गया। सेवायोजकों द्वारा १८,४९४ रिक्त स्थान सेवा योजन कार्यालय को सूचित किये गये तथा १२,४७१ व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया। मान्यवर, आज जहां तक पासशुदा लोगों के एम्प्लायमेंट में दिक्कतें हैं जिस तरह से हमारा डेवलप-मेंट होना चाहिए, हमारी इकोनामी सेल्फ जेनरेटिंग होनी चाहिए उस तरह की स्थिति न होने के कारण आज दिक्कत पैदा होती है। लेकिन कोशिश होगी कि अधिक से अधिक प्रयास किया जाय जिससे १३ प्रतिशत की संख्या नहीं के बराबर हो जाय। इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान को मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य (१) श्रम कानूनों में सामयिक परिवर्तन करने के लिए मांग करना।

(२) श्रम विवादों को सुलझाने और श्रम यूनियनों को मान्यता दिलाने के संबंध प्रभावी कदम उठाना।

(३) सरकारी और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानून और नियमों में एक रूपता स्थापित कर उनके विवादों के सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(४) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को कार्यान्वित करना और महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाहक से सम्बद्ध करना।

(५) वृद्धावस्था पेंशन योजना को और व्यापक बनाने हेतु नियमों में संशोधन करना।

(६) सेवा नियोजन विभाग के कार्यक्रम को व्यापक बनाना।

(७) श्रम कल्याण कार्यों को अधिक व्यापक बनाना।

(८) कालागढ़ काण्ड से पीड़ित श्रमिकों को सहायता देने तथा उक्त काण्ड की सर्वदलीय न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार कराने हेतु सुझाव देना।

(अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९६-६९७ पर।)

मान्यवर, इस समय माननीय मंत्री महोदय ने अपना भाषण जो एक डेढ़ घण्टे तक दिया उसको मैंने सुना। मुझे यह उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी उन १९ सूत्री कार्यक्रम के संबंध में कुछ बातों की यहां पर घोषणा करेंगे जिनका संबंध उनकी श्रम संबंधी नीति से है लेकिन आज जो मैंने उनका भाषण सूना उसमें न तो समान काम करने वालों को समान वेतन देने की

[श्री प्रभाकर त्रिपाठी]

चर्चा की। न उसमें महंगाई भत्ते को जीवन मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करने की चर्चा की, न अध्यापकों को १५० रुपया देने की कोई चर्चा की उन मिलों के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के लिए कोई सुविधा की बात करने की। न सरकारी कर्मचारियों के लिए बरखास्तगी का नोटिस वापस लेने की और उनके काम के समय को नियमित करने और उनके लिए आवास की समस्या सुलझाने की कोई चर्चा की, न मजदूरों की छटनी के विषय में, मिलों का राष्ट्रीयकरण करने और भ्रष्टाचार रोकने आदि के संबंध में आज कोई चर्चा ही किया।

मैं यह समझता था कि आज यह सरकार जो हमारे सामने बैठी हुई है सदन के समक्ष ऐसी कोई घोषणा करेगी जिसको हम श्रमिकों के बीच जाकर कहेंगे कि सचमुच यह सरकार पिछली कांग्रेस सरकार से बेहतर है लेकिन आज मैंने यह महसूस किया कि यह सरकार जिस प्रकार ढकोसले की बात कहकर शासनारूढ़ हुई है उसी प्रकार से इसने तीन महीने में मजदूरों के हित के लिए कोई बात नहीं की जिससे मजदूरों को कोई राहत मिल सके। आज मंत्री जी का भाषण मुझे ऐसा लगा जैसे मिल के गेट पर या पब्लिक मीटिंग में मजदूर कार्यकर्त्ता की हैसियत से बोल रहे हों कि आपके लिए हम यह करने जा रहे हैं, मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि जिस प्रकार के मदारी अपनी किसी दवा को बेचने के लिए ताश का पत्ता दिखाकर या डमरू बजाकर लोगों को एकत्रित करते हुए अपनी तरफ मोहित करता है ताकि लोग उसकी जाल बट्टे में फंसकर मजबूर हो जायं उसकी दवा खरीदने के लिए। वही चीज आज मुझको देखने के लिए मिल रही है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब मैं यह देखता हूं कि जितनी बातें यहां पर कही गई हैं वह वही चीजें हैं जो पिछली सरकार ने कागज पर लिखी थीं लेकिन कार्यान्वित नहीं कर पाई थी या उसको करने का विचार कर रही थी। कुछ कानूनी अड़चने थीं जिनको दूर करने का विचार किया जा रहा था। उन सब बातों को लेकर यहां पर मंत्री जी कह रहे हैं कि वह ये सब नई बातें करने जा रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यहां स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह बजट केवल डपोर शंख का बजट है इसमें श्रमिकों के वैलफेयर तथा उनके लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्याख्या व उनके लिए दवाइयों की एवं उनके हाउस प्राब्लम की तथा उनकी एजूकेशन की कोई चर्चा नहीं है और न उनकी तरह तरह की समस्याओं को कैसे ठीक किया जायेगा, उसका ही कोई जिक्र है। मैं यह समझता था कि इस बजट में कुछ बढ़ोत्तरी की जायगी ताकि लेबर को कुछ और सुविधायें प्राप्त होंगी, लेकिन इसमें तो कटौती की गयी है। साथ ही कहा जाता है कि, इस प्रदेश में इन्डस्ट्रियल पीस कायम है। मैं जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल-पीस किस की बदौलत से कायम है? वह आपकी कृपा व व्यवस्था से नहीं बल्कि इसलिए कायम है कि आई० एन० टी० यू० सी० एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में विश्वास करती है और वह नहीं चाहता कि हुल्लड़ बाजी या गुन्डागर्दी से काम किया जाय जैसे कांग्रेसी शासन में विरोधी दल के लोग किया करते थे। इसीलिए इंडस्ट्रियल पीस कायम है। मैं जानना चाहता हूं कि ३ महीने में कौन सा इन्कलाबी काम इस सरकार ने किया है? न तो आपने रेशनाइजेशन संबंधी विवादों का ही ठीक कराया, न ही वर्क लोड का मामला ही तय कराया, न ही वेजेज का और न परमानेंसी का ही। कोई भी मामला ऐसा सामने नहीं आया, न मैंने सुना और न देखा ही जिससे पता चले कि इस सरकार ने ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है कि जिसकी वजह से आज प्रदेश में इंडस्ट्रियल पीस कायम है।

कलेक्टिव बारगेनिंग की बात आयी। यह एक पुरानी स्कीम है। इसे इंडियन लेबर कांफ्रेंस में तय किया जा चुका है जिसको कि हम चाहते थे कि आज से बहुत पहले लागू हो जाय, लेकिन अफसोस यह है कि हमारे दूसरे पक्ष में बैठे हुए जो मजदूर नेता हैं वह कभी भी इस पक्ष में नहीं थे। क्योंकि वे यह जानते थे कि जब यूनियनों के रिकग्नेशन की बात आयेगी और जो यूनियनें रिकग्नाइज हो जायंगी उन्हीं को कलेक्टिव बारगेनिंग करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश में कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि वहां उनकी यूनियनें रिकग्नाइज हो सकें। आज उन को कलेक्टिव बारगेनिंग का मौका मिलेगा। आज हमारे सामने रेफरेंडम करने और सरकारी सहायता से मिलें चलाने की

बात की गयी है साथ ही श्री मिट्ठन लाल द्वारा विवादों के निर्णय कराने की बात की गयी है, मैं समझता हूं कि उसमें जहां तक मिट्ठन लाल जी का संबंध है वह एक पुराने जज हैं, और अनुभवी भी हैं। मैं उनकी रेस्पेक्ट और रिगार्ड करता हूं, लेकिन सरकार की इस घोषणा को पूरी तरह से कंडम करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह सदन को ईसका विरोध करे क्यों कि जब किसी ईश्यू पर कोई समझौता या निर्णय हो चुका है तो उस पर पुनः निर्णय करना और उसके लिये जज की नियुक्ति करना न्यायसंगत नहीं है। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टेक्सटाइल इन्डस्ट्री से संबंधित जो भी विवाद रहा वह डाक्टर संपूर्णानन्द के सामने निर्णय हेतु सौंप दिया गया था। उनका निर्णय १४ अगस्त, १९६२ को आया। उका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। सरकार की नीति थी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाय। लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटशन नहीं हुआ है तो उस पर पुनः एवार्ड कराने के लिए या निर्णय के लिए या एक, दो आदमियों की कमेटी बना कर उसके सामने वह मामला रख देना, न्यायसंगत नहीं है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस उद्योग के मजदूर सन १९४८ से ही बुरी तरह से पीसे जा रहे हैं उस का मुख्य कारण यह है कि निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट जो १९४६ या १९४८ में आयी उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और कानपुर के इम्प्लायस खास कर टैक्सटाइल इंडस्ट्री के धीरे-धीरे रेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया। इसको सरकार ने बड़ी गम्भीरता से देखा व सोचा और सोचने के बाद यह चेष्टा की कि उनकी एक कानफ्रेन्स बुलायी जाय। वह कांग्रेस १९५४ या १९५५ में नैनीताल में बुलायी गई। उसमें एक सब कमेटी बनायी गयी और उस कमेटी के माध्यम से इस बात का प्रयत्न किया गया कि यह जो रेशनलाइजेशन का मामला है, इसको सुधारा जाय। लेकिन अफसोस है कि यह इन्कलाबी नेता जो हमारे सामने बैठे हुए हैं--यहां तो इस समय कोई नहीं है--इन लोगों ने बड़ा ही इन्कलाब किया कि कानपुर में वर्क लोड बढ़ जायगा, मजदूरों की छटनी कर दी जायगी, उनकी तनख्वाहें गिरा दी जायंगी और मजदूर पिस जायगा, तरह-तरह की परेशानियां होंगी इसलिये उस कमेटी का बायकाट करो। और उस आन्दोलन को लेकर कानपुर में ८० दिन की हड़ताल करवायी गयी। उस समय के जो लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि कोई विक्टीमाइजेशन नहीं होने दिया जायेगा और मुझे गर्व है कि उस समय कोई विक्टीमाइजेशन नहीं हुआ। दूसरी कमेटी विन्दवासिनी जी की अध्यक्षता में बनी। जो कानपुर टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी के नाम में कही जाती है। उसने दूसरी फाइंडिंग्स दे दीं कि रेशनलाइजेशन होना चाहिए आन सरटेन कंडीशन्स। उस पर भी कानपुर के एम्लायर्स एग्री नहीं हुये। इसी बीच सन् ९६० में वेज बोर्ड की रिपोर्ट आयी उसमें भी रेशनलाइजेशन का जिक्र था, लेकिन मालिकों ने नहीं माना। सन् ९६० में जुलाई या अगस्त के महीन में पुनः निर्दलीय सम्मेलन नैनीताल में बुलाया गय जिसमें एम्प्लायर्स और एम्पलाईज दोनों के रिप्रेजेंटेटिब्ज रहें। उसमें तय हुआ कि सभी सम्बन्धित विषयों को डा० सम्पूण नन्द जी के मातहत उनको पंच निर्णायक बना कर दे दिया जाय जिनको सर्वसम्मति से एम्पलाईज और एम्पलायर्स ने माना और उन्हें पंच नियुक्त किया गया। उनका निर्णय आ गया। सही रूप पालन करना मालिक और एम्पलाईज का कर्तव्य होता है और अगर किसी तरह से कमी आती है तो सरकार को उसका पालन कराना चाहिए था, लेकिन आज बजाय इसके कि यह सरकार उसका पालन करवाने की बात करे, ऐसा न करके वह मिट्ठनलाल, रिटायर्ड जज को पुनः वह मामला सुपुर्द करने जा रही है कि वे इस पर निर्णय लें और यदि उनका भी जजमेंट आ जाय और वह इम्प्लीमेंट न हो सके तो दूसरे को नियुक्त किया जाय, दूसरे के बाद तीसरे चौथे की नियुक्त हो, इस परिपाटी का अन्त होना चाहिए। बजाय इसके कि सरकार किसी जज को नियुक्त करे, उसको चाहिए कि सम्पूण नन्द एवार्ड को तत्काल ही प्रापर तरीके से इम्पलीमेंट कराने की घोषणा करे। आज कानपुर के किसी भी टेक्सटाइल मिल की कंडीशन ठीक नहीं है, चाहे किसी भी दृष्टि से आप देखें फिर भी नेशनलाइजेशन हो रहा है। लेबर डिपार्टमेंट के लोग जांच पर गये, यद्यपि वे संतुष्ट नहीं थे फिर भी कहते थे कि महीने दो महीने में सब ठीक हो जायगा।

[श्री प्रभाकर त्रिपाठी]

इसके साथ ही साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मिलों का सम्बन्ध है, आज प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है जिससे समाज परेशान और मजदूर तबाह हो रहा है उस सरकार ने कोई ध्यान इधर दिया है। यह सरकार जो अपने को इनकलाबी कहती है और जिसने १९ सूत्री फारमूला दिया उसने न तो इंडस्ट्री क डेवलप करने की बात की और न मंत्री जी ने उसके सम्बन्ध में कुछ कहा और न बन्द इंडस्ट्रीज को ये खुलवा पाये और न मजदूरों की दशा में कुछ सुधार कर पाये। आज १०-१०, १५-१५ वर्ष के मजदूर पड़े हुए हैं जो टेम्पोरेरी हैं जब कि स्टैंडिंग आर्डर के मातहत तीन महीने के अन्दर ही उनको स्थायी हो जाना चाहिए। कोई भी कर्मचारी कनफर्म नहीं किया गया। रेशनलाइजेशन के कारण भी टेम्पोरेरी, सब्सटीट्यूट और अधिकांश परमानेंट कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ा। कानपुर की एक मिल में जहां रेशनलाइजेशन होते ही वहां के मालिकान ने परमानेंट आदमियों को सब्सटीट्यूट कर दिया और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया।

सम्पूर्णानन्द एवार्ड के अन्तर्गत एक सुपरवाइजरी कमेटी बनी, उसमें भी कई कमियां हैं। मिलों के अन्दर की स्थिति की वह देख रेख नहीं कर पाती है। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी वर्ग ने एक बाईपरटाइट कमेटी बना रखी है। जिसका मैंने विरोध भी सुपरवाइजरी कमेटी में किया था। मैंने कहा था कि इससे एवार्ड का वायलेशन होगा। मान्यवर, कानपुर में एक स्वदेशी काटन मिल है। संडे वर्किंग को लेकर वहां एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और एक हड़ताल भी हुई थी। इस एवार्ड में संडे वर्किंग के सम्बन्ध में कुछ कंडीशन्स ले डाऊन हैं कि किन किन कन्डीशन्स पर संडे वर्किंग होगी। लेकिन फिर भी हमारे विरोध पक्ष के नेताओं के सहयोग से यह समझौता हो गया कि मिल में संडे वर्किंग होगी। इस पर काफी विवाद मचा और अन्त में कर्मचारियों ने यह तय किया कि संडे वर्किंग नहीं करेंगे। इन मिलों के वर्किंग आवर्स भी अलग-अलग थे। काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी वहां के मालिकान टस से मस नहीं हुये और उन्होंने काम करने के घंटों को ठीक नहीं किया। इसके लिये मैंने लेबर विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। एलगिन मिल, नं० २ के कर्मचारी इस संडे वर्किंग तथा घंटों के मामले को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने हड़ताल कर दी। वह हड़ताल कुछ दिन चली, कुछ जेल भी गये, काफी हल्लागुल्ला मचा, उसका नतीजा यह हुआ कि सारी टैक्सटाइल मिलें जहां संडे वर्किंग तथा बढ़े हुये घंटों में काम होता, था बन्द हो गया। निकाले गये श्रमिकों का विवाद अब भी आर्बिट्रेशन में पड़ा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्रीमन्, अगर सही मानों में यह सरकार लेबर डिस्प्यूट को खत्म कराने के लिये प्रयत्नशील है, तो उससे बड़ी खुशी और क्या होगी और यह अच्छी बात भी है, लेकिन आप उस ओर कुछ करिये तो सही। मैं आपसे टैक्सटाइल के बारे में कहना चाहता हूं। जिसका कि अभी मैंने जिक्र किया। निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट में एक क्राईटेरिया दिया हुआ था कि किस तरीके से इन्डेक्स के ऊपर डी० ए० फिक्स किया जायेगा। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि उसके आने के थोड़े ही दिनों के बाद मालिकों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसकी वजह से सरकार ने उक्त रिपोर्ट को ६ दिसम्बर, १९४८ के जी० ओ० के द्वारा अमेंड कर दिया। अब परिणाम यह हुआ कि अहमदाबाद को छोड़कर कानपुर का दूसरा नम्बर था डी०ए० प्राप्त करने में, परन्तु आज वह सबसे नीचे आ गया है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि १९४८ में बाम्बे में डी० ए० केवल ५२ रु० मिलता था, अहमदाबाद में ६६ रु० ४ आ० ६ पा० था, शोलापुर में ३७ रु० ८ आ० था, बड़ौदा में ५९ रु० १० आ० था, इन्दौर में ४५ रु० था, नागपुर में ४० रु० ८ आ० था, मद्रास में ३८ रु० ७ आ० था और कानपुर में ६० रु० ४ आने था। इस प्रकार दूसरा नम्बर कानपुर का था। वही १९४८ के मुकाबले जी० ओ० के बाद १९६३ में डी० ए० किस प्रकार मिलने लगा। बाम्बे में ९६ रु० ८ पैसे, अहमदाबाद में ८५ रु० १५ पैसे, शोलापुर में ७२ रु० ८२ पै०, बड़ौदा में ७६ रु० ६३ पै०, इन्दौर में ६६ रु० ९८ पै०, नागपुर में ६७ रु० ३६ पै०, मद्रास में ८३ रु० ५ पै०, और कानपुर में ६६ रु० ६९ पै० डी० ए० मिलने लगा।

आज जो स्थिति है सन् ६७ में इन्डेक्स की उसके आधार पर कहा जा सकता है कि बाम्बे का इन्डेक्स ६७५ है जहां कि १६१ रु० ३२ पै० डी० ए० मिलता है, अहमदाबाद का इन्डैक्स ५०१ है और डी० ए० १६४ रु० ६० पैसे डी० ए० मिलता है, शोलापुर में इन्डेक्स ५९२ का है जब कि वहां डी० ए०१२२.९८ पै० डी० ए० मिलता है, बड़ौदा में डी० ए० १४८.१४ पैसे मिलता है, इन्दौर में ६९५ इन्डेक्स है जहां ११२.५० रु० डी० ए० मिलता है, नागपुर में ७९० इन्डेक्स है जहां ११२.६ पैसे डी० ए० मिलता है, मद्रास में ६९२ का इन्डेक्स है, जहां १३६ ५२ पैसे डी०ए० मिलता है, कानपुर में ८४५ का इन्डेक्स है जहां १२८.४ पैसे डी० ए० मिलता है। इतना इन्डेक्स बढ़ जाने के बाद केवल उस जी० ओ० के अमेंड हो जाने की वजह से कानपुर का मजदूर डी० ए० के मामले में परेशान है और तबाह हो रहा है। वेज बोर्ड के सामने डी० ए० का मामला पेंडिंग है, मैं मानता हूं। सूनर आर लेटर उस पर निर्णय भी होगा। इसकी बात मैं नहीं कहता। जो भी निर्णय वह देगा वह आल इंडिया स्तर पर होगा। लेकिन जहां तक कानपुर टैक्सटाइल एम्प्लाईज का सवाल है उसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि प्रदेशीय सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और १९४८ में जो अमेंड हुआ था उसको खत्म कर देना चाहिये। ताकि कानपुर में निम्बकर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर ही डी० ए० श्रमिकों को दिया जा सके। मजदूर सफर कर रहे हैं। मजदूर अगर सफर करता है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उसको ठीक करावे। उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर किसी व्यवसाय में क्यों न काम करता हो, वह किसी गड़बड़ी की वजह से यदि सफर करता है तो उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है न कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसलिये मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप सहानुभूति-पूर्वक विचार करें और अविलम्ब निर्णय लेकर निम्बकर कमेटी द्वारा दी हुई रिपोर्ट के आधार पर घोषणा करने की कृपा करें। साथ ही इस इंटरिम पीरियड में जो लास हुआ है, उसे कम्पेनसेट कराने की व्यवस्था करावें।

इसके साथ ही एक निवेद मैं आपसे और भी कर देना चाहता हूं। जहां तक हमारे सामने लेबर व इंजिनियरिंग के इंटरिम रिलीफ के इम्पलिमेंटेशन की बात आज आई है। इस पर गालिबन २६ जून को इलाहाबाद में दिये गये प्रदेश के लेबर मिनिस्टर की स्पीच को भी मैंने पढ़ा। उससे मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि ये जितनी भी स्पीचें जहां कहीं करते हैं उसका कोई सार और आधार नहीं होता है, बल्कि निराधार है। यह मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जहां तक इंटरिम रिलीफ का प्रश्न है। इस पर, जो त्रिदलीय कमेटी की बैठक हुई थी। जहां इम्पलायर ने निर्णय किया कि इसको वे इम्पलीमेंट करेंगे लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन फैक्टरीज को छोड़कर जो कि रजिस्टर्ड हैं, बाकी किसी भी फै टरी ने आज तक इम्पलीमेंट नहीं किया है और मैं समझता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट भी उसे इम्पलीमेंट करवाने में असमर्थ हो रहा है। उनका कहना यह है कि ये फैक्टरीज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं। इन फैक्ट्रियों में १००–२०० नहीं, बल्कि हजारों मजदूर काम करते हैं। यह मेरा दावा है।

आगरा के अन्दर जितने लेबर इम्पलाईज हैं उनमें आज भी ६० फी सदी ऐसे हैं जो अन-आर्गनाइज्ड वे में काम करते हैं और केवल ४० प्रतिशत ही ऐसे हैं जो आर्गनाइज्ड वे में काम करते हैं। यानी ६० प्रतिशत जो इम्पलाईज हैं उनको आज के कानून के मुताबिक किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलती। इसके लिये आज से नहीं बल्कि वर्षों से मांग की जा रही है लेकिन लेबर डिपार्टमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि जो इम्पलाईज अनआर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो इम्पलाईज कंट्रेक्टर के माध्यम से काम करते हैं, जिनकी तादाद हजारों में है उनको भी इंटरिम रिलीफ का बेनिफिट मिलना चाहिये। क्योंकि वे भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। इसके साथ ही मैंने इंजीनियरिंग इंटरिम रिलीफ की रिपोर्ट पढ़ी और से ट्रल लेबर डिप्टी मिनिस्टर की जो स्पीच लोक-सभा में हुई थी, को भी पढ़ा। उनका कहना है कि यू० पी० में केवल ३ प्रतिशत ही लागू हो पाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो

[श्री प्रभाकर त्रिपाठी]

यू० पी० सरकार की तरफ से यह कहा जाय कि पूर्णरूपेण लागू हो गया, थोड़ा बहुत यदि कहीं कमी रह गयी है उसे लागू कराने की व्यवस्था की जा रही है। १७ जून को जो स्पीच केन्द्र के डिप्टी लेबर मिनिस्टर की है, जिनका कहना है कि अभी तक ३ प्रतिशत ही यू० पी० में लागू हो पायी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसकी बात मैं सही मानूं। स्टेट गवर्नमेन्ट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सही मानूं यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अब मैं दूसरी इंडस्ट्रीज, जैसे इंजीनियरिंग, कारपेट, चीनी, कैमिकल, एग्रीकल्चर तथा, जूट आदि उद्योगों की ओर आता हूं। जहां यह कहा गया है कि मिनिमम वेज तय किया गया है या मिनिमम वेज के सम्बन्ध में कमेटियां बैठायी गयी हैं, उनका निर्णय आयेगा। मैं जानता हूं कि एक यू० पी० की मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी है जिसके माध्यम से यू० पी० सरकार मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधियों को लेकर एक वेज स्ट्रक्चर तय करने की बात करती है लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तक जो भी वेज तय हुआ है, उनमें कहीं भी वह फारमूला जो इंडियन लेबर कान्फरेंस में तय हुआ था, को आधार मान कर नहीं किया गया है। हम नहीं कहते हैं कि उनको स्टैन्डर्ड वेज, लिविंग वेज या फेयर वेज फिलहाल दिया जाय लेकिन हम यह अवश्य चाहते हैं कि हमको मिनिमम वेज दिया जाय और जो महंगाई या जो इन्डेक्स है, तथा पेडवेज का जो फारमूला है, को आधार अवश्य माना जाय। हमारे यहां पर ३० रु० से ६० रुपया तक तथा ७० और ८० रु० से ज्यादा कहीं नहीं दिया जाता है। जिसको यू० पी० मिनिमम एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है, जहां तक मेरी जानकारी है।

टैक्सटाइल उद्योग और चीनी उद्योग को छोड़कर और उद्योगों में जो लगे हुए मजदूर हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए उनके वेतन के सम्बन्ध में निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि २ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य अभी आपना भाषण समाप्त करने वाले हैं। जब समाप्त कर लें उस समय आप प्रस्ताव रख सकते हैं, मैं उसे सदन की अनुमति के लिए रख दूंगा और जो भी निर्णय होगा वैसे कायवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य कितना समय और लेना चाहते हैं ?

श्री प्रभाकर त्रिपाठी---

१० मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा।

जहां तक वेलफेयर का सम्बन्ध है आज हमारे सामने वेलफेयर विभाग है जहां वेलफेयर ऐक्टीविटीज होती हैं उनके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा और उनके लिविंग स्टैन्डर्ड को किस तरह से ऊंचा किया जाय इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सोचता था कि इस बजट में उसका कुछ प्राविजन होगा लेकिन जब मैंने बजट देखा तो पाया कि धन को बढ़ाने के बजाय करटेल कर दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस बजट का क्या आधार है। जहां तक सोशल वेलफेयर ऐक्टिविटीज का सम्बन्ध है मैं समझता था कि उसकी तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान होगा बनिस्बत और बातों के। लकिन मैंने यहां उसके विपरीत पाया।

. अब मैं इंडस्ट्रियल हाउसिंग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि इस प्रदेश के मजदूरों को जहां कम तनख्वाह मिलती है वहां उनके रहने की व्यवस्था भी उचित नहीं थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कानपुर १९५२ में आये थे तो

हमारे मजदूर नेताओं ने एक झोपड़ी उनको ले जाकर दिखायी जो टूटी फूटी थी। जिसको देख कर उन्होंने कहा था कि ऐसी झोपड़ियों में आग लगा देनी चाहिये। उसके बाद ही, उनकी कृपा से इन कालोनीज का निर्माण हुआ जहां कि मजदूर रहते हैं। मैं यह देखता हूं कि वहां की स्थिति आज बहुत नाजुक है क्योंकि वहां न तो सफाई का प्रबन्ध है और न किसी अन्य बात की सुविधा है। अगर मंत्री जी वहां तशरीफ ले जायं तो बदबू के मारे उनको नाक बन्द करनी पड़ेगी। सीवर की खराबियां इतनी हैं कि उनके आंगनों के अन्दर गन्दा पानी भरा रहता है, मकानों की सफाई नहीं होती है। वहां पर न तो पार्क की कोई व्यवस्था है और न स्कूल की व्यवस्था है, न पानी की ठीक सप्लाई की व्यवस्था है। इस तरह की तमाम चीजों की कमियां हैं जिससे कि उनका एक नारकीय जीवन हो रहा है और उनकी हालत वही हो रही है जो सन् १९५२ के पहले थी। वे वैसी ही स्थिति में रहते हैं भले ही ३, ४ मंजिलों की इमारतें उनके लिये बनी खड़ी हैं।

आज एक बहुत अहम मसला है। बहुत से मजदूर इन मकानों में बरसों से रहते चले आ रहे हैं। कोई अपने भाई के साथ रहता था, और कोई चाचा के साथ रहता था। इत्तफाक से अगर वह छोड़ कर चला गया या इन्तकाल हो गया ऐसी दशा में उसको जब रेगुलराइज करने की बात की जाती है तो श्रम विभाग उसको रेगुलारइज नहीं करता है, बल्कि कोशिश यह करता है कि उनको उन मकानों से निकाल दिया जाय। मजदूरों के रहने के लिए जो कारपोरेशन के मकान बने हैं, जिसमें स्लम एरिया के मजदूरों के रहने के लिये स्थान मिलता है वहां की व्यवस्था भी बहुत खराब है।

(इस समय ४ बज कर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय त्रिपाठी जी आप को ३७, ३८ मिनट हो गये हैं बोलते हुए। समय कम है इसलिये संक्षेप में कहें और शीघ्र समाप्त करें। २, ३ मिनट आपके और हैं।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी---

इस प्रदेश में ई० एस० आई० की स्कीम लागू है, उसके अन्दर मेडिकल की व्यवस्था है, दवादारू की व्यवस्था है। जब यह स्कीम १९५२ में लागू हुई, तो, दो तीन साल तक तो इसका कार्य क्रम ठीक ढंग से चला लेकिन उसके बाद आज स्थिति यह है कि वहां पर दवादारु का कोई प्रबन्ध नहीं है। मजदूर दवा कुछ लेने जाता है और दवा उसे कुछ और दी जाती है। मजदूर अगर छुट्टी चाहता है तो उसे छुट्टी नहीं मिलती लेकिन अगर अवैधानिक रूप से छुट्टी लेना चाहता है ता मिल जाती है। जहां तक मेडिकल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन आफ बड्स आदि का संबंध है उसकी भी उचित व्यवस्था नहीं है। यह स्कीम अभी तक टेम्पारेरी है जब कि हिन्दुस्तान में सारे प्रदेश में परमानेंट हो चुकी है। दुर्भाग्य से इस प्रदेश में यह स्कीम अभी तक परमानेंट नहीं की गयी है। इसलिये इस स्कीम को जल्दी से जल्दी परमानेन्ट घोषित किया जाय। जहां तक ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाने का सवाल है, उसको सही दिशा में देने के लिये यह आवश्यक है कि यूनियनों को जो मान्यता दी जाय वह सोच समझ कर दी जाय। उसकी सदस्य संख्या को देख कर ही उनको रजिस्टर किया जाय। जहां एम्पलायर की वजह से लेबर अनरेस्ट फैलता है, वहीं चन्द यूनियन के नेता जिनका संगठन एक पेशा है, की वजह से भी यह अनरेस्ट फैलता है। ७ आदमी लेकर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करा लेते हैं और उसे वह एक रोजगार का स्वरूप दे देते हैं। ट्रेड यूनियनों का जो बढ़ता हुआ रोजगार है उसे भी मिनिमाइज किया जाय। आई० एन० टी० यु० सी० की क्लीयर पालिसी है कि किसी यूनियन की मेम्बरशिप के आधार पर ही उसे मान्यता दी जा सकती है। अगर इसके विपरीत सरकार ने रिफरेंडम कराया तो आई० एन० टी० यु० सी० उसका बायकाट करेगी। रिफरेंडम कराया गया तो उसमें एम्पलायर की यूनियन भी मान्यता प्राप्त कर सकती है, ऐसे लोगों की यूनियनों को भी मान्यता मिल सकती है।

[श्री प्रभाकर त्रिपाठी]

जिनका कोई वजूद नहीं है। सन् ५४ में जब विन्दबासिनी प्रसाद कमेटी की रिपार्ट पर डिसकशन हो रहा था उस समय कानपुर में ६ यूनियनों को मिलाकर एक सूती मिल मजदूर सभा बनायी गयी लेकिन जब उससे मेम्बरशिप मांगी गयी तो एक आदमी की सदस्यता तक नहीं दिखाई गयी और जब लेबर विभाग के जरिये जांच की गयी तो भी एक सदस्य, यह यूनियन नहीं दिखा सकी। सरकार यदि यूनियनों को मान्यता दिलाने में दिलचस्पी व ईमानदारी रखती है तो उसे चाहिये कि जो फारमूला इंडियन लेबर कान्फ्रेंस में कोड आफ डिसिप्लिन व कोड आफ कंडक्ट के आधार पर तय हो चुका है, के ही आधार पर कराने की व्यवस्था करें। और यूनियनों के सदस्यों की जांच हेतु भी जो फारमूला तय है, उसको ही आधार माना जाय। जहां तक कानपुर के टेक्सटाइल उद्योगों का संबंध है, उसमें किस यूनियन को मान्यता दी जाय, इस संबंध में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का एवार्ड मौजूद है, और उसके मुताबिक यूनियनों के सदस्यों की जांच भी हो चुकी है। फिर भी आज तक यूनियनों को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिये अनुरोध है कि सदस्यता के आधार पर इस उद्योग में जो यूनियन प्रथम व द्वितीय आई हैं उसे अविलम्ब मान्यता दी जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूं कि वह डेढ़ बो घटे का समय जितना सहमत हों बढ़ा दें। श्रीमन्, इसी समय बढ़ा दिया जाये जिस से दिक्कत न हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं जानना चाहता था कि समय के बारे में सदन की क्या राय है। हमारे माइक की दुर्व्यवस्था की वजह से करीब आध घंटे का समय नष्ट हो गया क्योंकि आध घंटे के लिये सदन स्थगित रहा। भाषण अभी तक चल रहे हैं और प्रस्तावकर्त्ता का भाषण सवा चार बजे समाप्त हो रहा है। सदन के पास केवल ४५ मिनट का समय रह गया है। इसके अलावा आध घंटे का समय नियम ५१ तथा ५२ की सूचनाओं में लग जाता है। इस तरह से केवल १५ मिनट ही शेष रह गये हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सदन कब तक बैठेगा और माननीय सदस्यों के कितने मिनट भाषण के लिये होने चाहिये। ज्यादा अच्छी प्रथा तो यह है कि नेता सदन और नेता विरोधी दल आपस में बात कर लें। मैं चाहता हूं कि माननीय राम नारायण त्रिपाठी बोल लें और माननीय सदस्य आपस में बात कर लें और मुझे सूचित कर दें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इंसानियत के नाम पर समय की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

श्री प्रभुनारायणसिंह—

मान्यवर, इस संबंध में ऐसा है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है, उसको भी देखना पड़ेगा लेकिन बीच में व्यवधान हो गया था इसलिये एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। इसके माने हैं कि सदन ६ बजे तक चलेगा। १० मिनट का अधिक से अधिक समय मैं दे पाऊंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य और कम समय लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, श्रम विभाग के बजट को रखते हुये उद्योग मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें सदन ने देखा कि इस तीन महीने के अल्पकाल में यह सरकार अपने विभागों तथा कार्य के प्रति

कितभी सतर्क है और निश्चय ही यह प्रगति का सूचक है। जो पिछले २० वर्ष से यह सरकार नहीं कर सकी। प्रभाकर जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करके यह बताया कि यह सरकार बाजीगर की तरह से जनता पर असर डालना चाहती है। हम तस्लीम करते हैं। मान्यवर, सरकस जब खत्म होने लगता है तो अन्त में एक खेल मोटर साइकिल का होता है। एक आदमी लोहे के सींकचे के अन्दर मोटर साइकिल चलाता है। संयुक्त विधायक दल की सरकार की हालत मोटर साइकिलिस्ट की तरह से है। इसलिये कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है जो पिछले २० साल से शासन कर रही है। वह सरकार मिश्रित अर्थ व्यवस्थी को मानने वाली है। इसमें पूंजीपतियों को हमेंशा लाभ रहता है। २० वर्षों से सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव था और अभी दूर नहीं हुआ है। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र मस्त हैं। उनको दुनियां की खबर नहीं है।

श्रम की समस्याओं को हम उद्योगों से अलग नहीं कर सकते। दोनों तरफ के लोग महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसे उद्योग जो घरेलू उद्योग धंधों के रूप में चलाये जा सकते हैं उनका घरेलू उद्योग धंधों के रूप में चलन होना चाहिये और ऐसे उद्योग जो बड़े-बड़े पैमाने पर काफी पूंजी वाले हैं ऐसे उद्योगों को बड़े कारखाने के रूप में चलाना चाहिये। उनको सरकार चलाये या सरकारी नियंत्रण में होना चाहिये। लेकिन बीस वर्षों से पूंजीवादी व्यवस्था के कारण देश की सारी प्रगति रुकी हुई है। श्रमिकों का हित तब तक कैसे हो सकता है जब तक सारे देश की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त न की जाय। आज सारे देश के उद्योग दस या पांच फीसदी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथ में हैं जिसके कारण सारे मजदूर किसान और सभी संबंधित लोग परेशान हो रहे हैं। महात्मा गांधी को अर्थ व्यवस्था के अनुसार अगर काम करते तो गांव गांव में उद्योग होते। महात्मा गांधी की अर्थ व्यवस्था से दूर होने के कारण गांवों के परिवार टूटते जा रहे हैं। जो भी मिलें बनाते हैं अहमदाबाद और कलकत्ते में बनाते हैं जहां उनको सुख सुविधायें मिल सकती हैं। गांव के निवासी गांव को छोड़कर उनमें काम करने के लिये बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं जहां पर उनको रहने के लिये मकान नहीं। वह स्लम्स में रहते हैं। सारे देश की अर्थ व्यवस्था पर पूंजीपति नियंत्रण कर रहे हैं तो ऐसी हालत में श्रमिकों और मजदूरों का, गरीबों का हित करने वाला कौन है? ट्रेड यूनियन का माना हुआ सिद्धान्त है कि एक ट्रेड का एक यूनियन होना चाहिये। यही विद्यार्थियों और नवयुवकों के आन्दोलन में होना चाहिये। लेकिन स्पष्ट रूप से यह मानना पड़ता है कि कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा लगाकर एक पार्टी की ट्रेड यूनियन बना कर ऐसी समस्या खड़ी कर दी, जिस से मिल मजदूरों के हित में जो हो सकता था, उनकी मांगों को मनवाने के लिये, उस क्षेत्र में ऐसी दुर्व्यवस्था हो गयी जिस से श्रमिकों के लिये व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर आज हम राष्ट्रीयकरण करना चाहें तो दिल्ली की सरकार कहेगी जो मुआविजा दिये बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार इच्छा होने पर भी हमारी सरकार अपने मन के साधन नहीं जुटा सकती। माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि हम मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार अड़ंगा लगायेगी कि उसके लिये मुआविजा होना चाहिये। जब तक प्रभाकर जी और उनके साथियों की सरकार दिल्ली में है तब तक यह कैसे हो सकता है? अगर सब पार्टियां स्वीकार करें कि एक ट्रेड की एक यूनियन हो तो हम श्रमिकों की अच्छी आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध कर सकते हैं। मान्यवर, समाजवादी व्यवस्था में उद्योग पूरे देश की उन्नति को ध्यान में रख कर दिये जाते हैं लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में जहां मालिकों को कच्चा सामान और बिजली मिल जाती है सारे मजदूरों और देश की उपेक्षा करते हुये वहीं पर उद्योग स्थापित होता है। पिछले २० वर्षों में जो उपेक्षित क्षेत्र थे वह उपेक्षित ही रह गये। गांवों को पूंछा ही नहीं। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये उधर के लोगों को प्रधान मंत्री इन्द्रा जी को सलाह देनी चाहिए कि एक बात कर दें, संविधान में परिवर्तन कर दिया जाय कि बिना मुआविजे के बड़े बड़े कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, यदि कांग्रेस पार्टी को इस देश के लोगों, किसान मजदूरों का हित करना है तो वह संविधान में इस प्रकार का संशोधन करा दें। यह सरकार मिल मालिकों की बन्दी है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मिल मालिक के हित में विधान में अक्सर परिवर्तन होता है तो यह कैसे संभव है ? अगर बिना मुआवजे के राष्ट्रीयकरण की बात कही जाय तो यह दिल्ली सरकार कर सकती है। यहां तो आर्थिक साधन होने पर ही मिलों के लिये व्यवस्था हो सकती है। अभी ऐसा करना संभव नहीं है।

मान्यवर, राजनैतिक पार्टियों का यह हाल है कि मजदूर आन्दोलन को एक तरह से कांग्रेस ने दिलचस्पी लेकर बरबाद कर दिया है। राज कर्मचारियों के आन्दोलन में भी राजनीति का प्रवेश कर दिया गया है। जिस से उनको भी प्रोत्साहन मिलने लगा है। वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो इसका विरोध करते थे। जब तक ये सारी बातें सुधर न जांय तब तक प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। जब तक हम अपना पूरा अधिकार, आर्थिक नियंत्रण अपने हाथ में न आ जाय तब तक अपने मन की आर्थिक व्यवस्था हम कर नहीं सकते हैं। तब तक मिलों का राष्ट्रीयकरण भी नहीं हो सकता है और न मजदूरों को काफी सुविधा दे सकते हैं। उन सब बातों की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब पूंजी का नियंत्रण सरकार के पास आ जाय और यह तभी हो सकता है जब इंदिरा जी की सरकार पर हमारे उधर के भाई जोर डालें। उस समय तक न हम खेतिहर का जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं और न दूसरे मजदूरों का हित संभव है। यह सारा झगड़ा वहीं पर जड़ पकड़े हुये हैं जहां पर पूंजी अटकी हुयी है। विषमता का कारण वही बनी हुयी है। अगर वे उधर के भाई चाहते हैं तो दिल्ली की सरकार से कहें वह विधान में संशोधन करके ऐसा हल निकाल सकती है।

(श्री राजाराम पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन—

इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और समय कम है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि प्रत्येक सदस्य को ७ मिनट का समय सीमित कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

कायदा तो यह है कि जब कोई सदस्य खड़े हो जायं तो उसके बाद समय निर्धारित हो। अब अगर सभी की सलाह हो तो ७ मिनट बोलने की व्यवस्था मैं इनके बाद कर दूंगा।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय सदस्य रामनारायण जी त्रिपाठी की बात सुन रहा था। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह ग्रांट तो लेबर की थी और आप जन कांग्रेस के हैं जो लेबर से संबंध नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी आप खड़े हो गये। और खड़े हो कर बड़े अच्छे सुझाव भी दे दिये। अगर प्रभुनारायण जी उस से सहमत हो जायं जो रामनारायण जी चाहते हैं तो अच्छा है। रामनारायण जी का (Mixed) मिक्सड इकानामी में विश्वास था तो वे पी० एस० पी० को छोड़कर कांग्रेस में आये। फिर वह कांग्रेस से अलग चले गये। कम से कम यह कर लेते कि सब दलों को मिलाकर सरकार बनाई है संविद की। फिर हिन्द मजदूर पंचायत, हिन्द मजदूर सभा, ए०आई०टी०यू०सी० इन सबको मिलाकर एक यूनियन बना लेते क्योंकि आप तो समाजवाद चाहते हैं। उसके बाद इन्टक को दोष देते। आपने गुप्ता जी को लेनिन कहा था। आज बुरे हो गये।

प्रभुनारायण सिंह जी ने इस ग्रांट के संबंध में बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण किया। श्रम मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह श्रम मंत्री जिनका श्रम से कभी संबंध नहीं रहा तो वे ऐसा लेक्चर नहीं देंगे तो कैसा देंगे ? श्रमिकों की कठिनाई के संबंध में उनको ज्ञान नहीं है तभी वह इस तरह से बात करते हैं। उन्होंने तीन बातें बड़ी जोरदार कहीं। उन्होंने साहू जैन की बात कही। आपने ट्रेड यूनियन की और लेबर मूवमेंट की बात कही, लेकिन वह इन सब बातों को क्या जान सकते हैं ? आप तो बनारस की कचहरी की

बात जान सकते हैं या साहू जन की ड्राइंग रूम में बैठकर बात करना जानते हैं। आप क्या जाने कि किस प्रकार से लेवर की कठिनाई होती है। टैक्सी से तो आप कभी नीचे उतरे नहीं। आपको तो बस पर नहीं चलना पड़ता। ऐक्सीडेन्टली भाग्य से उत्तर प्रदेश के लेवर मिनिस्टर बन गये। आपने जिस प्रकार से लेबर की व्याख्या की उसको कोई भी आदमी जो लेबर में काम करता है समझ सकता है कि किस प्रकार से आपने घुमा फिरा कर बातें कहीं और बाद में सभी बातों पर लीपा पोती कर दी। आपने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि मजदूरों के लिये हम तर्क संगत बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि एक कारखाने में एक यूनियन होनी चाहिये और दूसरी तरफ उसके साथ ही आप कहते हैं कि ज्यादा यूनियनें बननी चाहिये। क्यों दो साल की बंदिश रखी गयी थी। वह दो साल की बंदिश हटा दी गयी इसलिये कि आप चाहते हैं कि ज्यादा यूनियनें कारखानों में बन जायं। यह आप चाहते हैं इसलिये कि आपकी सम्मिलित सरकार तो बन गयी, लेकिन आप ट्रेड यूनियन एक भी नहीं बना पाये। इसलिये आप चाहते हैं कि हिन्द मजदूर पंचायत की यूनियनें और ज्यादा तादाद में रजिस्टर हो जायं। बड़ी जोरदार बात आपने चुर्क में कही। इलाहाबाद आप अभी गये थे, लेकिन क्या वहां पर आपने मजदूरों की बात सुनीं ? वैद्यनाथ प्राणदा कम्पनी के श्रमिकों से संबंधित हमारी यूनियन का एक मामला था जिसके लिये कहा गया कि अगर उसको रेफर न किया जाय तो हिन्द मजदूर पंचायत की यूनियन बन जायगी और उसके साथ ही आपने नैनी में उसकी एक शाखा खोल दी। इसी तरह आपने चुर्क की बात की, रेफरेंडम की बात की। मैं तो कहता हूं कि आप श्रम मंत्री भी हैं और आप इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं। आप प्रदेश के सबसे बड़े इम्पलायर हैं। आप चुर्क के इम्पलायर हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के इम्पलायर हैं, आप ट्रांसपोर्ट के इम्पलायर हैं। आपको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिये। जब निम्बकर कमेटी का जी० ओ० १९४८ में बिजली के श्रमिकों के लिये निकला तो उसमें था कि कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स से डी० ए० लिंक रहेगा और झांसी बिजली कम्पनी के केस में हाई कोर्ट ने इस बात को होल्ड किया कि बिजली मजदूरों को उसी हिसाब से डी०ए० मिलना चाहिये। क्या आपने उसको लागू करवाया ? आज भी बिजली के कर्मचारियों को फिक्स्ड डी०ए० मिलता है। केन कोआपरेटिव सोसाइटीज की केन यूनियनों में मजदूर काम करते हैं। प्रदेश में सभी सीजनल क्लर्कों की १३ रुपये माहवार की तरक्की हुई, क्या उसे आपने लागू करवाया ? आपको इसका कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जब हो जब कभी लेवर में काम किया हो। अगर आपका लेवर से संबंध होता तो आपको उनकी तकलीफ और उनका दर्द मालूम होता। लेकिन इसके साथ ही आपके पास इंडस्ट्री विभाग भी है। मालिकों से आप घिरे हुये हैं। आपने बताया कि देवरिया में भटनी मिल नीलाम हो जायगी और भटनी मिल के मालिक जब आपके पास आये, उस बारे में जब मैंने पूछा तो उसका जवाब देने से आप कतरा गये। आप बतलायें कि भटनी मिल को चलाने की आप क्या व्यवस्था करेंगे ? फैजाबाद में शुगर फैक्टरी है, वहां कार्ड बोर्ड की फैक्टरी बन्द पड़ी है और उसके लिये कुछ ऐग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। आप कहते हैं कि आप की मशीनरी बड़ी तेज है। रात दिन हमारे लीडर्स दौड़ते हैं। लखनऊ, कानपुर आते जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो ऐग्रीमेंट हुआ था कार्ड बोर्ड का उसके लिये भी कोई सुनने वाला नहीं है।

आपने जी० ओ० निकाला कि ४ परसेंट बोनस मिलना चाहिये। यह आपका ही जी०ओ० था लेकिन इसे भी मसौधा भटनी शुगर मिल के मालिक ने मसौधा, शुगर मिल में नहीं माना, मसौधा भी भी भटनी मिल के मालिक की फैक्टरी है, नहीं माना। आपने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी लेकिन कल ही वह आपके कार्यालय में बैठे थे। आपने क्यों नहीं पूछा उनसे कि आपने यह जी० ओ० वहां पर क्यों लागू नहीं किया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे सूखे और गरीबी के जमाने में कभी मजदूरों के बोनस की बात टाली गयी हो। कांग्रेस के जमाने में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोनस के लिये हस्ताक्षर हो गये हों और उसके लिये आदेश न जारी हुये हों। कायदा यह है कि आदेश १५ या २१ दिन के अन्दर निकल जाने चाहिये, उसके लिये जी० ओ० निकल जाना चाहिये। बोनस का ५ मई का फैसला है, आज जुलाई हो गई, लेकिन आज आप ऐलान

[श्री राजाराम]

करते हैं कि यह बोनस अब ७० लाख मजदूरों को मिलेगा। मालिक आज कहता है कि जब तक जी० ओ० नहीं निकलता हम कुछ नहीं मानते हैं। आपका फाइनल जी० ओ० इसके लिये निकलना चाहिये था। तो इस तरह से मालिक आपकी बात को ठुकरा रहा है। आपने कहा कि बिड़ला पहले कांग्रेसियों के साथ था और आज बिड़ला जी हमसे दब गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री जी के माथे पर कलंक है। आपने कारखाना बन्द करवाया था, मजदूरों को निकलवाया था और आज आपने केवल ८७ मजदूरों को रखवाया है। आपको बाकी ४७ मजदूरों को भी रखवाना पड़ेगा। आपने पंचायत में उनका मामला क्यों भेजा। इससे साफ जाहिर है कि आप उनको निकलवाना चाहते हैं। लेकिन वह निकलेंगे नहीं। हम आपका घर उनके द्वारा घिरवायेंगे और मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि आप ने उन ४७ मजदूरों को निकलवा कर ८७ मजदूरों को रखवाया है। वह एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरी है। उसमें दस लाख रुपया बोनस का होता है। सात महीने हो गये, लेकिन उन मजदूरों को बोनस नहीं मिला। वहां का मजदूर, रेनुकूट का मजदूर आज परेशान है। बिड़ला जी से आपने बोनस छोड़ने का सौदा करके उन ८७ मजदूरों को रख वाया है। आप इस तरह की बात करते हैं। मान्यवर, मुझे कुछ समय और दीजिये। यह बड़ा महत्व का विषय है।

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री राजाराम—

राकेश जी, आप घबड़ाते क्यों हैं ? मैं आपके संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं (व्यवधान)। मैं माननीय उग्रसेन जी के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन मान्यवर, जब भटनी चीनी मिल के मालिक मंत्री जी से मिलने आये उस मिल के नीलाम होने की बात सुनकर तो पहले वह माननीय उग्रसेन जी के कमरे में पहुंचे और फिर उग्रसेन जी उनको ले कर माननीय प्रभुनारायण सिंह जी के यहां आये।

मैं बतलाना चाहता हूं कि परमानेंट कंसीलियेशन बोर्ड की बात की जा रही है। वह जो बोर्ड बना है मोदी नगर में उसके लिये आपका कहना है कि आप तर्क संगत बात कहते हैं। एक यूनियन मोदी नगर में है। वहां मजदूरों के मसले निपटाये जा रहे हैं लेकिन कानपुर में मजदूरों को आप बोनस नहीं दिलवा पा रहे हैं (व्यवधान)। मान्यवर, यह ठीक है कि मेरी यह बातें बुरी लगेंगी। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इंजीनियरिंग वेज बोर्ड की इंटैरिम रिपोर्ट निकल चुकी है। उसमें मजदूरों को तरक्की दी गयी है। प्रभुनारायण सिंह जी यहां बैठे हैं। वे प्रदेश के सबसे बड़े इम्पलायर हैं, उसकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ट्रैक्टर वर्कशाप में ही वह अभी लागू नहीं करवा पाये। उस रिपोर्ट के अनुसार आज मजदूर को साढ़े १२ रुपये अधिक मिलना चाहिये, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय .....(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष––

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया शान्तिपूर्वक सुनने की कोशिश करें और यह परम्परा न डालें कि अगर कोई बात अरुचिकर लगी तो खड़े हो कर उसका वहीं से जवाब देने लगें (व्यवधान)। उग्रसेन जी, आपका नाम बार-बार लोग इसलिये लेते हैं कि लोगों को आप से बहुत आशायें हैं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

अध्यक्ष महोदय, आज यह बड़ी खुशी का अवसर है कि उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने तमाम अवसरों पर इस कांग्रेसी हुकूमत में कितनी ही बार लाठियां खायीं, कितनी ही बार जेल यात्रायें कीं और कांग्रेस हुक्मरानों के वह काले कानून, जिनके द्वारा देश का जनतंत्र आज भी दुखी हो रहा है, चाहे वह डी० आई० आर० रहा हो, चाहे पी० डी० ए० रहा हो, वह पुलिस ऐक्ट रहा हो अथवा धारा १४४ रही हो, जिन्होंने हमेशा हमेशा जनतंत्र की हत्या की है, उनका मुकाबला किया है और ऐसा व्यक्ति ही आज यहां इस विभाग को संभाले हुये है।

मैंने अभी माननीय राजाराम पांडेय के भाषण को सुना। एक बात कह दूं कि जो भी थोड़ा समय हमें मिला उसमें उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग जो कुछ भी कर सका है, जितना भी हो सकता है वह श्रमिकों के लिये किया गया। हम श्रमिकों के लिये कुछ विशेष तो नहीं कर सके, लेकिन मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वह इस बात की ओर इंगित करता है कि आने वाले जमाने में यह भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने वाली सरकार श्रम विभाग में भी आमूल चूल परिवर्तन अवश्य करेगी और मैं यह भी कहने में हिचकूंगा नहीं कि जब राजाराम जी यह कहते हैं कि आप टाटा और बिड़ला की बात करते हैं तो वह अपनी ओर क्यों नहीं देखते कि आपने पिछले २० वर्षों में क्या किया। मैं व्यक्तिगत तरीके से कोई आक्षेप नहीं करता, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि विधान सभा की नियमावली में इस प्रकार का नियम हो जाय कि जिनका पूंजीपतियों से ताल्लुक हो वे विधान सभा के सदस्य नहीं हो सकते तो न यहां पर बनारसी दास जी दिखाई देते, न राजाराम जी दिखायी देते और न चन्द्रभान गुप्त दिखायी देते। "तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहे भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम"। यह बनारसी दास जी बैठे हैं। वह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें तालाबन्दी की घोषणा की गयी। राजाराम जी बैठे हैं, उनसे पूछ लिया जाय कि मदन पांडेय पर धावा कराने वालों में ये भी थे।

मान्यवर, कालागढ़ की घटनाओं की बात कही गयी। जब हम पिछली सरकार के बारे में कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि वही २० साल की बात दोहरायी जाती है। मगर श्रीमन्, जब मिनिमम वेज की बात कही जाती है, नेशनल स्टैन्डर्ड की बात कही जाती है, मजदूरी की बात कही जाती है, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की बात कही जाती है, और तमाम बातें कही जाती हैं तो फिर २० साल की बात कहना ही पड़ जाती है। हम अगर इस ओर कोई काम करना भी चाहते हैं तो आपके जो बूढे आका जो देहली में बैठे हुये हैं वे कूद पड़ते हैं, हम कोई काम करना भी चाहते हैं तो उसमें रोड़े अंटकाये जाते हैं। आप लोग गरीबों के, मजदूरों के बड़े हिमायती बनते हैं, मगर मैं, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि यही राजाराम जी और काशीनाथ जी जो उनकी दलाली करते हैं, ८०० रुपया महीना लेते थे। आज हमने बैलेट सिस्टम से जो चुनाव कराने की बात की है क्या उससे मजदूरों का हित नहीं होगा। मुझको तो ६–६ बार डी० आई० आर० में बन्द किया गया है सुचेता जी की सरकार के जमाने में, मगर मैं आपको बताता हूं कि आपकी नीति मजदूरों के हित में नहीं रही है।

श्रीमन्, यह सत्य है कि हम लोग कुछ करने चले हैं। (लाल बत्ती होने पर) कुछ समय और दे दें अध्यक्ष महोदय। श्रीमन्, हम लोग विभिन्नता में एकता लाने का कार्य कर रहे हैं। श्रम कानूनों में, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वे संशोधन अवश्य करें। श्रम विभाग

[श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

के अधिकारियों की मौन नीति में परिवर्तन करें। रूस और अमेरिका की पद्धतियों को यहां लागू करन का प्रयास करें।

इसके अलावा एक सुझाव यह है कि जो रिवीजन आप ५ साल के बाद करते हैं वह तीन साल के बाद हुआ करे तो यह ज्यादा अच्छा होगा। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये अगर आपको आर्डिनेंस भी लाना पड़े तो ठीक है, आप उसे लाइये। इस प्रथा को अवश्य समाप्त करना चाहिये। हर जगह बलेट सिस्टम को अपनाइये।

जहां तक घेराव की बात कही गयी। उस संबंध में भी मुझे एक बात अवश्य कहना है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बात की गारंटी दे दें कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, श्रमिकों की सहूलियतों पर अवश्य ध्यान दिया जायगा, उनकी जायज मांगों को स्वीकार किया जायेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मजदूर वर्ग कभी इस चीज को पसन्द नहीं करेगा। अगर मिल मालिकान अपनी हरकतों को बन्द कर दें, मजदूरों के साथ न्याय हो तो वे कभी इस चीज को नहीं करेंगे। मगर, अगर किसी समझौते का इम्प्लीमेंटेशन न हो, समझौता होने के बावजूद भी वह लागू नहीं होता, तो मजदूर विवश हो कर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। घेराव को अवैध करार न कर दें उसके लिये कुछ सीमायें रख दें। माननीय राजाराम जी ने कहा कि कितने लोग उनके साथ चलते हैं। श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि हजारों लोगों के साथ मैं रहा हूं। राजाराम जी की तरह नहीं कि बिरला की एयर कंडीशन्ड गाड़ियों में ट्रेवेल करें और जब मैं पहुंचूं तो छिप जायं। श्रीमन्, मैं जंगलों में भी भटका हूं और ये दाढ़ी जो पहले रखी हुयी थी यह उसी की प्रतीक थी। पुलिस की घोषणा थी मेरी गिरफ्तारी के सिलसिले में कि जो राकेश चतुर्वेदी को पकड़ेगा उसको पांच सौ रुपया इनाम दे दिया जाय। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मजदूरों को सुविधा न मिले तो घेराव भी होगा, हम अपने मंत्रियों को भी घेरेंगे। मजदूरों के प्रति जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसके लिये वे परिवर्तन और संशोधन अवश्य करें।

(व्यवधान)

श्री राजाराम---

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण यहीं कर देना चाहता हूं कि आज तक हम दलाली करते थे। अब हमन माननीय राकेश के जिम्मे दलाली सौंप दी है।

(व्यवधान)

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

श्रीमन्, बेशरमी की हद होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

स्पष्टीकरण की मैंने अनुमति दी है।

श्री राजाराम---

राकेश जी हमारे सामने इस फील्ड में आये हैं। मैं बिरला से दूर हूं। आज तो माननीय प्रभुनारायण जी और राकेश जी ही उनके समीप हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये। बिड़ला जी के रसगुल्ले तो अब इन्हीं से नहीं बचते।

*श्री एस० जी० दत्त---

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिन समस्याओं के ऊपर माननीय सदस्य एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मजदूरों की बेहतरी और उनकी और समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि रामनारायण त्रिपाठी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊपर कि कांग्रेस के अन्दर रह कर, कांग्रेस के टिकट पर आकर फिर कांग्रेस को गालियां देना कोई शोभा की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सबकी मां है। इधर के उधर के ये सब कांग्रेस के बेटे हैं। कुछ बेटे बरखुरदार हैं, कुछ बेटे नाबरखुरदार हैं। अब ये अपनी मां को गालियां दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने ही सबको जन्म दिया है इस देश के अन्दर। आज मजदूर की जितनी भी समस्यायें हैं, जो कायदे कानून बने हुये हैं वे सब कांग्रेस सरकार के जरिये से बने हैं बीस साल के अन्दर। श्रीमन्, ये लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में इन मजदूरों ने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, उस समय कोई कायदा कानून नहीं था और मजदूर को ठोकर मारकर निकाल दिया जाता था। कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही कायदे कानून बने, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, उनकी माली हालत, उनकी रिहायशी हालत और उनकी और सभी बातों की ओर ध्यान दिया गया। यह तरक्की हुई है यह तनज्जुली नहीं हुई। अगर आप इस तरह कह दें कि २० साल के अन्दर कुछ नहीं किया तो मैं कहता हूं कि वह इंसान इंसान नहीं जो सच को झूठ कहें। मुझे बड़ा अफसोस है। मैं माननीय प्रभुनारायणसिंह जी का आदर करता हूं। उन्होंने ट्रेड यूनियन्स में काम किया है। उनको दर्द भी है और वे हमदर्द भी हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कालागढ़ का निशान उनके माथे पर काले निशान की तरह लग गया है। कौन सी रुकावट थी आपको जुडिशियल इन्क्वायरी कराने में, जब मजदूर पिटे हैं और उनकी इतनी दुर्दशा हुई है? आपको इन्क्वायरी करानी चाहिए। यह आपकी कमजोरी जाहिर करती है। अगर मैं आपकी जगह पर श्रम मंत्री होता तो चीफ मिनिस्टर का कहना नहीं मानता और अगर जरूरत होती तो इस्तीफा तक दे देता लेकिन जुडिशियल इनक्वायरी जरूर होती।

इस बजट में इस सरकार ने मजदूरों के बारे में नया कुछ नहीं रखा है। जो कुछ कांग्रेस सरकार कर चुकी है उसी की लकीर पीट रहे हैं। आप लफ्जों से ही मजदूर को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। काम करके दिखलाइये। अगर आपके दिल में मजदूर के लिए हमदर्दी नहीं है तो मैं कहूंगा कि कुफ्रचू अजकाबा बरखेजद कुजा मानद मुसलमानी-काबा से कुफ्र उठ गया तो मुसलमानी कहां रहेगी?

सन् १९६३ में लेबर ग्रांट के ऊपर मैंने कहा था कि लेबर आफिस में एम्बेजिलमेंट है। २५,००० क्वार्टर जो मजदूरों के लिए बनाये गये थे उनमें २ महीने की पेशगी मजदूरों से लेकर उसकी रसीद दी जाती है। यहां तक मैंने कहा था कि सन् ५५ से लेकर ६३ तक की रसीद बुक्स कहां हैं, कैश बुक कहां है। लाखों रुपये का एम्बेजिलमेंट था। अभी इन्क्वायरी पैंडिंग है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस अफसर ने यह काम किया उसकी तरक्की हुई। आप जरा इसमें इन्क्वायरी ठीक से कीजिए कि मजदूरों की वह खून-पसीने की कमाई कहां गई। आज मैं फिर इसे दोहराता हूं कि और आप इसकी इन्क्वायरी कराइए। ए० जी० के यहां से आडिट होना चाहिए था। अपने आप निकल गये और दूसरों को फंसाया।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री एस० जी० दत्त--

मुझे कुछ समय और दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं और समय नहीं दे सकता हूं।

(श्री भगवती सिंह विशारद का नाम पुकारे जाने के उपरांत)

श्री अध्यक्ष—

आप जरा बैठिए। कुछ सूचना देनी है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय वीरेश्वर त्यागी जी का मिला है १४४ दफा के विषय में। यह मैंने अस्वीकार कर दिया है। तीन सूचनायें नियम ५१ के अन्तर्गत और मिली हैं। एक माननीय अश्वनी कुमार जी का है। यह है कि मिर्जापुर जिले की १०८ वर्ग मील भूमि जलाशय में आकर पानी की कमी हो गई है। यह मैंने मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है। नियम ५१ में स्वीकार नहीं है। इसी तरह की एक सूचना माननीय श्रीराम तिवारी को मिली है कि कानपुर में दैनिक "जागरण" के कार्यालय में कुछ हंगामा हुआ। इसको भी मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है और ५१ में अस्वीकार कर दिया है। एक यह माननीय हुकमसिंह की है। इस विषय पर मैं पहले भी सूचना अस्वीकार कर चुका हूं और माननीय मंत्री जी को भेज चुका हूं। इसे पुनः मैं संबंधित मंत्री जी के पास भेजता हूं।

अब जो वक्तव्य होना है वह मैं ६ से करीब १५, २० मिनट पहले लेने का प्रयास करूंगा।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २७–श्रम और सेवायोजन (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मैं ७ मिनट से ज्यादा किसी माननीय सदस्य को नहीं दे पाऊंगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा संयुक्त विधायक दल की सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रम विभाग एक ऐसे व्यक्ति के जिम्मे किया है जिसने मजदूर आन्दोलनों में एक मजदूर कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य किया है। इससे प्रदेश के मजदूरों में एक आशा का संचार हुआ है कि उनकी दशा में किसी न किसी रूप में सुधार होगा।

जो अनुदान यहां प्रस्तुत किया गया है और जो कटौती का प्रस्ताव आया है वे मूल विषय नहीं हैं। पहले हमारे सामने विचार के लिए विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में कौनसी श्रम नीति अपनाई जायगी। एक सफल श्रम नीति के लिए आवश्यक है कि मजदूरों के सामूहिक समझौते कराये जावें। यह भी आवश्यक है कि इन्डस्ट्रियल पीस हो और मजदूरों की रहने की दशाओं में सुधार होते चले जावें। मजदूरों के लिए जो कानून बने हैं उनका भी सही ढंग से पालन होना चाहिए। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे प्रदेश की श्रम नीति इन कसौटियों पर असफल रही है। मैं मौजूदा श्रम मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वे इन मान्यताओं को सामने रखकर उत्तर प्रदेश की श्रम नीति का संचालन करेंगे।

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि इंडस्ट्रियल वेज डिसप्यूट्स ऐक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं। पहले ४ श्रम मंत्रियों ने भी यहां ऐसा ही आश्वासन दिया और यह पांचवे मंत्री हैं। मैं आशा करता था कि जिस दिन उन्होंने कार्यभार संभाला तुरंत इस ऐक्ट की कमियों को दूरा करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आज कानपुर से दो मिलों के मजदूर दर-दर के भिखारी बने घूम रहे हैं। लक्ष्मी रतन काटन मिल और महेश्वरी देवी जूट मिल बन्द हैं। वहां के मजदूरों को हर महीने १५ दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन वह नहीं मिल रही है। इसका कारण इस ऐक्ट की खामी है।

मान्यवर, मंत्री जी ने यह भी कहा कि मिट्ठनलाल जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा रहे हैं। खुशी की बात है। लेकिन यह सिलसिला कोई नया नहीं है। सन् १९३८ में स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी। उसके बाद निम्बकर कमेटी बनी। पे रेशनेलाइजेशन कमेटी बनी। आखिर में संपूर्णानन्द अवार्ड आया। लेकिन किसी भी समय कोई सिफारिश लागू नहीं की गई। हम उनसे कहते हैं कि वह चाहे कोई भी कमेटी या कमीशन बैठावें लेकिन इससे पहले अगर वह १९३८, में राजेन्द्र प्रसाद जी ने जो रिकमेंडेशन किया मजदूरों के लाभ के लिए केवल उन्हीं को आप लागू कर दें तो मैं जानता हूं कि प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ होगा।

हमारे प्रदेश में कई तरह के मजदूर हैं। एक वे मजदूर हैं जो कल कारखानों में काम करते हैं। दूसरे वे मजदूर जो सरकार द्वारा संचालित कल कारखानों में काम करते हैं। तीसरे वे मजदूर हैं जो बाजारों में काम करते हैं और चौथे वे मज़दूर हैं जो खेतिहर मजदूर हैं। हमारे प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की हालत सबसे अधिक खराब है। यहां के खेतिहर मजदूर को इतना कम पैसा मिलता है जितना कि एक प्रदेश का एक भिखारी जगह-जगह भीख मांग कर इकट्ठा कर लेता है। इस दयनीय दशा की ओर माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए वे कोई ऐसा प्रयत्न करें, कोई जांच कमेटी बैठावें जो उनकी हालत सुधारने के लिए कोई प्रयत्न-शील कार्य कर सके।

इसी तरह से बाजारों में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत भी बहुत ही दयनीय है। वे बराबर एक ही जगह पर पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं, लेकिन आजकल श्रमिक कानून से बचत के लिए वहां के नियोजन अपने प्रतिष्ठानों का नाम बदल देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि सालों तक काम करने के बाद भी मजदूर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिये जाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाजार कर्मचारियों की दशा में सुधार करने के लिए वे उत्तर प्रदेश शाप्स ऐंड कार्मशियल ऐक्ट में संशोधन करें और साथ ही उनकी अवस्था की जांच करने के लिए कोई जांच कमेटी बैठावें जो इस प्रकार का सुझाव दे सके कि बाजार कर्मचारियों की हालत कैसे सुधर सकती है।

मान्यवर, इस प्रदेश में एक बड़ा ही पुराना सिलसिला चला आ रहा है। मैं माननीय श्रम मंत्री का गहरा सम्मान करत हुए और उनमें विश्वास रखते हुए आपके द्वारा एक मौखिक बात की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस प्रदेश में बहुत समय से श्रम विभाग और उद्योग विभाग एक ही मंत्री के जिम्मे रहता आया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि श्रमिक आन्दोलनों को सदैव दबाया जाता रहा है। तो उनके प्रति सम्मान रखते हुए, उनकी दक्षता और कार्य-कुशलता में विश्वास रखते हुए मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे केवल श्रम विभाग को ही अपने पास रखें। यह मैं उनसे इसलिए कहता हूं कि अभी मजदूरों की आशायें पूरी हो सकेंगी। यह बात मैंने इस सन्दर्भ में कही है कि एक बार जब माननीया सुचेता जी यहां की श्रम मंत्री थीं तो उन्होंने इस आदरणीय सदन में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठनों में उनका श्रम कानून लागू नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी भी इसको महसूस करते होंगे कि

[श्री भगवती सिंह विशारद]

श्रमिकों के हित के लिये उनका लागू किया जाना आवश्यक है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि श्रमिक आन्दोलन को चलाने के लिये वे ऐसा कार्य करें जिससे उनकी जो आशायें हैं वे सफलीभूत हो सकें।

श्री देवी सहाय बाजपेयी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्रम मंत्री महोदय ने श्रमिकों के संबंध में जो बजट पेश किया है और अपना जो बजट भाषण उन्होंने सदन के सम्मुख दिया वह बहुत अक्लमन्दी व बुद्धिमानी के साथ दिया है। मजदूरों के मुताल्लिक जो बजट उन्होंने पेश किया है इसके लिए उनकी मैं क्या तारीफ करूं, इसमें उन्होंने मजदूरों का जिक्र तो बहुत किया है लेकिन मजदूरों के फायदे के लिए कोई चीज उन्होंने नहीं रखी है। मैंने उनके भाषण को बड़े गौर से सुना। मैंने देखा कि लेबर के मामले में उन्होंने कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया, जिससे मजदूरों का फायदा हो। श्रमिकों के संबंध में न तो उन्होंने कोई कमेटी बनाने की बात कही और न उन्होंने उसके अन्दर फैली हुई विषमता को ही दूर करने के लिए कोई बात कही।

श्री अध्यक्ष—

बाजपेयी जी, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री देवी सहाय बाजपेयी—

मैंने देखा कि मजदूरों के बारे में उन्होंने कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया। कानपुर के मजदूरों के बारे में भी उन्होंने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। कानपुर में मजदूरों की काफी तादाद है। जब कोई चीज नहीं की जाती है और उसे टालना होता है तो एक कमेटी का सृजन कर दिया जाता है, उसी प्रकार से आज माननीय मंत्री जी ने मजदूरों की महंगाई का, उनके स्थायीकरण (परमानेंसी) का कोई जिक्र नहीं किया है। कई चीजों को उन्होंने कमेटियों के रूप में कहा है। कानपुर में एक ऐसा मिल है जहां पर महंगाई करके मजदूर हटाए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी खुद समझ रहे होंगे और वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

आज श्रमिकों के लिए जो क्वार्टर बनाये जाते हैं वे खाली पड़े रहते हैं, उनको नहीं मिल पाते हैं। क्वार्टर बनाने के नाम पर मिल-मालिक जमीनें ले लेते हैं और या तो वे क्वार्टर बनाते ही नहीं और अगर बनाते भी हैं तो वे मजदूरों को नहीं मिल पाते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात की ओर कोई संकेत नहीं किया है कि ऐसे मिल-मालिकों को आदेश दिया जायगा कि वे अपने मजदूरों को क्वार्टर दें और जिन्होंने नहीं बनाये हैं, वे उन्हें बनायें।

श्रम और पंजी को किस प्रकार से जानकारी हो और मजदूर को उसका एवज मिले, उसका भी कोई जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर कमेटी मिली-जुली मजदूरों की, श्रमिकों की और उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी रहें, बना दें तो काफी सुधार हो सकता है। इससे जो कच्चा माल आता है उसकी भी पूरी लिखा पढ़ी हो सकेगी। जब मैं श्री मंत्री जी के बयान को सुनता हूं या पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे राज कर्मचारी हैं जो आज जेलों में बन्द हैं, वे भी श्रमिक हैं, उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं आता है। अध्यापकों के बारे में जो हमारा संयुक्त विधायक दल है उसने १५० रुपये वेतन करने की बात कही थी लेकिन इन्होंने अपने भाषण में उसका भी कोई जिक्र नहीं किया है। महिला मंगल योजना में काम करने वाली महिलाओं को निकालने को बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया। कालागढ़ के मजदूरों के बारे में भी किस तरह से वहां पर लाठी चार्ज हुआ, माननीय मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध

करूंगा कि जो कानपुर या अन्य स्थानों के मजदूर हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री जी को कुछ न कुछ अवश्य कहना चाहिए था ।

आज किसी मजदूर को निकाल दिया जाता है तो वकील लोग बने हुए हैं। केसज लड़े जाते हैं पर फैसले नहीं हो पाते हैं। कैसे मजदूरों को तत्काल फायदा हो, किस तरह से उनके मुकदमों का फैसला एक या दो हफ्तों में हो, उसका कोई जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया है। माननीय मंत्री जी ने महंगाई के विषय में भी कोई जिक्र नहीं किया है जिससे यह मालूम हो कि मजदूरों को इतनी महंगाई मिलेगी। इस बजट को रखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि अच्छा खासा सरकस हो रहा है। बड़ी तेजी और बड़ी विद्वता से यह बजट रखा गया है लेकिन इसमें मजदूरों के फायदे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं तो यह जानता हूं कि आज मजदूरों को जितनी तकलीफ तथा परेशानी है उससे पहले कभी नहीं थी। फैक्टरीज बन्द हैं उनको चलाने तथा उनके मामले को तय करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अब यह चाहूंगा कि २, ३ माननीय सदस्य और बोल लें ५, ५ मिनट ।

*श्री जी० एस० चौधरी (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने जो भावुक भाषण दिया है उसको मैंने सुना। इसमें मजदूरों के लिए कोई सहूलियत नहीं दी गयी है, कंज्यूमर गुड्स सस्ते मिलेंगे इसके लिए कोई प्राविजन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वह एक अमेंडमेंट ऐक्ट लायेंगे। नेता होने के नाते उन्होंने जो कहा उस संबंध में एक शेर अर्ज है—

"नाज है गुल को नजाकत पे चमन में ये जौक़,
उसने देखे ही नहीं नाजो नजाकत वाले ।"

कारखानों में मजदूरों के लिए फेयर प्राइस शाप्स खोली गयी हैं, उसमें चीनी अथवा अनाज की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। यूनियन की रिकगनीशन के बारे में जिक्र कया गया। एक बड़ा गंदा सा मुहावरा है "रण्डी तो जीती है, लेकिन रंड़ुए नहीं जीने देते।" एक कारखाने में एक यूनियन बन जाती है तो हर पार्टी उसमें घुसने की कोशिश करने लगती है। जब एक तरफ रिकगनाइज्ड यूनियन की बात है तो फिर रिफरेंडम कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे ।

प्रोडक्शन कम होने से कंज्यूमर गुड्स की कमी है। कोई इशारा मंत्री महोदय ने नहीं किया कि वे इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आराम हराम है, यह नारा दिया गया था। यह नारा आज मंत्री जी को मजदूरों को देना चाहिए था ताकि वे मेहनत करके देश के कंज्यूमर गुड्स में वृद्धि करते और देश को सस्ती चीजें मिलतीं ।

मंत्री जी ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वे महंगाई बढ़ाने के हक में हैं अथवा वेज फ्रीज करने के। अगर महंगाई बढ़ती गयी और भाव बढ़ते गये तो यह क्रम चलता रहेगा। कारखानेदार तथा श्रमिकों की मिल-जुल कर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाय ताकि चीजें सस्ती मिल सकें और यह महंगाई बढ़ाने का तथा वेज फ्रीज करने का किस्सा समाप्त हो ।

एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि उसे क्या सुविधायें मिलेंगी। कोड आफ कंडक्ट जो बना हुआ है उसके हिसाब से चीजों को पूरा किया जाय। जो आपने जिक्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जी० एस० चौधरी]
किया था तो सरकार बड़ी भारी कांट्रैक्ट लेबर चलाती है। इसकी तरफ सरकार का क्या ध्यान है ? एक स्कीम और लागू करनी चाहिए। वह यह है कि कारखानों में जो मशीनों की कैपेसिटी होती है उससे यदि मजदूर ज्यादा पैदा करें तो उसमें मजदूरों को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर सरकारी रूप से यह चीज हो जाय तो बहुत अच्छा हो। इससे मजदूर को, जनता को और देश को तीनों को फायदा होगा।

(श्री बाबू बदरे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन की यह परंपरा रही है कि एक पार्टी के आदमी के बोलने के बाद जब सबका नम्बर खत्म हो जाता है तो दूसरे का नम्बर आता है। अभी इस पार्टी के आदमी बोले नहीं कि दूसरे आदमी ने बोलना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रिजवी जी, देखिए मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सामने संयुक्त विधायक दल, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय सदस्य हैं तो मैं किस पार्टी के अन्दर कौन बोला और कौन नहीं, इस को नहीं देख सकूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आज श्रमिक नीति पर ऐसे लोगों ने विचार रखे हैं जिन्होंने मजदूरों के साथ कुठाराघात किया है जिससे मजदूरों के जख्म भरे नहीं हैं। अभी त्रिपाठी जी जिन्होंने प्रस्ताव रखा वह बड़ी सफाई से मजदूरों की हमदर्दी और सरकार की आलोचना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने लक्ष्मीरतन काटन मिल का नाम लिया तो उनका चेहरा फक हो गया। कानपुर के मिल वाले मजदूरों का शोषण करते हैं और वे लेक्चर देते हैं कि विमल जी, यूसुफ जी और बाबू बदरे की वजह से वह सब हो रहा है एक अभिनवीकरण योजना चलाई गई, उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने सभी सूती मिलों की मजदूरों की यूनियनों के द्वारा हड़ताल करने की बात की। उस हड़ताल में ८० दिन से मजदूर भूखों मर रहे थे। उस समय यह पुलिस को मोटर में लेकर मजदूरों की हड़ताल को तुड़वा रहे थे और आज वह उनकी मजदूरों के साथ हमदर्दी है। इस कांग्रेस शासन ने जो कार्य किया है उसी की वजह से मजदूरों की समस्या हल नहीं हो पा रही है। इंग्लैंड वगैरह में मशीनों की तादाद ज्यादा है और काम करने वालों की बहुत कम है, लेकिन हमारे यहां मशीनों की तादाद कम है और काम करने वाले बहुत हैं। इसी लिए मजदूरों की बेकारी समस्या जिन्दगी भर दूर नहीं हो सकती है।

आज आपके सामने माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उससे मैं बहुत प्रावित हुआ हूं और अर्ज करूंगा कि उसको अमली जामा पहनायें; नहीं तो वह बात भाषण में ही रह जायेगी। मजदूरों को बड़ी निराश होगी। लक्ष्मीरतन काटन मिल के मामले में केंद्रीय सरकार ने आधा रुपया देने को कहा था। लेकिन इस प्रदेशीय सरकार ने उस रुपये को देने से इन्कार कर दिया। लेकिन आज बड़े गर्व की बात है कि इस तीन महीने की सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में यह हौसला किया कि इस बात की घोषणा की कि हम आधा रुपया देने को तैयार है। लेकिन केन्द्रीय सरकार उससे कतरा रही है। लक्ष्मी रतन का मालिक इस तरह का नेता है कि इस दफा जाल में फंसा है। वह किसी तरह से भी बच नहीं सकता। मैं जानता हूं कि कानपुर के एक आध नेता उस मिल को चलाने की बात कर रहे हैं। यूसुफ साहब को हराने में और आपके जिताने में जो रुपया उसन खर्च किया है आज आपने वह हक अदा कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे चुनाव में कोई रुपया नहीं खर्च किया। आप "आप, आप" शब्द बहुत प्रयोग कर रहे हैं।

श्री बाबू बदरे—

मैं माफी चाहूंगा। जहां तक यूनियन की मान्यता का सवाल है हमारे आई० एन० टि० यू० सी० के लोगों के पेट में बहुत दर्द हुआ, जिन्होंने मजदूरों को नुकसान पहुंचाया। आपके ही राज्य में यूनियन रेकनाइज्ड थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्हीं के राज्य में यूनियन को मान्यता थी और इन्हीं के राज्य में वह मान्यता समाप्त हुई। सूती मिल मजदूर यूनियन को बाबू सम्पूर्णानन्द ने खत्म किया क्योंकि उससे उद्योगपतियों को नुकसान पहुंच रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यूनियन की मान्यता के सिलसिले में जो वह कहते हैं कि दूसरी यूनियनों को मुकदमा लड़ने का अधिकार रहेगा इससे आपकी योजना सफल नहीं हो सकती है। मान्यता का मामला आपने अच्छे ढंग से रखा है लेकिन लेबर आफिसर की ओवर हालिंग भी आपको करनी पड़ेगी। यह वही लेबर आफिसर है जो बीस साल से इसी रफ्तार से चल रहा है। उसको नया स्टाफ दीजिये।

अब म्योर मिल की बात कह कर खत्म करूंगा। म्योर मिल के मजदूरों को कांग्रेसियों ने इस सरकार के खिलाफ उकसाया। वह सरकार के नियंत्रण में चल रही है। लेकिन वहां के मजदूर कांग्रेसियों की बात सुनने को तैयार नहीं। फिर भी त्रिपाठी जी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। उनकी कानपुर के मजदूरों में भाषण देने की हिम्मत नहीं हो सकती है।यह हमेशा मिल मालिकों की दलाली करते रहे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री प्रभाकर त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था वह अब भी अपनी जगह पर स्टैंड करता है। मैंने कोई आलोचना प्रत्यालोचना की भावना से किसी बात को नहीं कहा था लेकिन मैं इतना जानता था कि मजदूरों की स्थिति को जो देखते चले आ रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाय। उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आज यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो स्पीच मैंने सुनी चाहे वह माननीय मंत्री जी की हो और चाहे हमारे अन्य साथी की हो, इतना अवश्य पाया कि मजदूरों के प्रति सरकार का जो रुख होना चाहिये वह आज भी नहीं है। उनकी तकलीफ बढ़ती जाती है बजाय कम होने के। उनको दूर करने की व्यवस्था करना है। वह कैसे दूर होगी इस पर विचार की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये अगर वह सचमुच चाहती है कि इस प्रदेश में इंडस्ट्रियल पीस रहे तो उसको सब से पहले यह कदम उठाना चाहिये कि मिलों के अन्दर वर्कर्स की साझेदारी होनी चाहिये जैसा कि इंडियन लेबर कान्फ्रेंस में तय हो चुका है। मिलों क अन्दर वर्कर भी अपनी उतनी ही जिम्मेदारी समझें जितनी जिम्मेदारी मिल मालिक समझता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी किसी मिल के अन्दर लेबर को साझा दिया गया है वहां पर उत्पादन बढ़ा है और झगड़े कम हो गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मजदूरों को बराबर का साझा मिलों के अन्दर मिलना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों के वेलफेयर का सम्बन्ध है उनके पठन-पाठन, उनके स्तर को ऊंचा उठाने, और उनकी सुविधा पर अविलम्ब सरकार को विचार करना चाहिये। जो इस समय इंडस्ट्रियल कालोनी हैं, चाहे वह कारपोरेशन ने बनाई हो या सरकार के पैसे से बनी हो, या लेबर के अन्तर्गत बनी हों उनमें जो भी व्यक्ति रहते हैं किसी भी रूप में उनको रेगुलराइज करना चाहिये। जो बिना अधिकार या गैरकानूनी रूप से रहते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभाकर त्रिपाठी]

उनको पुलिस के माध्यम से खाली न कराने प्रयत्न किया जाय। लिटिगेशन से उनको निकाला जाय। मेरे सामने ऐसी मिसाल आई है और नाम भी मौजूद हैं उनसे भी क्वार्टर खाली कराये जा रहे हैं जिनके नाम वह अलाटेड हैं। एक अभी हाल की ही मिसाल है। पुलिस के एक सब इन्सपेक्टर ने एक आदमी का सामान फेंक कर २ घंटे के अन्दर उसका कब्जा करा दिया। इस प्रकार से नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं सरकार ऐसी स्कीम चलाये कि हायर परचेज सिस्टम के आधार पर जो आदमी वहां पर रह रहे हैं १०० वर्ष के अन्दर उनको उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाय। उसके रुपये की अदायगी भी १०० वर्ष के अन्दर उनसे की जाय।

जहां तक कालोनी में पार्क, स्कूल, पानी और बिजली का सम्बन्ध है उसकी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिये। बोनस और ग्रेट्युटी का जहां तक प्रश्न है कुछ मिल ऐसे हैं जो ग्रेटयुटी जल्दी दे देते हैं, लेकिन कुछ मिल ऐसे हैं सरकार से एक्सटेंन्शन ले लेते हैं। कानून के मुताबिक किसी भी मिल के लिये यह प्रश्न नहीं उठता है कि वह देर करे। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसी मिल के लिये एक्सटेंशन लेने का सवाल पैदा नहीं होता। उसको अविलम्ब उसे दे देना चाहिये।

इसके अलावा इंडस्ट्रियल पीस का कानून वर्षों से सरकार के सामने पेंडिंग है। उसको अविलम्ब लाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि जो स्थिति इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के बाद इस यूनियन की रिकेग्नीशन समाप्त होने को पैदा हो गई है उसमें कुछ समता आये, वर्क्स कमेटियां बन सकें। उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये थी और साथ ही इन वर्कर्स को लेने की व्यवस्था करनी चाहिये थी ताकि अनस्किल्ड वर्कर्स सेमी स्किल्ड ; अथवा सेमी स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स बन सकें।

इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि इम्पप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को परमानेंट घोषित करने की व्यवस्था की जाय। तमाम पैसा मालिकों पर बाकी पड़ा हुआ है उसे सरकार कलेक्ट करने के बाद उचित तौर से इस्तेमाल करे। जितना श्रमिकों का कंट्रीब्यूशन जमा है, उसके साथ ही इम्प्लायर का पैसा जमा न होने के कारण वह उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिये आवश्यक है कि मालिकों से वह पैसा अविलम्ब जमा कराया जाय।

इसके अलावा कालागढ़ की बात है। जो महिलायें आज अनशन कर रही हैं उनकी बात है। इस बारे में जांच होना आवश्यक है। आज तक यह परम्परा रही है कि जहां न्यायिक जांच की आवश्यकता होती थी वहां उसका प्रबन्ध किया जाता था, लेकिन कालागढ़ के श्रमिकों के मामले में सरकार न्यायिक जांच करने से मुकर रही है। मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये मुख्य मंत्री जी से परामर्श करके इसके लिये कोई जांच कमीशन बैठाने की व्यवस्था करायें। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन का जहां तक सम्बन्ध है उसके बारे में जो प्राइवेट सेक्टर में कारखाने हैं उनमें तो कानून लागू हैं, वे चाहे फैक्ट्री ऐक्ट हों अथवा पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कागज पर तो वे लागू हैं लेकिन उनका फायदा मजदूरों को हो नहीं पा रहा है। उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार उन पर अमल करावे।

इसके साथ ही जहां तक प्लानिंग कमीशन का सम्बन्ध है, जो दूसरे प्लानिंग कमीशन की रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें स्पष्ट लिखा था कि इन ५ वर्षों में श्रमिकों की स्थिति ठीक नहीं हुई है, बल्कि वह गिरी ही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों के साथ जस्टिस होना चाहिये। जहां जस्टिस का प्रश्न है वह किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं है चाहे वह पब्लिक सेक्टर का इम्प्लायर हो अथवा प्राइवेट सेक्टर का। अगर वह शोषण करता है तो उसके हाथ से कारखाने को छीन लेना चाहिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं फिर चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे प्रस्ताव पर विचार करें और जो उन्होंने बिल अपना-पेश किया है उसमें संशोधन करें जैसा कि मैंने कहा है।

*श्री प्रभुनारायण सिंह—

माननीय, जो बहस इस अनुदान के सिलसिले में हुई मैं चाहता था कि हमारे माननीय दोस्त जो विपक्ष में हैं वह थोड़ा योगदान करेंगे और नैतिकता का परिचय देंगे। किन्तु मुझे अफसोस हुआ प्रभाकर त्रिपाठी जी के भाषण को सुनकर। राजाराम जी के भाषण से तो नहीं हुआ, क्योंकि यह तो स्तर की बात है। प्रभाकर जी के भाषण से अफसोस इसलिए हुआ कि जिस ट्रिपारटाइट कानफरेंस में वह स्वयं हाजिर थे और जिसमें एक कांशेंशस फैसला हुआ कि वन मैन कमीशन का स्टैंडर्डाइजेशन के सिलसिले में, उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि वे उसका विरोध करना चाहते हैं। वह उसे कंडेम करना चाहते हैं। जिस कानफरेंस में स्वयं शामिल हुए उसी के फैसले के खिलाफ कह रहे हैं। और उन्हें तो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वन मैन कमीशन की बात सरकार ने मानी और उसकी तत्काल घोषणा कर दी।

माननीय, जहां तक स्टैंडर्डाइजेशन का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि यह मसला किसी भी कमेटी के सामने नहीं आया जिस तरह से तैयार हुआ है। सम्पूर्णानन्द अवार्ड में तीन कैटेगरी के स्टैंडर्डाइजेशन के मामले आये। ऐसी स्थिति में जो मसला कभी भी किसी कमेटी या कमीशन के सामने नहीं आया और अर्से से पड़ा हुआ है उसको यह सरकार निपटाना चाहती है और वन मैन कमीशन बैठा कर स्टैंडर्डाइजेशन के सवाल को हल करना चाहती है। माननीय दोस्त जब उनकी सरकार थी तो अपने ही मुख्य मंत्री के फैसले को लागू नहीं करा पाये और अब प्रगति यह हुई जो सुपरवाइजरी कमेटी थी उसमें परमानेंसी के सवाल को लेकर ट्रिपारटाइट कानफरेंस में फैसला हो गया और प्रभाकर जी उस सुपरवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं, पर मुझे अफसोस है कि मेम्बर होते हुए भी लांछन सरकार पर देना चाहते हैं, इस नैतिकता की भी कोई सीमा और हद होती है। आप अपने ही फैसले को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें नहीं और सरकार पर दोष डालें, इससे बढ़ कर दुख और शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मुझे आशा है कि प्रभाकर जी इस मामले में चैतन्य होंगे और मजदूरों के परमानेंसी के मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे और अपनी जिम्मेदारी से शर्क नहीं करेंगे।

जहां तक औद्योगिक झगड़ों का सवाल है जिसका जिक्र प्रभाकर जी ने किया, तो वाकई गन्दगी है, और उस मामले की व्यवस्था उचित नहीं है, लेकिन जो कोढ़ २० साल का है उसको दूर करने में कुछ समय तो लगेगा ही और जहां पर म्युनिसिपैलिटी है, कारपोरेशन है उसकी सफाई वगैरह का इन्तजाम है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जैसे इंजीनियर्स का सवाल है तो हम सजग हैं और अगर कोई शिकायत माननीय सदस्य की तरफ से आयेगी तो उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जायगा। इस सम्बन्ध में माननीय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने इसके हल के लिये मिट्ठन लाल कमेटी नियुक्त की है। सम्पूर्णानन्द एवार्ड ने केवल ३ कैटेगरीज को ही हल किया, बाकी सवाल को जो छूट गये हैं वे आज तक पड़े हुये हैं। उनके हल के लिये हमने मिट्ठनलाल कमेटी को नियुक्त किया है। यह बहुत बड़ा कदम है जिसकी सराहना होना चाहिये थी। कानपुर की टैक्सटाइल मिल्स के मामले जो १५ वर्षों से पड़े हुये थे वे अब कुछ महीनों के अन्दर ही निपट जायेंगे। फिर भी हमारे इस ऐक्शन को आप कन्डेम करते हैं, यह बड़े दुख की बात है।

हमारे प्रभाकर जी ने चमड़ा उद्योग में ट्रिपार्टाईट कान्फ्रेंस के फैसले की बात कही कि उसको लागू नहीं किया गया। कानपुर में कुल ३५ प्रतिष्ठान हैं जो चमड़े का काम करते हैं उसमें से ३० प्रतिष्ठानों में प्रतिपालन इस रूप में हो गया है कि सभी ३० प्रतिष्ठान चालू महीनों में अन्तरिम सहायता दे रहे हैं। जहां तक पिछले बकाया देने का सम्बन्ध है, १३ प्रतिष्ठानों ने पूर्ण बकाया दे दिया है और ९ प्रतिष्ठान शासकीय आदेश के अनुसार पिछला बकाया दे रहे हैं। इन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

३० कारखानों में ८ प्रतिष्ठानों ने पिछला बकाया अभी बिल्कुल नहीं दिया है। इनके विरुद्ध तथा जिन ५ कारखानों ने प्रतिपालन नहीं किया है कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था की जा रही है।

जहां तक आगरा का सवाल है, मैं स्वत मानता हूं वहां छोटे-छोटे कारखाने हैं, वहां दिक्कत हो रही है। वहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन कराने का हम प्रयास कर रहे हैं।

पांडेय जी ने बोनस ४ प्रतिशत लागू कराने की बात कही तथा उसी के साथ-साथ यह भी कहा कि अन्तरिम आदेश अभी तक नहीं निकाले गये। मुझे तो ताज्जुब हुआ सुन कर, माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, बोनस कमेटी का जो फैसला हुआ उसके अनुसार आदेश ३ जुलाई, १९६७, को जारी कर दिये गये।

एक आपने पैरिटी देने की बात कही। इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। इस सरकार ने १० करोड़ रुपये के करीब सरकारी कर्मचारियों को देने का फैसला किया है। जो पिछली सरकार थी उसन क्या किया वह माननीय प्रभाकर जी जानते होंगे। मान्यवर, १९४९ में आल इंडिया कन्ज्यूमर्स ब्राइस इन्डेक्स नं० १०० के बराबर था। यह इन्डेक्स १९६०-६१ में १२४ हो गया। उत्तर प्रदेश में वेतन अभिनवीकरण समिति ने १९६०-६१ को बेस इयर मान करके वेतन क्रम निर्धारित किये। उस वर्ष तक जो २४ प्वाइन्ट की वृद्धि आल इंडिया इन्डेक्स में हो गयी थी, उसको भी दृष्टि में रख कर ये वेतन क्रम निर्धारित किये गये। १९६०-६१ के बाद १९६५ तक जो इन्डेक्स में वृद्धि हुई थी उसके अनुसार महंगाई भत्ता पहली अप्रैल, १९६५ से दिया गया। केन्द्रीय सरकार न जब तक अपने कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया है वह अभी तक १७५ इन्डेक्स तक दिया है। उत्तर प्रदेश में भी १७५ माइनस १२४ यानी ५१ प्वाइन्ट वृद्धि पर महंगायी भत्ता अब तक दे दिया है और इस प्रकार केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ उसूलन समानता हो गयी है, क्योंकि २४ प्वाइन्ट की १९६०-६१ तक की वृद्धि प्रदेशीय कर्मचारियों की तनख्वाह में सम्मिलित हो गयी है। इसलिये ५१ प्वाइन्ट की वृद्धि पर ही महंगायी भत्ता दिया जाना उचित था जो दे दिया गया है। लेकिन कम से कम मौजूदा सरकार ने जो कार्यवाही की वह, मान्यवर, इस सदन के सामने है। मान्यवर, मैंने माननीय राजाराम पांडेय के भाषण को सुना तो मुझे ताज्जुब हुआ। शायद उनको यह मालूम नहीं है कि साहू केमिकल्स के मामले को लेकर जब मैं पार्लियामेंट में था, और जब माननीय कमलापति त्रिपाठी गृह मंत्री थे, मैं साल भर तक नजरबन्द रक्खा गया। यह मसला पार्लियामेंट में उठा और हाई कोर्ट से मेरे प्रिवेन्टिव डिटेन्शन को १० महीने के बाद इनवेलिडेट किया तब मैं छूटा। मैं अंग्रेजी राज में जेल अवश्य रहा परन्तु इनके राज में छः वर्ष जेल में बिताये। १५ साल लेजिस्लेचर में होते हुए भी छः साल बीते हैं जेल में। मुझे पांडेय जी के भाषण को सुन कर ताज्जुब हुआ। जब मदन पांडेय के ऊपर कातिलाना हमला हुआ तो जिस जीप से राजाराम पांडेय और दूसरे लोग गये थे और जो जीप बिरला के कारखाने में पकड़ी गई और जिसमें धब्बे थे खून के, कातिलाना हमला करके मदन पांडेय को रेणुसागर में ये फेंकने वाले थे। मैं जब बनारस पहुंचा तो वह जीप जिससे हमला हुआ वह कोठारी और बिरला की जीप बिरला और कोठारी के कारखाने में पकड़ी गई। ३०७ के मुकदमे में ये पांडेयजी बिरला के यहां से गिरफ्तार हुए और ३०७ का मुकदमा आज भी मिर्जापुर की अदालतों में पेंडिंग है। जो बिरला से मिल कर हमला करवायें वे आज इस तरह की बातें करें सदन में बैठ कर। छोटे मुंह बड़ी बात। इसलिये मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि आज उसमें काम्प्लेक्स का सवाल नहीं है जहां भी जो वाजिब स्थिति है उसको यह सरकार करना चाहती है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि किसी तरह का पक्षपात श्रम विभाग की तरफ से नहीं होगा। लेकिन उसके साथ-साथ पक्षपात न हो इसके लिये कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और इसके लिये बैलट का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हमारे राजाराम पांडेय जी गायब हो गये। मोदीनगर की बहुत बात कर रहे थे कि कान्सिलिएशन कमेटी की रिपोर्ट है। कान्सीलिडेशन कमेटी को तोड़ेंगे। अब सरकार ने फैसला कर लिया है।

मुझे आश्चर्य है कि ये प्रभाकर जी और बनारसीदास जी जैसे व्यक्तियों के हुए भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसको किसी तरह से स्वीकार करने की स्थिति इस सरकार की नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—(१) श्रम कानूनों में सामयिक परिवर्तन करने के लिये मांग करना।

(२) श्रम विवादों को सुलझाने और श्रम यूनियनों को मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाना।

(३) सरकारी और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कानून और नियमों में एकरूपता स्थापित कर उनके विवादों को सुलझाने के आवश्यक कदम उठाना।

(४) समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत को कार्यान्वित करना और महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाहक से सम्बद्ध करना।

(५) वृद्धावस्था पेन्शन योजना को और व्यापक बनाने हेतु नियमों में संशोधन करना।

(६) सेवा नियोजन विभाग के कार्य-क्रम को व्यापक बनाना।

(७) श्रम कल्याण कार्यों को अधिक व्यापक बनाना।

(८) कालागढ़ कांड से पीड़ित श्रमिकों को सहायता देने तथा उक्त कांड की सर्वदलीय न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार कराने हेतु सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४६,३२,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

फैजाबाद जिले में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

फैजाबाद तथा बस्ती जिलों के बीच की सीमा फौजदारी, दीवानी तथा माल अधिकार क्षेत्र के लिए घाघरा नदी है। माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में अंकित तीन ग्रामों का काफी बड़ा क्षेत्रफल सन् १९६२-६३ में घाघरा की धारा बदलने से नदी के फैजाबाद की तरफ निकल आया। ऐसी भूमि पर कब्जे का झगड़ा दोनों ओर के व्यक्तियों के बीच चल रहा है। जो लोग इस भूमि पर नदी की धारा के बदलने के पहले काबिज थे वह इसे अपनी भूमि बताते हैं। इसके विपरीत फैजाबाद जिले के नदी के किनारे वाले ग्रामों के लोग इस भूमि को अपने अपने ग्रामों का भाग मानते हुए उस पर कब्जे का दावा करते हैं। प्रारम्भ में ऐसे क्षेत्रों की विधिक स्थिति समझने में जिले के अधिकारियों को कुछ कठिनाई हुई थी। राजस्व परिषद् ने जिला अधिकारी फजाबाद को दिसम्बर, १९६५ में इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश भेज दिये थे। इसके बाद सचिवालय से फैजाबाद तथा बस्ती दोनों जिलों के अधिकारियों को वैधानिक स्थिति का स्पष्टी-

[श्री उदित नारायण शर्मा]

करण २७ अप्रैल १९६६ को करा दिया गया था। नदी के निकले हुए क्षेत्रों से सम्बन्धित भूमि के विवादों को निपटाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नीति तथा विधिक स्थिति १८ जून, १९६६ के शासकीय आदेश द्वारा सभी जिला अधिकारियों को समझायी जा चुकी है।

जिला स्तर पर व्यक्तियों के आपसी कब्जों के झगड़े उस परगना अधिकारी द्वारा तय किये जाते हैं जिनके अधिकार में वह क्षेत्र आता हो। जिला अधिकारी फैजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार इन तीनों ग्रामों में फिर से नया नक्शा तथा नया रिकार्ड बनाने की आवश्यकता है और झगड़ों का निपटारा सन्तोषजनक रूप से तभी हो सकता है जब पूरी भूमि को फिर से नापा जाय और उसका नया नक्शा बनाया जाय। इन तीनों ग्रामों के अन्तर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ६,५०० एकड़ से अधिक है; अतः हल्के के कानूनगो अथवा लेखपाल द्वारा नये तौर पर पैमाइश करना मुमकिन नहीं है। जिला अधिकारी ने इन ग्रामों में धारा ४८, लैंड रेवन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत रिकार्ड आपरेशन किये जाने का प्रस्ताव भेज दिया है। जब इस प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति मिल जावेगी और इस पर होने वाले व्यय का प्रबन्ध कर दिया जावेगा, तभी यह कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

इसी बीच में देवरागंज बरार के ग्राम वासियों की प्रार्थना पर जिला अधिकारी फैजाबाद ने दो महीने के लिए एक सर्वे अमीन नियुक्त करके कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दे दिया था किन्तु जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था वह बीमार पड़ गया। तब यह काम दो लेखपालों को अपने कार्य के अतिरिक्त सौंपा गया पर यह लोग भी food procurement में व्यस्त रहने के कारण इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। अब वर्षा प्रारम्भ हो गयी है और नदी के किनारे के क्षेत्र में पैमाइश का कार्य वर्षा ऋतु की समाप्ति पर ही सम्भव होगा। जिला अधिकारी के रिकार्ड आपरेशन के प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जायगा।

जहां तक २८ जून की तथाकथित घटना का सम्बन्ध है, जांच से यह विदित हुआ है कि २८ जून को ग्राम आसोपुर के लगभग ५० व्यक्तियों ने मांझा कलां के मजरा केवदही के निवासी रामसुमेर, रामदौर, रामआसरे, परशाद तथा घुरहू द्वारा बोए गए ४ बीघा धान की फसल को उखाड़ डाला और झापड़ियों को भी उजाड़ने की कोशिश की किन्तु जिला बस्ती तथा फैजाबाद के अन्य लोगों ने बीच-बचाव करा दिया और वे लोग वापस चले गये। इस घटना की तत्काल कोई सूचना किसी भी थाने में अंकित नहीं कराई गई पर ८ जुलाई, १९६७, को रामसुमेर केवट की सूचना पर एक अभियोग धारा १४३/४४७/५०६/५०४ भारतीय दण्ड संग्रह के अन्तर्गत थाना टांडा पर दर्ज हुआ है और इसकी तफतीश हो रही है। जिलाधिकारी तथा परगना मजिस्ट्रेट पूर्ण रूप से सतर्क हैं। इस समय उस क्षेत्र में पूर्ण शान्ति है और स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है। भविष्य में नियम तथा व्यवस्था भंग न होने पाये इसे सुनिश्चित करने के प्रति भी जिला मजिस्ट्रेट तथा परगना मजिस्ट्रेट दोनों प्रयत्नशील हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब दिसम्बर, १९६५ को ही जिलाधिकारी फैजाबाद को इस प्रकार के आदेश भेज दिए गये थे तो इसके बाद पुनः वैधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण जो २७ अप्रैल, १९६६, को कराया गया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

पहले यह आदेश भेजा गया था, उसके बाद कुछ अधिकारियों में विवाद रहा और उसको निबटाने के लिए यहां से कुछ अधिकारी मौके पर भी गये और वहां जाने पर फाइनली हुक्म दिया, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया था।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब आपको भी यह सूचना है कि पहले भी यह जमीन बस्ती जिले में थी और कट कर फैजाबाद में चली गयी

और तमाम झगड़े के बावजूद बस्ती जिले की समझी गयी। और जब सन् १९५७ तय हो गया कि यह उन्हीं काश्तकारों की जमीन है जिनके नाम है, उसके बाद फिर झगड़ा पैदा किया गया लेखपालों द्वारा किसानों की ओर से, तो जब तक झगड़ा तय न हो सरकार इसकी जांच करायेगी ताकि बस्ती वालों को जमीन मिल पावे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

झगड़ा किसी लेखपाल द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा नहीं कराया गया। बात यह है कि जमीन फैजाबाद की थी, लेकिन नदी की धारा बदलने की वजह से दूसरे जिले में चली गयी। तो साधारणतः जिनकी जमीन पहले थी वे तो अपना अधिकार उस पर समझते ही थे, लेकिन जब दूसरी तरफ जमीन चली जाती है तो स्वभावतः दूसरी तरफ के लोगों का यह ख्याल हुआ करता है कि अब यह नयी जमीन निकली है लिहाजा इसे जोतने का हमारा अधिकार है। इसलिये यह हुआ।

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें कोई सूचना है कि बस्ती के बड़े बड़े जमींदारों ने भूमि पर कब्जा कर रखा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री राज बहादुर द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी को कोई सूचना है कि १९६१-६२ में हाई कोर्ट में इस जमीन के बारे में कोई फैसला हो चुका है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसकी भी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछली जून में अर्थात् १९६६ के जून और जुलाई के महीने में वहां पर बुवाई के समय में जिलाधीश ने दफा १४४ लगा रखी थी ? और यह भी बताने की कृपा करें कि पहले जिन आदमियों की ये जमीनें थी उनको कब्जा दिलाने के लिए सरकार या जिलाधीश ने क्या क्या किया ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह सही है कि गत वर्ष वहां पर जिलाधीश ने दफा १४४ लागू कर रखी थी उन काश्तकारों के हितों की रक्षा के लिए जिनकी वह जमीन वाकेयी में है। अभी भी वहां के अधिकारी प्रयत्नशील हैं कि ये जमीनें उन्हीं को मिले जिनकी वास्तव में ये हैं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, आजमगढ़ के विषय में आज एक रिपोर्ट आनी थीं, परन्तु वह आज नहीं आयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह आज सदन में प्रस्तुत होगी।

श्री अध्यक्ष--

जो विषय चल रहा है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं इसको देखूंगा कि यह कल तक आ जाय।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--

बस्ती जिले का बहुत सा हिस्सा कट कर फैजाबाद की ओर चला गया है या फैजाबाद जिले की जमीन कट कर बस्ती जिले में चली गयी है : इस झगड़े के अन्दर लाखों रुपये की संपत्ति हमेशा पड़ी रहती है जिससे किसानों का नुकसान होता है। क्या सरकार इसको दृष्टि में रखते हुए कोई जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की चेष्टा करेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

श्रीमन्, इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी का प्रश्न ही नहीं आता। यह तो नदी की मर्जी के ऊपर होता है : उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस तरफ से बहने लगती है उधर का ही हिस्सा काट देती है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में कहा कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ४८ के अनुसार जिला अधिकारी ने इन ग्रामों में रिकार्ड आपरेशन किये जाने का प्रस्ताव भेज दिया है। उस धारा में यह है कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन न जारी करे तब तक लैंड रिकार्ड्स आपरेशन नहीं हो सकता है। तो क्या सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि जब तक लैंड रिकार्ड्स की कार्यवाही कंप्लीट न हो जाय तो जो लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको रोका जाय?

श्री उदित नारायण शर्मा---

माननीय, यह फैसला सरकार ने करीब-करीब ले लिया है कि यहां पर रेकार्ड आपरेशन्स कराना है : राजस्व परिषद से यह पास हो चुका है और इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी रेकार्ड आपरेशन्स करायेंगे। यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाकर के यह कह दिया कि जिन लोगों की यह भूमि है उन्हीं के अधिकार में रहनी चाहिए और उस की हिफाजत होनी चाहिए।

श्री राम लखन सिंह---

बस्ती जिले के किसानों की जमीन कह दिया गया है कि खाली बटवारा करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या देवारा गंगवरार, आराजी हुडडी, पारा, बशरथपुर, पहड़वापुर गांव के कई हजार किसान, जिनके घरबार कट कर बह गये हैं, वे लोग रेत में पड़े हुए हैं, सड़कों पर पड़ हुए हैं, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। उनकी ही जमीन पर ६,२५० बीघे में झाऊ रुका हुआ है। तो क्या सरकार उन गरीबों को छप्पर छा लेने के लिए उस झाऊ को काटने की इजाजत देगी?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसकी तो कोई सूचना नहीं है कि लोग बाहर पड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं कोई ऐसी स्थिति है भी नहीं कि किसी के अत्याचार की वजह से निकाल कर डाल दिये गये हों...

श्री अध्यक्ष---

वह यह कहते हैं कि अगर यह सूचना सही हो तो उचित कार्यवाही करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा---

अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो अवश्य विचार किया जायगा, अगर किसी कार्यवाही की जरूरत होगी तो जरूर करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या मंत्री जी जिन गांवों का जिक्र किया गया है उनकी गांव सभा को यह आदेश भेजने का कष्ट करेंगे कि जो जमीन बच जाय वह अपने गांव के भूमिहीनों में वह बांट लें?

श्री उदित नारायण शर्मा---

किसी भी गांव समाज की जमीन हो अगर नये सिरे से दी जाती है तो निश्चय पूर्वक ग्राम पंचायत द्वारा केवल भूमिहीनों को दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

११ जुलाई, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

दिनांक ५ जुलाई, १९६७ को लगभग ४ बजे शाम जब किनारी बाजार से एक बारात गुजर रही थी तो एक लड़क द्वारा अपशब्द कहने के कारण एक दुकानदार व कुछ बरातियों में कहा सुनी तथा मारपीट हो गई जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को मामूली चोटें आयीं । इस घटना के कारण कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी दूकानें बन्द कर ली थीं जो दूसरे दिन सामान्य रूप से खुल गयीं ।

२—घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये और दुकानदारों से पूछताछ की । तीन दुकानों से क्रमशः एक जोड़ा जूता, एक शृंगारदान व एक ग्राहक का एक बण्डल कपड़ा गुम होना तथा दो दुकानों के शो केस का शीशा टूटना अधिकारियों को बताया गया ।

३—दोनों पक्षों की ओर से घटना के संबंध में रिपोर्टें लिखाई गई जिनकी विवेचना की जा रही है । ८ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है । डाक्टरी जांच से यह ज्ञात हुआ है कि ये लोग शराब नहीं पिये हुए थे ।

४—यह सही नहीं है कि बारात के साथ तैनात पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की वरन् उन्हीं के हस्तक्षेप से झगड़ा नहीं बढ़ा और २–४ मिनटों में ही समाप्त हो गया ।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६६७ पर)

(कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये माने गये)

अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवा योजन

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
(१)	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) श्रम कानूनों में सामयिक परिवर्तन करने के लिए मांग करना । (२) श्रम विवादों को सुलझाने और श्रम यूनियनों को मान्यता दिलाने के संबंध में प्रभावी कदम उठाना । (३) सरकारी और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानून और नियमों में एकरूपता स्थापित कर उनके विवादों के सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाना । (४) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को कार्यान्वित करना और महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाहिक से सम्बद्ध करना । ५—वृद्धावस्था पेंशन योजना को और व्यापक बनाने हेतु नियमों में संशोधन करना । (६) सेवा नियोजन विभाग के कार्य-क्रम को व्यापक बनाना । (७) श्रम कल्याण कार्यों को अधिक व्यापक बनाना । (८) कालागढ़ काण्ड से पीड़ित श्रमिकों को सहायता देने तथा उक्त काण्ड की सर्वदलीय न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार कराने हेतु सुझाव देना ।
(२)	श्री राजा राम पाण्डेय	संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—वर्तमान प्रशासन के श्रम विरोधी कार्य तथा श्रम कल्याण विरोधी नीति और श्रमिकों को उचित न्याय अविलम्ब न दिलाये जाने की व्यवस्था की आलोचना ।
(३)	श्री माता प्रसाद ..	संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) भूमिहीन ऐसे खेतिहर मजदूर जो फार्मों के अतिरिक्त इक्के दुक्के खेतों पर मजदूरी करते हैं उनकी जांच कराना तथा उनकी मजदूरी एवं समय के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है और उनकी दशा बड़ी ही दयनीय होती जा रही है, इस ओर ध्यान दिलाना । (२) आई० टी० आई० में ट्रेनिंग पाने वाले छात्रों के पेड अपरेन्टिस तथा नौकरी की व्यवस्था न होने और उनकी बेकारी बढ़ने की ओर ध्यान दिलाना और श्रम नीति की आलोचना करना ।

(४) श्री बीर बहादुर

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन भांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना :

(१) प्रदेश के ग्रामीण तथा अन्य युवकों एवं युवतियों में व्याप्त बेरोजगारी को हल करने की दिशा में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है ।

(२) राजकीय औद्योगिक तथा तकनीकी संस्थाओं के बढ़ाने की दिशा में उदासीनता वर्ती गई है ।

(३) राज्य कर्मचारियों की छटनी कर बेरोजगारी को को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(५) श्री हरीदत्त काण्डपाल तथा श्री रामायण राय

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---कालागढ़ के कर्मचारियों की समस्या के समाधान में असमर्थता तथा टेकनिकल शिक्षा को न बढ़ाने तथा रोजगार देने में असमर्थता की आलोचना ।

उत्तराखण्ड विधानसभा